

C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.II, Second Session, 2014/1936 (Saka)
No.5, Friday, July 11, 2014/Ashadha 20,1936 (Saka)

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.61 to 65	2-64
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.66 to 80	65-120
Unstarred Question Nos.289 to 417	121-426

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	427-438
BUSINESS OF THE HOUSE	439-442
MOTION RE: 1ST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	443
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2011-2012	444
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2014	445-446
STATEMENT BY MINISTER	447
Reason for immediate legislation by promulgation of Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014	
Shri Ravi Shankar Prasad	
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014	448-463
AND	
ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2014	
Motion to consider	450-451
Shri Rajnath Singh	
Shri Gutha Sukender Reddy	459-460
Shri Bhartruhari Mahtab	461
Resolution negatived	462
Clauses 2, 3 and 1	463
Motion to Pass	463

**RAILWAY BUDGET (2014-15) GENERAL DISCUSSION
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS),
2011-12** 466-494

Shri Adhir Ranjan Chowdhury	467-469, 472-478
Shri Rakesh Singh	479-488
Dr. P. Venugopal	489-491
Yogi Adityanath	492-494

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014 By Shri Nishikant Dubey	495
(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new articles 16A and 29A) By Shri Nishikant Dubey	495
(iii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of the Eighth Schedule)</i> By Shri Nishikant Dubey	496
(iv) Bihar Reorganisation (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of the Eighth Schedule)</i> By Shri Nishikant Dubey	496
(v) National Commission for Agricultural Costs and Prices Bill, 2014 By Shrimati Jayshreeben Patel	497
(vi) Prohibition of human trafficking of Indian Citizens Abroad and Welfare of Overseas Indians Bill, 2014 By Shrimati Jayshreeben Patel	497

(vii)	Small and Marginal Farmers (Welfare) Bill, 2014 By Shri Sharad Tripathi	498
(viii)	Abolition of Begging Bill, 2014 By Shri Sharad Tripathi	498
(ix)	Information Technology (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Section 2, etc.)</i> By Shri Baijayant Jay Panda	499
(x)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Section 364 A, etc.)</i> By Shri Arjun Ram Meghwal	499
(xi)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Eighth Schedule)</i> By Shri Arjun Ram Meghwal	500
(xii)	Chit Funds (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Section 4)</i> By Shri Arjun Ram Meghwal	500
(xiii)	Renewable Energy (Promotion and Compulsory Use) Bill, 2014 By Shri Arjun Ram Meghwal	501
(xiv)	Compulsory Teaching of Yoga in Educational Institutions Bill, 2014 By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	502
(xv)	Council for Environment Protection Bill, 2014 By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	502
(xvi)	Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	503

(xvii) Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Bill, 2014 <i>(Amendment of Section 2)</i> By Shri Hansraj Gangaram Ahir	503
(xviii) Consumer Goods (Mandatory Printing of Cost of Production and Maximum Retail Price) Bill, 2014 By Shri Hansraj Gangaram Ahir	504
(xix) Cow Protection Authority Bill, 2014 By Shri Hansraj Gangaram Ahir	504
(xx) Sculptors, Artists and Artisans of Rural Areas Welfare Bill, 2014 By Shri Hansraj Gangaram Ahir	505
(xxi) Ban on Cow Slaughter Bill, 2014 (By Yogi Adityanath)	505
(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2014 <i>(Omission of Article 44, etc.)</i> By Yogi Adityanath	505
(xxiii) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Section 109, etc.)</i> By Shri Mullappally Ramchandran	506
(xxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2014 <i>(Amendment of Seventh Schedule)</i> By Shri Mullappally Ramchandran	506
(xxv) National Agricultural Produce Price Commission Bill, 2014 By Shri Raju Shetty	507

(xxvi) Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of Section 3, etc.) By Shri Bhartruhari Mahtab	507
(xxvii) Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2014 (Amendment of Section 2, etc.) By Shri Bhartruhari Mahtab	508
(xxviii) Public Sector Banks (Control of Non- Performing Assets) Bill, 2014 By Shri Bhartruhari Mahtab	508
(xxix) Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014 By Shri Bhartruhari Mahtab	509
(xxx) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new section 14A) By Shri Vincent H. Pala	509
(xxxi) Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule) By Shri Vincent H. Pala	510
PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION Creation of a new Union Ministry for the development of Himalayan States	511-552
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	511-524
Prof. Saugata Roy	526-533
Shri Prem Das Rai	534-537
Shri Ninong Ering	538-540
Shri Jagdambika Pal	541-546
Shri Bhartruhari Mahtab	547-552

11.07.2014

7

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	574
Member-wise Index to Unstarred Questions	575-576

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	577
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	578

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. M. Thambidurai

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayan Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P. Sreedharan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 11, 2014/Ashadha 20, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

MADAM SPEAKER: Question No. 61. Shri Pratap Simha.

(Q. 61)

SHRI PRATAP SIMHA : Hon. Speaker, I hope you will give me a minute since it is an important issue. The previous Government was boasting of National Rural Health Mission and ASHA but we all know the pathetic condition of our health sector. If we go to any nook and corner of our country, a majority of the community health centres lacks basic requirements like ICUs, ventilators, cardiac monitors, defibrillators, operation theatres, boiling machines, OT tables and most importantly doctors. Of course, the need of the hour is to improve the health of our economy but the health of our citizens needs utmost care.

I would like the hon. Minister, who is also a champion of Pulse Polio Campaign, as to what plans he has for improving the condition of our hospitals. If we have to set up a well-equipped community health centre, we need around 1.5 crores. To revive the entire health system of each district, you need Rs.10 to Rs.12 crores. Why does the Government not think of PPP in this sector?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, through you, I just wish to answer the queries of the hon. Member. I appreciate his concerns for the health sector. Keeping his concern in our mind, we have been reviving the situation in all the districts of the country. We have selected 18 States, which are high priority States. Within those States itself, we have selected 184 districts, which are lacking in facilities in terms of infrastructure and manpower etc., as compared to other States. There are, you can say, in every State at least 25 per cent low performing districts as compared to others, which have been included in this category. To improve the health infrastructure in these 184 districts in particular, we have been focusing on helping the State Governments and also simultaneously monitoring the improvement there, whether it is improving the existing community health centres, primary health centres and sub-centres or giving them finance for starting new primary health centres, sub-centres or the community health centres as per the population norms.

Simultaneously, we are equipping these centres with various equipment, particularly equipment for the care of the new born. It is because for us lowering the maternal mortality rate and the infant mortality rate is a big priority area.

Simultaneously, we are ensuring that we have improvement in our manpower. For that, we have helped the States in opening up of new medical colleges, relaxing the norms for ensuring that we have more medical students – graduates and post-graduates – coming out of the medical colleges and also relaxing various norms for the opening up of medical colleges as well as ensuring that some of the district hospitals are converted into medical colleges. Also for improving the manpower, we have given some incentives to the doctors who are serving in the rural areas. Suppose, they serve in the rural area for one year, they get a 10 per cent incentive in their competitive examination for being eligible to become a post-graduate student and that can continue for three years. In fact, they could get up to 30 per cent incentive. There are similar other incentives. There is 50 per cent reservation or preference for doctors who are serving in rural areas. There are many more things like this, which we have been doing and which we propose to do.

There is a continuous process of monitoring whereby we send our specialist teams through the Centre. These teams have members not only from the Government but also from the private sector, from the various organisations of the United Nations and those who are helping in the health sector. We act on the various inputs provided by these teams from time to time and we are in the process of continuous improvement.

I agree with the hon. Member's concern that there is definitely a need to further improve services in the Primary Health Centres and more particularly in the rural areas as well as in the tribal areas, but the process is already on and we are determined to improve them and take them to the best possible levels.

SHRI PRATAP SIMHA : Madam, as far as my knowledge goes, the proposal of the Medical Council of India to amend the Post-Graduate Medical Education

Regulations, 2000 was approved by the Ministry. It states that the MBBS students applying for admission to PG medical courses from the academic year 2015-16 will have to undertake mandatory rural posting at Public Health Centres for one year. But, if you do not provide the basic facilities and if they are left with only a table, a pen and a pad to refer patients to far away hospitals, are we not going to waste their one year?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, whatever the hon. Member is saying, is probably correct, but the facilities are not as bad as he is describing them to be that the Primary Health Centre has only got a pen, pencil and a pad. There was definitely a proposal by the previous Government to send these doctors, after they have finished their post-graduation, to these rural health facilities. But, as per my information, the proposal was not pursued by the earlier Government because of a lot of opposition from the doctors. Now we are reviewing the whole situation. We are in the process of discussing and deliberating upon this issue in our meetings and with our various officials in the Ministry and with Indian Medical Association and various other related groups. Now, we are positively thinking of sending the post-graduate students to these places while they are pursuing their post-graduation medical studies. During that period, we propose to send them to these places. I am sure that in the near future, we shall be able to resolve this issue. It will certainly help in improving our manpower situation at the Primary Health Centres.

Comment [SS1]: Fld by C

SHRI B. SRIRAMULU : Speaker Madam, in our country, there are no proper health facilities for the people who are living in rural areas, particularly, for tribals, dalits and other weaker sections. They do not have any infrastructure to go to hospitals as they live in hilly and forest areas. Understanding their problem, I introduced '108' health service in Karnataka when I was the Health Minister in 2008. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government propose to introduce mobile health services in rural and tribal areas?

DR. HARSH VARDHAN : Hon. Member, I wish to inform you that there is already a provision in our scheme in which we provide at least five mobile

medical units in one district, and if there is a demand from the respective State Government, then these mobile medical units are provided to the districts, particularly, for the hilly and tribal areas or may be those areas that are difficult to reach and for them this condition is further relaxed and we can have a mobile medical unit wherever we want in difficult situations. So, if any State Government feels that there is lack of adequate facility in a particular district like they do not have a sub-centre or a Primary Health Centre, then for that also the rule / condition is relaxed and they can have it there. Otherwise, they can have these mobile medical units at the hill level or at the various levels in the rural area with a relaxed limit. I think that this can address your concern very ably. Thank you.

PROF. K.V. THOMAS : Madam, the health conditions of the fishermen in the coastal areas of the country is very pathetic. Even though, many State Governments have taken measures like mobile units with doctors, etc., still there is lack of modern facilities. Will the Government of India adequately help the State Governments to strengthen the medical services, especially, for the coastal areas in the country?

DR. HARSH VARDHAN : Our facilities are basically on the basis of the various facilities, which are already existing at districts, provided by the Government. Further, help from the Centre is dependent on what the State Government demands from us. They have to give reason; they have to give their logic; and they have to give their explanation. If the hon. Member strongly feels that fishermen are deprived of some health facilities and there is scope of improvement for some facilities that are required in that area, then I would request him to prevail upon the State Government to send us definite proposals. I can assure you that if the proposals are logical and objective and if they will be able to help the fishermen of your area, then we will certainly look into it and ensure all possible help from the Central Government.

DR. M. THAMBIDURAI : Madam Speaker, just now the hon. Minister said that there is shortage of manpower in the medical field. At the same time, he said that

he is going to encourage starting of more medical colleges. I want to know from the hon. Minister as to why the Medical Council is so stringent on the Government Medical Colleges whereas they give relaxation to private medical colleges. If a self-financing private medical college is starting with 115 seats, then they are just taking it and within a short period the already established medical colleges are getting 250 seats. On the other hand, if a very well established Government Medical College like the Madras Medical College, etc. applies for increase in intake, then they are not considering it. Hence, I want to know from the hon. Minister whether the Medical Council will take somewhat lenient view on this issue. The hon. Minister has said that he is going to relax it to increase the intake of Government Medical Colleges instead of private medical colleges. Is this Government going to follow what the previous Government pursued? Are you going to increase the number of seats in the private medical colleges or are you going to increase the intake in Government medical colleges which will solve the manpower problem? It will definitely be helpful to the common man.

Comment [r2]: cd.. by d1 & Q. 61 cd..

DR. HARSH VARDHAN: Speaker Madam, I appreciate the concern of the hon. Member. As far as the relaxation from the Government side is concerned, we have already relaxed a number of conditions for the opening of these medical colleges. For example, there used to be a condition for 25 acres of land. It has been reduced to 20 acres. For big mega cities like Delhi, Kolkata or Chennai etc. that condition is further relaxed up to 10 acres.

DR. M. THAMBIDURAI: My question is different. ... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: Let me complete my answer. Once I complete it, you will be satisfied. For the difficult areas like hills and other places, we have further relaxed the condition that the land could be situated at two places even if they are 10 kilometres away from each other.

HON. SPEAKER: He is asking for Government medical college lecture halls.

... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: That is what I am trying to inform you. Since you have asked me this question, you have to listen to my answer also. As far as the infrastructural facilities within the medical college are concerned, we have been trying to prevail upon the Medical Council that they should focus on the quality of medical education rather than on the size of the lecture theatre or auditorium or the air-conditioning of the lecture theatres etc. We have made it amply clear to the Medical Council of India that the Government is not willing to accept a reduction in the number of seats more particularly in the Government Medical Colleges under any circumstances because it is a question of the future of thousands of medical students of this country. The country is already short of medical manpower and I am sure the Medical Council of India will certainly look into the concerns of the medical students and the Government Medical Colleges. Simultaneously, I also wish to convey to the State Governments to help the Central Government in improving these facilities because there are States where year after year, the Medical Council has been telling them to improve the infrastructure and other facilities. But the request of the Medical Council of India is falling on deaf ears of State Governments. Every time at the time of asking for a recognition they give some undertaking, but once they get the recognition from the Medical Council, they just forget about it. I feel that the hon. Member must also try to convince and persuade State Governments also to act in this matter judiciously. ... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : राज्यों की सारी सरकारों का उत्तर दिया है, जबकि यह मौलिक सवाल है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप पूछ रहे हैं न?

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मामूली सवाल नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मालूम है, बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी ने सारी राज्य सरकारों पर आरोप लगा दिया, आप बता दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बताइये। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ मुलायम सिंह जी, उन्होंने ऐसा किसी एक पर आरोप नहीं लगाया है, बैठिये।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : राज्य सरकारों का नाम लगा दिया, केवल ये ही ईमानदार हैं।... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, this is a question elaborately involving the total health sector, not just concentrated on medical colleges. You have mentioned in your reply that National Rural Health Mission was launched in 2005 to provide accessible, affordable and quality healthcare to the rural population especially to the vulnerable sections. What I want to say Madam is that now few things have emerged in the country which is alarming. These are some diseases which we are known as NPCDCS – National Programme for Prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke.

Comment [k3]: Cd by kmr

Madam Speaker, it is most alarming that India is possibly going to become the world capital of diabetes. China is now in position number one. What we assessed is that at least 14 to 15 per cent of the total population of the country is now suffering from the problem of diabetes. But the National Rural Health Mission has not got much of financial support from Government of India's budgetary proposals so that they could face this problem with greater efficiency. They are suffering a crunch of funds.

I would like to know from the hon. Minister whether under this programme NPCDCS the Government is taking positive care to resist all these diseases from attacking our population down to the grassroots level in the country, or whether the Department is suffering from a crunch of funds in resisting such diseases in a big way?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, in fact the services provided at the various health facilities are not for a particular disease or a particular programme. They take care of the health in its totality. The Non-communicable Diseases Programme is also one of the national health programmes in which we try to treat diabetes, we

try to treat coronary artery disease, we try to treat cancers, we try to treat hypertension. We organize camps for their early diagnosis. And there are various other programmes like this for malaria, tuberculosis and various other vector-borne diseases etc.

I appreciate the concern of the Member in the sense that if we have more money in the health sector, certainly it is always better. But that is why right from the day one as Health Minister I have been stressing and emphasizing that 80 per cent of health is basically dependent on strengthening preventive strategies and strengthening positive health. The issues related to the diseases the hon. Member has mentioned that pertain to hypertension, diabetes, cancer, coronary artery disease, etc., are the issues in which prevention and positive health attitude development is far more important than treating them after the person has got the disease.

So, apart from ensuring the best possible treatment for these diseases, like for example for one of the components cancer we have a scheme in which we are trying to create centres for the treatment of cancer at the national level, at the State level as well as at the tertiary care level. They amount to not one or two but it is something like 60 to 80 all over the country. So, wherever treatment is required, we are focusing on treatment; wherever prevention is required we are focusing on prevention. And in times to come you will see a lot of programmes in which we will be focusing on diagnosis at an early stage of the various diseases so that we can ensure that everybody who has got a disease is diagnosed early and his treatment is started in the system as early as possible.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, there should be a half-an-hour discussion on this.

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए, तो हम कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 62. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत।

(Q. 62)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि 30 जून, 2014 को चीन के साथ शीघ्र संतुलित व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस व्यापार असंतुलन को संतुलित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाना चाहती हैं।

Comment [p4]: Cont by fl.h

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, Speaker, the idea of signing this MoU itself is aimed at setting this trade imbalance to some order. The skewed nature of this trade imbalance is so sharp that if you see the imbalance, it mounts to about US \$ 36 billion in that it is adversely placed for India. We are importing a lot more than what we are exporting to China. As a result, this setting up of these industrial parks themselves are with an intention of getting more investment of China into India. Those commodities which we are buying from China, if through this MoU and setting up of industrial parks with investment from China, if those goods could be produced in India, we do not need to import them. We get an advantage that the investment happens in India and we are able to buy those goods which are produced in India itself. So, this itself is a major step towards redressing the trade imbalance.

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह समस्या लगभग वर्ष 2002 से प्रारंभ हुई है। हम लगभग 10 वर्षों से चाइना से पेन टू पिआनो इम्पोर्ट कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कल यह विषय स्पष्ट किया है कि लोकल मैन्यूफैक्चरर धीरे-धीरे अब ट्रेडर बन गए हैं। वे चाइना से समान मैन्यूफैक्चर करवा कर यहां लाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसके लिए दो प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे। एक लोकल इंडीजिनियस मैन्यूफैक्चरर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। साथ में, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाइना से जो डमिंग होता है - Particularly regarding the quality, इस संबंध में भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें एस.ई.जेड. से ले कर बाकी क्या-क्या स्टेप्स सरकार उठाने जा रही है, जिनके कारण यह इम्बैलेंस दूर हो सके। The industrial park is one way of that but there is so much heavy imbalance. वित्त मंत्रालय और आई.पी.पी. डिपार्टमेंट साथ मिल कर इस संबंध में क्या-क्या करने जा रहे हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The issues raised by hon. Member Shri Kirit Somaiya are very legitimate and these are definite concerns of the Government too.

When I was talking about industrial parks, it is not to say that other steps which have to be taken by the Government are not being taken. They are being taken. There are definitely issues of dumping which are being considered by the Commerce Ministry, on which we are periodically identifying line by line such goods on which duties are being levied.

Madam Speaker, I would also like to remind you that in regard to toxic presence in certain goods like children's play toys and other things, the Government is taking steps to curb imports of those goods which are health hazards, particularly coming from China.

The third issue about which hon. Member Shri Somaiya spoke is about protection to be offered to local manufacturing units. We are certainly sitting and talking with the Finance Ministry also to see what are the ways in which manufacturing which is indigenous could be given additional impetus.

So, your points are well taken, Sir.

MADAM SPEAKER: Very good. Very articulate answer.

(Q. 63)

श्री राजू शेट्टी : महोदय, मंत्री महोदय ने ऋण माफी के बारे में जो जवाब दिया है, इसके बारे में, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यू.पी.ए. सरकार ने बार-बार कहा है कि किसानों को 72000 करोड़ रुपये की ऋण माफी हो चुकी है लेकिन मंत्री महोदय ने यहां सिर्फ 52,259 करोड़ रुपये ऋण माफी की बात की है। मुझे यह पता नहीं लग रहा है कि 20 हजार करोड़ रुपये कहां गए। जिन किसानों को ऋण माफी हुई है उसमें भी बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ी हो चुकी है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ प्वाइंट्स सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सांगली जिले में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, वहां बैंक ऑफ इंडिया ने 920 किसानों को एक प्राइवेट शुगर मिल के तहत 2 करोड़ 30 लाख रुपये का लोन दे दिया था। उन किसानों को पता ही नहीं है कि ऋण माफ हो गया है। बैंक ने उनके केन पेमेंट से पैसा वसूल करके ऋण माफी भी दिखाई है और 2 करोड़ 30 लाख रुपये का घोटाला बैंक ऑफ इंडिया की मिरज ब्रांच ने किया है। मेरे पास दूसरा एक मुद्दा है। कोल्हापुर जिले में ... * नाम का एक किसान है जिसे 0.22 हैक्टेयर में एक करोड़ 25 लाख रुपये की ऋण माफी हो चुकी है और एक किसान ... * जिसे 25 लाख रुपये की ऋण माफी हो चुकी है। नार्मल क्रिएट लिमिट से बहुत ज्यादा ऋण माफी किस तरह हुई, यह पता नहीं क्योंकि ये सारे लोग ... * के कार्यकर्ता हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : मैडम स्पीकर, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सॉरी, पार्टी का नाम नहीं लें। आपने पहले जो कहा, वहां तक ठीक है। आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी : क्योंकि मुझे यह पता है, इसलिए मैंने कहा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं करते। आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी : इस तरह देश में कितने लोगों ने ऋण माफी का नाजायज फायदा उठाया है। इसके बारे में नाबार्ड ने बार-बार इन्क्वारी की। ... (व्यवधान) आश्चर्य की बात यह है कि उन लोगों को तत्कालीन प्रधान मंत्री जी का खत मिला है कि आपका ऋण माफ हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे सदन में इस तरह की लिस्ट रखेंगे कि जिन किसानों की 10 लाख रुपये से ज्यादा की ऋण माफी हो चुकी है, मैं पिछले पांच सालों से यह सवाल उठाता रहा हूँ।...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी : जिन किसानों का 10 लाख रुपये से ज्यादा का ऋण माफ हुआ है, मैं उनकी लिस्ट चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही बोला है कि नाम नहीं लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने तुरंत बोल दिया है कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : सरकार की ऋण माफी की जो योजना थी, उस योजना के तहत फिजिकली एक्जुअल रकम किसी के हाथ में नहीं जाती थी। लोगों ने बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से ऋण लिया हुआ था और सरकार की उस वक्त जो योजना थी, उसके तहत जो बहुत छोटे किसान थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनका पूरा ऋण एक अवधि काल का माफ होना था। जो छोटे थे उनका पूरा ऋण माफ होना था यानी जिनकी एक हैक्टेयर या दो हैक्टेयर जमीन थी और जिनके पास दो हैक्टेयर से ज्यादा थी, उनका 25 प्रतिशत ऋण माफ होना था और 75 प्रतिशत की एक टाइम पर उन्हें रकम देनी थी। इसके तहत बहुत अधिक लोगों ने इसमें अपना ऋण माफ करवाया। इन बैंकों को नाबार्ड, रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी खजाने में से पैसा जाता था। जब इस प्रकार की शिकायतें आईं और विशेष रूप से सीएजी की रिपोर्ट आई, तो इन अनियमितताओं का सीएजी की रिपोर्ट ने विस्तृत रूप से वर्णन किया। यह विषय पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने भी गया जिसने इसका नोट लिया। उसके बाद हर स्तर के ऊपर जांच हुई और जांच में यह पता चला कि हजारों की संख्या में जिन लोगों का ऋण माफ नहीं होना था, उन लोगों ने अपना ऋण माफ करवा लिया या जिनको एक रकम तक करवाना था, उससे अधिक करवा लिया।...(व्यवधान) इसकी जांच के बाद कार्यवाही आरंभ हुई और बड़े पैमाने पर ऐसे हजारों केसेज पकड़े गए हैं जिनमें कार्यवाही हुई। यह बैंक के अधिकारियों के बगैर नहीं हो सकता था। यह बुक एंट्रीज थीं, किताबों के अंदर माफ करना था और फिर बैंक को पैसा मिलना था, तो अभी तक पांच हजार या 411 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो चुकी है। इसमें ऑडिटर्स शामिल थे। ऑडिटर्स कैलकुलेट करते थे कि किसका ऋण माफ करना है, कौन इस कैटेगरी में है। 757 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स इसमें इन्वॉल्व थे

जिनके केसेज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को दिए गए हैं। इसमें 4030 केसेज पकड़े गए जिनमें 22 एफआईआर हैं और क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं। अभी तक 627 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली उन लोगों से की जा चुकी है।

Comment [KR6]: Cd by h

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, स्वाभाविक है कि इसमें बड़ी संख्या में पैसा लेने वाले लोगों की भी एक संख्या होगी। आज वह सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मुझे लिख दें और मैं बैंक्स के माध्यम से उसकी सूची बनवाने का प्रयास करूंगा।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, एक तरफ इस तरह से नाजायज फायदा उठाकर कई लोगों ने इसका फायदा उठाया और दूसरी तरफ टेक्नीकली ऐरर का घाटा कई किसानों को हुआ। महाराष्ट्र में जमीन एकड़ में गिनी जाती है। किसान के पास ट्रेजरार से प्राप्त एक सर्टीफिकेट है, जिसमें 5 एकड़ का मतलब 0. 23 हैक्टेयर होता है, फिर भी 0.2 हैक्टेयर जमीन होने के कारण, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी आदेश दिये हैं कि वे ऋण माफी के पात्र हैं। इस तरह के कई किसान हैं जिनको ऋण माफी का फायदा नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदया, दूसरा मुद्दा यह है कि कई किसान जो समय पर कर्ज का भुगतान नहीं कर पाते, वे अपने कर्ज का रीसेटलमेंट करते हैं, जिसके कारण नार्मल क्रेडिट लिमिट से उनका कर्जा थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या न्यूनतम 5 हजार रुपये से भी कम जिन किसानों ने नार्मल क्रेडिट लिमिट पास कर दिया है, उनको भी क्या ऋण माफी का फायदा मिलेगा।

श्री अरुण जेटली : यह योजना एक सीमित समय तक थी और वह समय पूरा हो चुका है। अब तो केवल जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच और जांच के बाद कार्रवाई की परिस्थिति चल रही है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam Speaker, the extent of involvement in the scheme with which the people were benefited, was around 3.73 crore farmers. We would like to know from the Minister the number of so-called farmers who had actually embezzled public money. From today's reply we have come to know that disciplinary action has been taken against 5411 officials of respective banks. We have little knowledge of the type of disciplinary action which is taken when some officers are apprehended. Show-cause notice is sent. Some are suspended but subsequently, after eight months or one year they are reinstated. I would like to know as to how many of them have actually been removed from service because this involves a very sensitive aspect of our country. They have played with the interest of marginal and small farmers. A letter has been written and 757 Chartered Accountants and Auditors are involved.

When the Public Accounts Committee took cognizance of the C&AG Report, being a Member of the PAC at that time in which several other Members were also there, we were actually trying to ascertain as to who was actually accountable: was it the Reserve Bank of India, the Finance Ministry's Banking Department or whether any nodal officer was there. We would like to understand whether any exemplary punishment has been given. We should also be told about those cases. Filing FIRs is not the only solution. Prosecution is also necessary. Of course, it is gratifying to note that Rs.627 crores have been recovered. We would like to know whether those Rs.627 crores have been put into the loan account or whether some confiscation has actually taken place.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, since the information with regard to each disciplinary action would be very widespread because the banks are spread all over the country, if the hon. Member writes to me I can try and obtain as much information as possible in view of the widespread nature of this information. But with regard to the nature of the complaints which were found in the Audit, the hon. Member is absolutely right, the Audit went into details with regard to how many of those who got it were ineligible. In how many cases, the records were tampered with; in how many cases the eligible farmers were excluded; and this figure also, in each category, runs into a very large number of people. For instance, the audit was conducted with regard to 80299 cases. In this, 6823 were ineligible who were given the benefit. So, it was a widespread menace which had taken place and since it was spread over a large part of the country, the details with regard to which disciplinary action is pending or which criminal case is pending at which stage, is a very large information. It is not available today but if the hon. Member seeks that information and writes to me, I will try and obtain as much information as possible.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, आपने किसान ऋण माफी एवं ऋण में राहत के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मैं गुजरात

Comment [R7]: cd. by 'j'

प्रदेश के अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गुजरात में भी इस साल जैसा मानसून होना चाहिए, वैसा नहीं है। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न जिस संदर्भ में है, वह बताइए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : किसान पूरी तरह से आहत है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि कमजोर मानसून के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा किसानों को ऋण में राहत दिलाने या सरकार ऋण में किसी प्रकार की माफी करेगी, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा।

HON. SPEAKER: I do not think it arises from the main question.

श्री अरूण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना बताना चाहूंगा कि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, इसलिए अगले कुछ सप्ताहों में, जुलाई और अगस्त के महीनों में क्या होता है, इस पर सरकार ने बहुत नज़दीकी से नज़र बनायी हुई है। यदि उसमें कोई भी कठिनाई आती है, तो उससे निपटने के लिए जो भी उपयुक्त कदम होगा, वह सरकार उठाएगी।

SHRI DHANANJAY MAHADIK : Madam, first of all, I would like to object to what माननीय सदस्य श्री राजू शेटी जी ने जो बोला था, क्योंकि किसी किसान के माथे पर यह नहीं लिखा होता है कि वह कौन सी पार्टी का है।

माननीय अध्यक्ष : उसके बारे में तो मैंने बोल दिया है कि रिकार्ड में किसी पार्टी का नाम या किसी का नाम नहीं जाएगा।

श्री धनंजय महाडीक : मैं इस विषय में मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस विषय में बहुत-सी अनियमिततायें हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो चवालिस हजार किसानों की ऋण माफी हुई थी, उनको तीन साल बाद पता चला कि वह माफ नहीं हुआ है। It was around hundred and twenty crores. तो अभी जब तीन साल बाद उनको यह राशि वापस करनी पड़ रही है, तो ब्याज सहित उन्हें दुगुनी राशि वापस करनी पड़ रही है। यदि ऑडिट में कोई दिक्कत है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तो मैं चाहूंगा कि उसका फिर से ऑडिट हो और हमारे किसानों को राहत मिले और जो एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें न मिले, पर इसमें बहुत-सारे जेन्युन केसेज़ हैं, उनकी ऋण माफी होनी चाहिए, क्योंकि किसानों में सरकार के प्रति रोष है। उसके संबंध में मंत्री जी कृपया कार्रवाई करें।

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष जी, यह वर्ष 2008 की योजना थी। वर्ष 2008-2009 में यह ऋण दिया गया था। उसके बाद पिछली संसद में ही पी.ए.सी. ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर इसमें अपना मूल्यांकन किया था। जिन लोगों से राशि वापस ली जा रही है, जहाँ तक मेरे पास रिकार्ड है, ये वे लोग हैं, जिनको

सहायता नहीं मिलनी चाहिए थी और इन्हें गलत तरीके से सहायता मिली है। यदि कोई शिकायत है, तो आप उपयुक्त बैंक को लिखिए और हमें भी उसकी एक कॉपी दे देते हैं, तो हम भी उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करा देंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : उसकी चर्चा भी हो जाएगी। आप नियम के तहत चर्चा के लिए दे दीजिए।

Comment [MSOffice8]: Fld by K1

(Q. 64)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

देश के विजनरी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कल प्रस्तुत किए गए देश के सामान्य बजट में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत चार नए एम्स की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो बहुत ही सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि एम्स की स्थापना के लिए जो जमीन संबंधी मापदण्ड है, क्या सरकार उसमें कुछ ढील देने हेतु विचार करेगी जिससे कम जमीन की उपलब्धता की वजह से इनकी स्थापना में कोई बाधा न आए।

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे जो संस्थान देश में बनाए जा रहे हैं, वे उसी पैटर्न पर हैं जिस पर आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। सरकार की भावना यह है कि आने वाले समय में बनने वाले ये संस्थान उससे भी बेहतर हों। अभी छः आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंप्लीशन की एडवांस्ड स्टेज में हैं और एक इंस्टीट्यूट पर काम पिछले वर्ष ही शुरू हुआ है। इस योजना को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ किया था, जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी देश की स्वास्थ्य मंत्री थीं। उस समय लगभग 150 एकड़ जमीन में ये प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे। अभी स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने एम्स का दौरा करना शुरू किया। अभी तक पटना और भोपाल के एम्स को मैंने जाकर विस्तार से देखा है और अगले सप्ताह मैं भुवनेश्वर के एम्स को देखने जा रहा हूँ। अनुभव यह आया है कि यह 150 एकड़ जमीन भी जो एम्स-लाइक इंस्टीट्यूशन्स की फेसिलिटी डेवलप करनी है, वहां पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स बनने हैं, हर एम्स के अंदर पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल मेडिसिन्स, जेरियाट्रिक्स आदि अनेक डिपार्टमेंट्स बनाकर, एम्स, जिनको हम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े और अच्छे संस्थान से कंपेयर कर सकें, बनाने के लिए हमें 150 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है। पटना और भोपाल में जाने के बाद यह अनुभव मैं आया कि इन दोनों एम्स को 150 एकड़ के ऊपर कम से कम 50 से 75 एकड़ जमीन की और जरूरत है। मैंने स्वयं दोनों स्थानों पर जाकर, वहां के मुख्यमंत्रियों से मिलकर और जमीन देने के लिए निवेदन करके आया हूँ। इसलिए अभी जहां भी नए एम्स बनाने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है, उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को हमने लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि वे हमें कम से कम 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं। उसके साथ-साथ बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा एवं जितनी स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबका वे स्टेट से प्रबंध कराकर दें और उसके संदर्भ में उनके राज्य में जो भी उचित स्थान हो सकते हैं, जानकारी दें। फिर हम अपने विभाग के माध्यम से

उन सारे स्थानों का सर्वेक्षण करके, वहां उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं इत्यादि का विश्लेषण करके, इस बात का फैसला करेंगे कि कहां पर एम्स बनाया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उस क्राइटेरियन को कम करना शायद संभव न हो, क्योंकि उस परिस्थिति में हम लोग जिस प्रकार के एम्स सारे देश में बनाना चाहते हैं और जिस तरह की सुविधाएं हर स्टेट के लोगों को देना चाहते हैं, वह शायद देना संभव नहीं होगा।

श्रीमती जयश्रीवेन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार देश के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का अभिनंदनीय प्रयास कर रही है। कल प्रस्तुत किए गए बजट में आइटम नंबर 56 में नए औसत जांच प्रयोगशाला की स्थापना हेतु केंद्रीय सहायता की बात कही गयी है, उसके तहत मेरा प्रश्न है कि क्या गुजरात में कांगो वायरल तथा ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों के निदान हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है क्योंकि कांगो हैमरेज एक पशुजन्य गंभीर रोग है। देश के बहुसंख्यक किसान इससे प्रभावित होते हैं इसलिए ऐसी प्रयोगशाला की व्यवस्था होना जरूरी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है।

Comment [RS9]: cd. by 11.h

डॉ. हर्ष वर्धन : सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि सारे देश में जहां भी ड्रग्स टेस्टिंग के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए या बीमारियों की रिसर्च के लिए प्रयोगशाला या अन्य सुविधाओं का अभाव है, उस बारे में हम बड़ी गहराई और गम्भीरता से अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा कल आपने वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सुना, उसमें भी सरकार इस विषय को कितनी गम्भीरता से ले रही है, इसका उल्लेख उनके बजट भाषण में की गई घोषणाओं में आने से स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात में अगर इस प्रकार की व्यवस्था में कमी होगी, तो उसे दूर करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी।

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam Speaker, as per the reply given by the hon. Minister, six AIIMS-like Institutes are being set up under PMSSY. We are glad to know that the first and second batch students are already admitted in those Institutes but after taking over charge as the Health Minister, the hon. Minister assured the nation that AIIMS-like Institutes will be set up all over the country and that in each and every State, it will be established. But unfortunately, yesterday, in the Budget speech given by the hon. Finance Minister, Kerala has not found a place in this connection. It is not only that Kerala needs it but many other States also need an AIIMS-like Institute. The Chief Minister of Kerala has met the hon. Minister and informed him that they are willing to set up an AIIMS-like Institute.

The hon. Minister knows the health scenario of Kerala which has already created a great disappointment in the minds of the people of Kerala.

Therefore, Madam, through you, I would like to know from the hon. Minister as to whether he will announce setting up an AIIMS-like Institute for Kerala in this year itself. The hon. Finance Minister is also sitting here. We are expecting a reply from the Finance Minister also on whether an AIIMS-like Institute will be set up in Kerala in this year itself.

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I think the hon. Member has not listened to the statement of the Finance Minister carefully. There were two parts of his statement. He had mentioned that firstly the Government has an intention to set up AIIMS-like Institute in every State. Secondly, he also named four places as examples where we might initiate the process immediately. You will appreciate that if an AIIMS-like Institute has to be formed, it will cost around Rs. 1500 crore for the country.

Our intention is very clear. Firstly, we would like to set up AIIMS-like Institutes in the States which are not having such a facility right now and secondly, they will be completed over a period of five years.

As regards your State, Kerala, about which you are more concerned, I have already written a letter to the Chief Minister of Kerala to finalise a place or suggest us some places where we can have an AIIMS-like Institute. I have already had a meeting with him and his Health Secretary. We have got many suggestions from the hon. Members belonging to Kerala in this regard. They want an AIIMS-like Institute in their own constituency. I can assure that Kerala will also have an AIIMS-like Institute like other States. ... (*Interruptions*) Once I have written a letter to the Chief Minister, it means we have already initiated the process. This process will get completed in the next five years and, in the next five years, you will have an AIIMS-like Institute in your State also. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सबको एम्स चाहिए।

... (*Interruptions*)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Hon. Speaker, will the hon. Minister be pleased to state why Telangana is the only State among all the States in the country where no action is initiated to set up an AIIMS-like Institute. Even in the case of Kerala, you have written a letter but as regards our State, barring the North-Eastern States, no action has been taken in the matter.

I also want to know whether the Minister has taken into cognizance of the ratio of population to the number of medical seats. In Andhra Pradesh it is 60,000:1 and in Telangana, it is 30,000:1. Has the Minister has taken it into consideration before deciding to set up AIIMS-like Institutes and before deciding to give additional medical seats?

Comment [U10]: cd. by m

Lastly, I would like to understand whether Telangana is especially qualified or especially disqualified to have an AIIMS-like institution or additional medical seats.

DR. HARSH VARDHAN: My brief answer is that it is neither especially qualified nor especially disqualified. We are actively considering the various requests of hon. Members. We have decided about Andhra Pradesh because we had concluded that probably Andhra Pradesh is more deficient of health facilities like the AIIMS. That is why we took it first. We will actively review the situation in Telangana also and take a decision accordingly.

(Q. 65)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : The entire issue of FDI in various sectors has acquired a new dimension as per the policy formulations of investment programme delineated by the hon. Finance Minister in his Budget 2014-15 yesterday. The broad parameters and thrust of the FDI programme in various sectors have been indicated in the new Budget.

I would like to ask the hon. Minister to indicate the actual expectation of the FDI inflows in major sectors of the economy, including infrastructure, for the year 2014-15.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, a sector-wise complete detail of the FDI equity inflow in the last three financial years, beginning 2011-12, 2012-13, and 2013-14 and the current year detail of 2014-15 as regards the couple of months are all provided in Annexure I. They contain the complete sector-wise details.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : I would like to mention here the problem related to decline in the FDI inflows. There is a specific case of a foreign company which is trying to invest Rs. 1,500 crore FDI in Pune. The company's name is Mercedes Benz. This is a major automobile company with substantial FDI investment. The project work of this unit has been stuck for the last four months because of the alleged misunderstanding between the Ministry of Environment and Forests and the State authority. The Ministry of Environment and Forests is not able to give proper guidelines to the State authorities, whether this particular company requires environment clearance for construction of more than 20,000 sq. metre of industrial shed. But as per the Government policy, it does not require the clearance for construction of industrial shed.

The FDI is coming from abroad. But lack of understanding between the Ministries causes a problem. ... (*Interruptions*)

I would like to request the Government to be clear about it. I would request the Ministries to coordinate among themselves on the issue of FDI. There is lack

of coordination among the Ministries. That is why a lot of companies are going out of the country.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not in a position to specifically talk about the investment by any one particular investor. But certainly in the last three years the FDI inflows have seen a great lot of fluctuations. If you see the table attached to the reply given, you will find that in the year 2012-13, a drastic fall to the extent of 26.35 per cent had happened. That kind of a drop was so significantly felt by the economy. But, soon, in the next year, there was a marginal, about six per cent, increase in the FDI inflows. So, there has been an up and down kind of a situation – drastic increase and then minor decline, then again a major decline and a small increase. So, these kinds of fluctuations happen because investors take their decisions based on the macro economic situation and investment climate which prevails in a particular country.

Comment [r11]: contd. by NI

12.00 hrs.

Investors also take their decision based on the investment climate which prevails in a particular country. One can always have a debate on whether the policy paralysis and other things influence decision making. But as regards the flows, I would submit that there has been fluctuation more because of macro economic constraints rather than the Inter-Departmental coordination.

HON. SPEAKER: Very good. Next, Shri Kodikunnil Suresh – not there.

Shri Rajeev Satav.

श्री राजीव सातव : महोदया, जब यूपीए की सरकार थी, तब हमने रिटेल में एफडीआई की बात कही थी। उस समय बहुत हंगामा और विरोध हुआ था। अब आपने रक्षा विभाग में, रेलवे में, इंश्योरेंस में एफडीआई की बात कही है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आने वाले पांच साल में सरकार कितने क्षेत्रों में एफडीआई लाने के बारे में सोच रही है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का हिंदी में उत्तर देने का प्रयत्न करती हूँ, चूंकि व्याकरण इतनी अच्छी नहीं होगी। अभी जो शुरुआत हो रही है, वह चर्चा के लिए हो रही है चाहे रेलवे सेक्टर में हो या डिफेंस में हो। अभी चर्चा शुरू हुई है, फैसला कुछ नहीं हुआ है, तय कुछ नहीं हुआ है।

मंत्रिमंडल से और मिनिस्ट्रीज से हम ओपीनियन मांग रहे हैं कि एफडीआई कैसे होना चाहिए या क्या होना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Members, wait for just a minute.... (*Interruptions*) Hon. Members, kindly listen to my full answer.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, I can fully understand the anxiety of the hon. Members who have been talking about FDI that could not move forward. I am fully aware of the presentation made by the hon. Finance Minister in this House. That the DIPP initiated the discussion is a matter of fact. Therefore, I have said that on record.

As regards the 49 per cent FDI in Defence and as regards the 49 per cent FDI which has been mentioned, certainly, mentions have been made by the hon. Finance Minister. The DIPP has initiated the discussion. It is not misleading the House. It is a matter of fact Statement. I can understand the anxiety of the hon. Members concerned. This is definitely a decision of the Government.... (*Interruptions*)

Allowing 49 per cent FDI is a decision of the Government (*Interruptions*) Hon. Speaker, I am answering the question. During interruptions, a point is trying to be scored. I fully respect the input being given by the hon. Members here. But it is a Government decision; 49 per cent FDI has been brought in Defence.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record. Question Hour Over.

(Interruptions) ... *

12.01 hrs

* Not recorded.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 39/16/14)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 218(E) in Gazette of India dated 27th March, 2014 under sub-section (3) of Section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT 40/16/14)

(2) A copy of the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 346(E) in Gazette of India dated 21st May, 2014 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 41/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 42/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 164(E) in Gazette of India dated 8th March, 2014 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 43/16/14)

(2) A copy of the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No.CCI/Amend/Comb. Regl./2014 in Gazette of India dated 28th March, 2014 under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 44/16/14)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Fifth Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./2/85/2014 in Gazette of India dated 28th January, 2014.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./3/86/2014 in Gazette of India dated 28th January, 2014.

(iii) The Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./4/87/2014 in Gazette of India dated 28th January, 2014.

(iv) The Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./5/88/2014 in Gazette of India dated 21st February, 2014.

(v) The Insurance Regulatory and Development Authority (Third Party Administrators-Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./1/84/2014 in Gazette of India dated 28th January, 2014.

(vi) The Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./25/83/2013 in Gazette of India dated 10th December, 2013.

(vii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Web Aggregators) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./22/80/2013 in Gazette of India dated 10th December, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 45/16/14)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) G.S.R. 112(E) published in Gazette of India dated 25th February, 2014 containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 516(E) dated 30th July, 2013.

(ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 189(E) in Gazette of India dated 19th March, 2014.

(iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 190(E) in Gazette of India dated 19th March, 2014.

- (iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 270(E) in Gazette of India dated 7th April, 2014.
- (v) The Foreign Exchange Management (Crystallization of Inoperative Foreign Currency Deposits) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 271(E) in Gazette of India dated 7th April, 2014.
- (vi) The Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 322(E) in Gazette of India dated 7th May, 2014.
- (vii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 323(E) in Gazette of India dated 7th May, 2014.
- (viii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 361(E) in Gazette of India dated 27th May, 2014.
- (ix) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 370(E) in Gazette of India dated 30th May, 2014.
- (x) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 371(E) in Gazette of India dated 30th May, 2014.
- (xi) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 372(E) in Gazette of India dated 30th May, 2014.
- (xii) The Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 374(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2014.
- (xiii) The Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 362(E) in Gazette of India dated 27th May, 2014.
- (xiv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eighth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 400(E) in Gazette of India dated 12th June, 2014.

(xv) The Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 399(E) in Gazette of India dated 12th June, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 46/16/14)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-

(i) The Andhra Bank Officer Employees' (Acceptance of jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. 666/20/IR/420 in Gazette of India dated 8th January, 2014.

(ii) The Andhra Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. 666/3/P/241 in Gazette of India dated 8th January, 2014.

(iii) The Bank of Baroda Officer Bank Employees' (Acceptance of jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. BCC/HRM/IL/105/9355-A in Gazette of India dated 7th January, 2014.

(iv) The Bank of Baroda (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. BCC/HRM/IL/105/9355-B in Gazette of India dated 12th March, 2014.

(v) The Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. 155 in Gazette of India dated 21st May, 2014.

(vi) The Union Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. 8 in weekly Gazette of India dated 28th February, 2014.

(vii) The Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. 1/2013 in weekly Gazette of India dated 11th April, 2014.

(viii) The Canara Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. HRW;IRS:SJ:1:2306:2013 in Gazette of India dated 22nd February, 2014.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 47/16/14)

(7) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 48/16/14)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.123(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to impose safeguard duty on imports of Sodium Nitrite into India at the rate of 30% ad valorem minus anti-dumping duty, with effect from 26th February, 2014 to 25th February, 2015 (both days inclusive) and the rate of 28% ad valorem minus anti-dumping duty, with effect from 26th February, 2015 to 25th May, 2015 (both days inclusive).

(ii) G.S.R.178(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Acetone', originating in, or exported from European Union, South Africa, Singapore and the United States of America, for a further period of five years pursuant to the final findings of the sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iii) G.S.R.179(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Meta Phenylene Diamine, originating in, or exported from the People's Republic of China, for a period of five years from the date of imposition of provisional anti-dumping duty, that is, 22nd March, 2013 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iv) G.S.R.181(E) published in Gazette of India dated 12th March, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty, imposed on imports of Plain Medium Density Fibre Board of thickness 6mm and above, originating in, or exported from the People's Republic of China, Malaysia, Thailand and Sri Lanka, for a further period of one year i.e., upto and inclusive of the 26th day of February, 2015.

(v) G.S.R.193(E) published in Gazette of India dated 19th March, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Red Phosphorous, excluding red phosphorous used in electronic applications, originating in, or exported from, the People's Republic of China, for a period of five years pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(vi) G.S.R.194(E) published in Gazette of India dated 19th March, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on imports of 'Sodium Nitrate', originating in, or exported from the European Union, the People's Republic of China, Ukraine and Korea RP, for a period of six months pursuant to the preliminary findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(vii) G.S.R.280(E) published in Gazette of India dated 11th April, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on imports of Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wells used in motor vehicles, originating in, or exported from the People's Republic of China, Korea RP and Thailand for a period of six months pursuant to the preliminary findings of investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(viii) G.S.R.329(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of "Vitamin-E all forms excluding natural forms", originating in, or exported from, the People's Republic of China for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 26th March, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(ix) G.S.R.330(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of "Flax Fabric", originating in, or exported from, the People's Republic of China and Hongkong for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 25th March, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(x) G.S.R.331(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of "All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester", originating in, or exported from, the People's Republic of China and Thailand for a further period of one year i.e. upto and

inclusive of 25th March, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xi) G.S.R.332(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2014 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 302011-Cus., dated 4th March, 2011.

(xii) G.S.R.337(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, originating in, or exported from, People's Republic of China, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and United States of America for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 21st April, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xiii) G.S.R.342(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of 'Nylon Tyre Cord Fabric', originating in, or exported from the People's Republic of China for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 28th April, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xiv) G.S.R.343(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Peroxisulphates', originating in, or exported from the United States of America and Taiwan, for a period of five years pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xv) G.S.R.344(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Phenol', originating in, or exported from Chinese Taipei and the United States of America, for a period of six months pursuant to the preliminary findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xvi) G.S.R.347(E) published in Gazette of India dated 21st May, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Methylene Chloride", originating in, or exported from the European Union, United States of America and Korea RP, for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, 21st October,

2013 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xvii) G.S.R.391(E) published in Gazette of India dated 9th June, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of Presensitised Positive Offset Aluminium Plates, originating in, or exported from the People's Republic of China, for a period of five years pursuant to the final findings in Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xviii) G.S.R.404(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of 'homopolymer of vinyl chloride monomer, originating in, or exported from the European Union, and Mexico, for a period of five years pursuant to the final findings in Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xix) G.S.R.405(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of 'homopolymer of vinyl chloride monomer, originating in, or exported from the Taiwan, the People's Republic of China, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and the United States of America, for a period of five years pursuant to the final findings in Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xx) G.S.R.414(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of 'all kinds of plastic processing or injection moulding machines', originating in, or exported from the People's Republic of China, for a further period of one years i.e. upto and inclusive of 11th May, 2015, pending outcome of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(Placed in Library, See No. LT 49/16/14)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.121(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 17/2013-CE(NT) dated 31st December, 2013.

- (ii) G.S.R.122(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 18/2013-CE(NT) dated 31st December, 2013.
- (iii) The Central Excise (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 134(E) in Gazette of India dated 1st March, 2014, together with an explanatory memorandum.
- (iv) The CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 135(E) in Gazette of India dated 1st March, 2014, together with an explanatory memorandum.
- (v) G.S.R. 136(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 35/2001-CE(N.T.), dated 26th June, 2001.
- (vi) G.S.R. 137(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe a revised Quarterly Return form to be submitted by specified categories of registrants including importers.
- (vii) G.S.R.201(E) published in Gazette of India dated 21st March, 2014 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 6/2012-CE(NT) dated 13th March, 2012.
- (viii) The Central Excise (Second Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 202(E) in Gazette of India dated 21st March, 2014, together with an explanatory memorandum.
- (ix) The CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 203(E) in Gazette of India dated 21st March, 2014, together with an explanatory memorandum.
- (x) G.S.R.204(E) published in Gazette of India dated 21st March, 2014 together with an explanatory memorandum superseding Notification No. 05/2012-CE(NT) dated 12th March, 2012.
- (xi) G.S.R.106(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2012-CE dated 9th July, 2012.

(xii) G.S.R.90(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-CE dated 17th March, 2012.

(xiii) The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 108(E) in Gazette of India dated 24th February, 2014, together with an explanatory memorandum.

(xiv) G.S.R.139(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to notifying procedure, safeguards, conditions and limitations for grant of refund of CENVAT credit under Rule 5B of CENVAT Credit Rules, 2004 under Rule 5B of CENVAT Credit Rules, 2004 to service provider providing certain services.

(Placed in Library, See No. LT 50/16/14)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R.107(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2013-Service Tax dated 18th April, 2013.

(ii) The Service Tax Third (Amendment) Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 749(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2013, together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R.91(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 51/16/14)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.92(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(ii) G.S.R.93(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.245(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated 13th August, 2008.

(iv) G.S.R.255(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.

(v) G.S.R.105(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 93/2009-Cus., dated 11th September, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 52/16/14)

(12) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Special allowance for In-house Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 334(E) in Gazette of India dated 12th May, 2014 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 53/16/14)

(13) A copy of the Government Securities (Amendment) Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. DGBA.CDD. 5434/11.22.001/2013-14 in Gazette of India dated 2nd April, 2014 under sub-section (3) of Section 32 of the Government Securities Act, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 54/16/14)

(14) A copy of Notification No. S.O. 1424(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd June, 2014, regarding constitution of the Fourteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution read with Section 6 and 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

(Placed in Library, See No. LT 55/16/14)

(15) A copy of the 22nd Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, June, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 56/16/14)

(16) A copy of the Reserve Bank of India Pension (Amendment) Regulations, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. HRMD co. No. 3809/21/01/2012-2013 in weekly Gazette of India dated 18th January, 2013 under sub-section (4) of Section 54 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(Placed in Library, See No. LT 57/16/14)

12.04 hrs**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 14th of July, 2014, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2014.
3. Discussion and voting on Demands for Grants (Railways) for 2014-15.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2014.
5. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment), 2014 and consideration and consideration and passing of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014.
6. General discussion on the Budget (General) for 2014-15.
7. Discussion and Voting on Demands for Excess Grants (General) for 2014-15.
8. Introduction, consideration and passing of related Appropriation Bill.

Comment [r12]: cxd by o1

Comment [a13]: ctd by Santosh kumar gangwar

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए:

- 1) देश में और विशेषकर महाराष्ट्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल के परिसर में फालतू जानवरों का आना जाना बहुत बढ़ जाता है। इससे विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार को सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने की आवश्यकता।
- 2) हमारे अथक प्रयासों के बाद भी मेरे चुनाव क्षेत्र जलगाँव में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी आज तक यहां हवाई यातायात शुरु नहीं हो सका है। जलगाँव की जनता की कई सालों से लंबित इन मांगों को सरकार गंभीरता से लेकर तत्काल इस एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरु कराने की आवश्यकता।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would like to incorporate the following items in the coming week's List of Business:

1. Drought mitigating measures should be taken up as early as May.
2. Tea labourers in various closed tea gardens are victims of starvation deaths.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I want the following points to be included in the List of Government Business for the week commencing on 14th July, 2014:

1. Need to offer moratorium on interest payment for debt stressed States like West Bengal, Punjab and Kerala by giving them a separate package – financial.
2. Need to restore 100 per cent packaging mandatory for jute sacking in food grains, sugar and fertilizer and to increase the same for cement industry packaging.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ दिया जाए:

- 1) राष्ट्रीय नदी गंगा तथा कोसी नदी से भागलपुर जिले में बाढ़ तथा कटान से प्रतिवर्ष लगातार हो रही क्षति से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में चर्चा कराये जाने की आवश्यकता।
- 2) भागलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 106 वीरपुर-विहपुर मार्ग के निर्माण की धीमी रफ्तार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 80 के जर्जर तथा क्षतिग्रस्त स्थिति से नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा की आवश्यकता।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam Speaker, I would like to request you that the following items may kindly be included in the next week's agenda:

1. Construction of Railway Line to the upcoming Kannur Airport; and
2. A cancer Research and Reference hospital of the level of AIIMS should be set up at Kannur, Kerala urgency.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

- 1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सन् 2014 के अन्त तक सभी अवशेष गांवों एवं ढाणियों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए योजना पर चर्चा।
- 2 देशभर के हवाई अड्डों के विस्तार, विकास एवं क्रमोन्नतीकरण के लम्बित प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ने की व्यवस्था की जाए:-

- 1 झारखंड प्रदेश के गिरिडीह लोकसभा के बोकारो जिला में कोनार डैम में जल विद्युत परियोजना शुरु की जाए। मेरे द्वारा यह मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही है।
- 2 गिरिडीह जिले के अंतर्गत मधुबन/पारसनाथ को पर्यटक स्थल के लिए धन मुहैया करवाया जाए और पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

1 बक्सर से पटना जाने वाली एनएच-84 सड़क जो काफी जर्जर स्थिति में है। इससे यातायात में काफी कठिनाई होती है। आम लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। अतएव, जनहित में अविलम्ब एनएच-84 की विशेष मरम्मत के साथ-साथ चौड़ीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाए।

2 भागलपुर में बनने वाली बाईपास सड़क एवं एनएच-80 का पुनर्निर्माण तथा चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से यातायात में काफी असुविधा हो रही है। चम्पानाला पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त है जो भागलपुर की जीवन रेखा (लाइफ लाइन) के रूप में जाना जाता है। वर्षों से एनएच द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण कार्य बंद है जिससे भारी वाहनों का चलना बंद हो गया है। अतएव, शीघ्र निर्माण कार्य जनहित में प्रारम्भ कराया जाए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, the following item be included in the List of Business to be transacted in the next week commencing from 14th July.

“Discussion on the internal civil war in Iraq and deportation of Indian nationals from Iraq and their rehabilitation in India”.

12.13 hrs

**MOTION RE: FIRST REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

HON. SPEAKER: Item No. 7, Shri Santosh Gangwar.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): On behalf of my senior colleague Shri M. Venkaiah Naidu I beg to move:

“That this House do agree with the First Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 9th July, 2014.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the First Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 9th July, 2014.”

The motion was adopted.

12.14 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2011-12

HON. SPEAKER: Item No. 8, Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND

MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 2011-12.

(Placed in Library, See No. LT 58/16/14)

12.14 ¼ hrs.**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
(AMENDMENT) BILL, 2014 ***

HON. SPEAKER: Item No. 9, Shri Ravi Shankar Prasad.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.”

Comment [R14]: Contd. By q1

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

Madam, in my notice I have given the reasons why I am opposing this. This is for the first time a Bill; and before that an Ordinance is being brought in the interest of just one superannuated Government officer and for giving him a Government job. The Telecom Regulatory Authority was set up as a regulator in the telecom industry. It was to have an independent body having control over the whole telecom industry and that is why it was stipulated in the original Bill that after retirement from Chairmanship of the Telecom Regulatory Authority, a person would not be allowed to take up any Government job.... (*Interruptions*) Now, in the interest of just one retired IAS officer, who is to be the Secretary to the Prime Minister, you are taking away the whole of the independence of the Telecom Regulatory Authority. The next man will come and he will kowtow to the Government so that after retirement he will get another plum posting in the Government. That is why this Bill should be opposed tooth and nail at this stage.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Hon. Speaker, I have gone through the Rules in terms of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Kindly refer to Rule 72, under which hon. Member has sought to oppose the introduction. The very narrow window available to the hon. Member is that only the constitutionality of the Bill is sought to be questioned, namely, the Government of India has no such power under the Constitution to bring forward this Bill.

I am reading the proviso of Rule 72;

“Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.”

Therefore, the Government of India has got full power to bring any amendment in law relating to telecom. Telecom and Communications come under the jurisdiction of Government of India. When we go on merits – when the debate will start – the purpose of this whole amendment is nothing but to bring the Telecom Regulatory Authority on parity with Competition Commission, Pension Authority and Insurance Authority. Nothing specific has been done. Therefore, this whole opposition has got no merit in terms of rules and otherwise.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.”

The motion was adopted.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce the Bill.

12.19 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Reason for immediate legislation by promulgation of Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014*

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 3 of 2014).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 59/16/14.

12.19 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE ANDHRA
PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014
AND
ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2014**

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item nos. 11 and 12 together. Shri B. Vinod Kumar.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have called Shri B. Vinod Kumar to speak. Is he there?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have called Shri B. Vinod Kumar. He will speak now.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Vinod Kumar says.

(*Interruptions*) ... *

HON. SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar, you have given a Statutory Resolution.

You have to move that. Are you moving it or not?

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I beg to move:

“That this House disapproves of the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 4 of 2014) promulgated by the President on 29 May, 2014.”

Madam Speaker, there are some reasons why I have moved this Statutory Resolution. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can speak after the hon. Minister.

Now, the hon. Minister.

Comment [A15]: Fd by r1

* Not recorded.

11.07.2014

56

12.21 hrs

At this stage, Shri Balka Suman and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Madam Speaker, I beg to move:

“That the Bill to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 be taken into consideration.”

Madam, it may be recalled that the 15th Lok Sabha had passed the Andhra Pradesh Reorganisation Bill on 18th February and subsequently on 20th February the Rajya Sabha had passed the Bill without any amendments. The Bill received the assent of the President on 1st March, 2014 and hence was notified as Act VI of 2014. ... (*Interruptions*)

Subsequently, it was found that immediate action was necessary to revise the territories of the two successor States before the appointed day of 2nd June, 2014 on which day the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 will come into force. ... (*Interruptions*) Hence an Ordinance was promulgated by the President. I have already given a statement as required under Rule 71 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha to explain the reasons for the promulgation of the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014. ... (*Interruptions*)

The Statement of Objects and Reasons of the Bill gives the rationale in detail. Briefly, this Bill seeks to maintain the continuity of amendments carried out by the Ordinance. ... (*Interruptions*) The Bill seeks to transfer six Mandals in full and two in part of Khammam District to Andhra Pradesh. This will provide a much needed flexibility to the Andhra Pradesh Government to implement the rehabilitation and resettlement (R&R) package of the Polavaram Multi-purpose National Irrigation Project in the identification of areas for R&R. ... (*Interruptions*) It will also provide contiguity in the areas that form a part of Andhra Pradesh for administrative convenience. We have retained the temple town of Bhadrachalam in Telangana and also seen to it that the road to the town remains a part of Telangana. I may mention that most of these areas were a part of the East

Godavari District and were transferred in 1958 to Khammam District. ...
(*Interruptions*)

I may add that the former Prime Minister during the debate during the consideration of the Bill had said that, "I would like to reassure Hon. Members that if any further amendments are needed to facilitate smooth and full R&R for the Polavaram project, they will be given effect to at the earliest. Our government will execute the Polavaram project; let there be no doubt about it." I would like to reassure the House that this Government shall endeavour to realize the dream of prosperity that the Polavaram project would bring to Andhra Pradesh. ...
(*Interruptions*)

With these words, Madam, I commend, The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2014 to this august House for consideration and passing. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Andhra Pradesh Reorganisaiton (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 4 of 2014) promulgated by the President on 29 May, 2014."

"That the Bill to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 be taken into consideration."

Comment [116]: Fd. By s1

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Vinod Kumar.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Vinod Kumar says.

(*Interruptions*) ... *

* Not recorded.

11.07.2014

59

HON. SPEAKER: Mr. Vinod Kumar, do you want to speak or not?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Vinod Kumar, please speak.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 is against the spirit of the Constitution... *(Interruptions)*

The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 had already been notified on 1st March, 2014. So, the State of Telangana was formed on 1st March, 2014 though the notified date was mentioned as 2nd June, 2014.

This Government had brought this Ordinance on 29th May, 2014... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats. The Member from your party is already speaking. I have given him the chance to speak. Do you not want to hear him?

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: He is opposing or whatever it is. Let him speak. So, please go back to your seats.

... *(Interruptions)*

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, I have moved the Statutory Resolution whereas our party is opposing the discussion on the Bill in this House. It is because the Ordinance itself is against the spirit of the Constitution. They cannot issue the Ordinance after the State is formed. They have to follow the Article 3 of the Constitution in order to alter the boundaries of the State... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats. The Member from your party is already speaking. How can I understand what he is speaking?

12.27 hrs

At this stage, Shri Balka Suman and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI B. VINOD KUMAR : So, my contention is that let the Statutory Resolution be discussed first. You cannot club the Bill and the Statutory Resolution together. Let the Statutory Resolution be discussed first. Then only, we will discuss the Bill. It is because I have a case. The State of Telangana was formed on 1st March, 2014

as per the Gazette Notification issued by His Excellency, the President of India. So, on 29th May, 2014, the Government cannot bring an Ordinance. In order to alter the boundaries of a State, they have to follow Article 3 of the Constitution.

The President has to recommend the Bill to the House only after eliciting the views of the respective State Legislatures. So, the Government has not elicited the views of the State Legislatures of Telangana as well as the State of Andhra Pradesh. Thus I want a discussion on the Statutory Resolution first. Then only, we should proceed further into the List of Business.

Therefore, I would request you to have a discussion on the Statutory Resolution first. My request to the hon. Chair is that you cannot club the Bill and the Statutory Resolution together.

HON. SPEAKER: As per convention, we have clubbed these two items. Since you have spoken on the Statutory Resolution, now you may speak on the Bill. That is all. If you do not want to speak, I would call the name of the other Member.

SHRI B. VINOD KUMAR : Let all the parliamentarians know whether the Government can alter the boundaries of a State by bringing an Ordinance. Let all the States know whether the boundaries of a State can be altered by bringing an Ordinance. This is my contention.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

HON. SPEAKER: Now, Mr. Sukhender Reddy.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am on a point of order.

HON. SPEAKER: Under what rule you are raising it? Which rule are you quoting?

PROF. SAUGATA ROY: It is under Rule 123(2) of the Constitution...

(Interruptions)

Comment [r17]: Contd by t1.e

Madam, “(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of Parliament, but every such Ordinance—

- (a) shall be laid before both Houses of Parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those resolutions;”

So, this is the procedure as far as Ordinances are concerned. But what hon. Member, Shri Vinod Kumar has mentioned is an even more important point as to how a State to be formed.

Article 3 of the Constitution says under “Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.

Parliament may by law—

- (a) form a new State;
 (b) increase the area of any State;
 (c) diminish the area of any State;

[Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views...”... *(Interruptions)*

* Not recorded.

So, under article 3 of the Constitution, has the President's recommendation been received for altering the boundary of the State? So, (a), we have to discuss the Statutory Resolution separately.

HON. SPEAKER: No, please sit down.

PROF. SAUGATA ROY: And, then the Minister has to clarify whether the recommendation of the President with regard to the Bill has been received. It is very unfortunate that without obtaining the sanction, without obtaining the approval of the Telangana Government and the Odisha Government, the Government has gone ahead and promulgated an Ordinance. This is bad in law. What is being done will be bad in law and it will be challenged in the Supreme Court. Madam, let us not be misled where the Constitution is violated ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please sit down.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I am replying to the objection raised by Mr. Vinod Kumar.

Hon. Members, Statutory Resolutions and Bills to replace Ordinances have been discussed together before also so as to save the time of the House. There is no rule which bars combining two things, and that is why, I have said Item No.11 and Item No.12 will be taken together.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: We can combine and we have combined them. If you want to speak, you can speak on the Bill itself.

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, I cannot speak on the Bill.

My contention is that the Bill is against the spirit of the Constitution. They have introduced this Bill against the spirit of the Constitution. On the first day, they tried to introduce it on Monday. I raised a question that they did not get the recommendation of the President. Then, the hon. Home Minister had said in the House that they could not get the recommendation of the President and they introduced it on Tuesday. On Monday, they deferred it. My contention is that the

President has not sought or elicited the views of the respective State Legislature to introduce a Bill of such a nature which is altering the boundaries of a State. I mean to say, here they are going to alter the boundaries of two States, that is, the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh. So, my contention is that the Bill does not deserve to be discussed in the House because it does not have the competence to be introduced in this House. Constitutionally, it does not have the competence to be introduced.

HON. SPEAKER: Let me say something.

SHRI B. VINOD KUMAR : Today let the Home Minister and let the Prime Minister defer the Bill and let them come on Monday after discussing it in detail.

HON. SPEAKER: Please sit down. Do you not want my ruling or what? You please sit down.

Hon. Members, Prof. Saugata Roy and Mr. Vinod Kumar also have contended that the Andhra Pradesh Reorganization (Amendment) Bill 2014 has been introduced in Lok Sabha without referring it to the concerned State Legislature in violation of article 3 of the Constitution.

Comment [KR18]: Ctd. By ul

Hon. Members, the Bill has already been introduced. The issue, whether or not, the Bill has been introduced, in violation of Article 3, requires interpretation of the provisions of the Constitution. Hon. Members would appreciate that interpretation of the provisions of the Constitution is primarily the responsibility of the court of law. Also, the point raised does not relate to regulating the business of the House.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I, therefore, rule out the Point of Order and ask Shri Gutha Sukender Reddy to speak.

... (*Interruptions*)

12.36 hrs

At this stage, Shri Balka Suman and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

*SHRI GUTHA SUKENDER REDDY (NALGONDA): Madam, I appreciate UPA-2 and Madam Sonia Gandhi Ji for making 'Telangana', 29th State of our country. Madam, I am opposing this Bill which does not confirm with law. Without knowing the views of Legislative Assemblies of Telangana and Andhra Pradesh the AP Reorganization (Amendment) Bill, 2014 cannot be introduced. It is gross injustice towards Telangana if 7 mandals comprising of 236 villages are illegally transferred to Andhra Pradesh. These Mandals fall under Schedule 5 of our constitution and are inhabited by tribals. This move will violate rights of tribals. This is not in the interests of tribals or the country. Ignoring views of tribals living there will harm our country's future.

Technical committee experts on many occasions advised the Government to change the design of Polavaram Project and save tribals by minimizing the number of villages that may get inundated, but the Government turned deaf ear to the suggestions made by the Technical committee. I request you to kindly withdraw this Bill as I sense bigger conspiracy behind this Bill. It is improper to transfer Lower Sileru Hydel Project with the capacity of 460 MW to Andhra Pradesh.

Hon. Speaker, it is our humble request that as Polavaram Project has been declared a National Project, Union Government should take steps to constitute a Technical Committee to change the design of Polavaram Project and save tribals. The people belonging to these 7 mandals are agitated and are on hunger strike for the last 4 months. Please seek the opinions of the tribals as well as Legislative Assembly of Telangana, before passing this Bill.

Madam Speaker, I request the Union Government to consult Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and Chattisgarh to know their views on this Bill and only after knowing the views of Chief Ministers of these states, the Bill may be passed.

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

It is improper and unlawful to transfer 7 mandals forcibly. I request Hon. Home Minister to withdraw the Bill and consult Chief Ministers of 4 states to know their views.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this is not fair.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you are not listening, I will ask Mr. Minister to

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will stop this.

Yes, you want to say something.

... (*Interruptions*)

*SHRI GUTHA SUKENDER REDDY : Madam Speaker, the Bill may be withdrawn and let the Government consult Chief Ministers of 4 states to know their views. As per Schedule 5 it is the responsibility of Union Government, State Government and the Governor to protect the rights of tribals. Please don't betray tribals and don't betray Telugu people. I request through you to change the design of the project and save tribals' rights.

HON. SPEAKER: Thank you, That is all.

... (*Interruptions*)

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, do you want to say something?

... (*Interruptions*)

12.41 hrs

At this stage, Dr. Sidhant Mohapatra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, we are in a very piquant situation today. The whole House is charged of the matter. The Congress Government initiated the Polavaram Project. The previous Government in Andhra Pradesh also supported the Polavaram Project. We are not against the Polavaram Project *per se*; we are against the arbitrariness in which the height of the Polavaram Project was increased without taking the State Governments of Odisha and Chhattisgarh into confidence. We are opposed to that. Because of that height increase, 307 *adivasi* villages are getting inundated. That is why, this new Ordinance came and this new Bill is coming – just to transfer 307 villages of Chhattisgarh, Odisha and Telangana to Andhra Pradesh. If the height of the project had not been increased, then we would not have any complaint. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Thank you. Now, Dr. Haribabu.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have called Dr. Haribabu.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, a case relating to increase in the height of the project is now pending in the Supreme Court. Now, we are being told that whatever law we make here, it will be interpreted in the Supreme Court and the Supreme Court will decide that. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, it is complete. It is okay. Thank you.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Here, we are for the tribal people of these 307 villages, who will be rendered homeless. ... (*Interruptions*) That is our plea

before you, Madam; that is our plea before this Government and before this House. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, nobody is speaking. You can move the Bill for passing.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not allowing anybody to speak. So, I will have to put the Bill to vote. What can I do?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not allowing the discussion.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar, do you want to speak?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nobody is listening. It is okay.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House disapproves of the Andhra Pradesh Reorganisaiton (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 4 of 2014) promulgated by the President on 29 May, 2014.”

The motion was negatived.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please listen to me.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 be taken into consideration. ”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Madam, I beg to move :

“That the Bill be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

Comment [SS19]: Fld by X

HON. SPEAKER: Now, the Bill is passed.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want the next agenda item to be taken up or not?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.46 hrs

The Lok Sabha then adjourned till *Fourteen of the Clock*.

14.00 hrs.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock.

(Prof. K.V. Thomas in the Chair)

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर, जरूरी और संवेदनशील मामले पर लाना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, देश और सारी दुनिया जानती है कि सिखों के गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंध के लिए एक संस्था बनी हुई है, जिसका नाम एसजीपीसी है। इसके फॉरमेशन के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। गोलियां चलीं, रेल इंजनों के नीचे सिर देने पड़े, तो यह एक्ट बना था। उसका जो एरिया ऑपरेशन था, ...(व्यवधान) वह डेवलप किया हुआ है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह बहुत अर्जेंट मेटर है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You will be given an opportunity. Please take your seat. ... *(Interruptions)*

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा : सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.... *(Interruptions)*

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा : उसका एरिया बना हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। जब देश आजाद हुआ, उस समय जब एक बार सरकार ने दखलअंदाजी की थी, तो मास्टर तारा सिंह और नेहरू पेक्ट हुआ था। आजाद भारत में सबसे पहले किसी के हाथ में हथकड़ी लगी तो मास्टर तारा सिंह के हाथ में लगी थी।...(व्यवधान) उस समय नेहरू जी ने कहा था, ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: please conclude.... *(Interruptions)*

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा : देश के लोगों को विश्वास दिलाया था कि अगर इसमें कोई दखलअंदाजी होगी तो हम एसजीपीसी की मर्जी से... (व्यवधान)

आज मुझे इस बात का खेद है, जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा की सरकार असेम्बली में इसको तोड़ने की बात कर रही है और राजसी लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए डिवीजन क्रियेट करने की बात कर रही है। पिछले समय में पंजाब और देश ने बहुत बड़ा संताप झेला है।... (व्यवधान) Hon. Home Minister should check the illegal and act of the Haryana Government.

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go in record.

*(Interruptions) ...**

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

* Not recorded.

14.02 hrs

**RAILWAY BUDGET(2014-15)-GENERAL DISCUSSION
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 2011-12**

HON. CHAIRPERSON : Now, item Nos. 13 and 14 shall be taken up together.

Motion moved:

“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 12 and 13.”

Demand for Excess Grants (Railways) for 2011-12 submitted to the Vote of the Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Excess Grants submitted to the vote of the House (Rs.)
1	2	3
12	Miscellaneous working expenses	279,85,87,643
13	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	769,61,68,663
Total		1049,47,56,306

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Adhir Ranjan Chowdhury to initiate the debate.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to oppose steadfastly the budget proposals of Indian Railways. But first of all, I would like to draw the attention of the Chairman that at least the Minister concerned is expected to be present in the House when the Railway Budget itself is being discussed.

HON. CHAIRPERSON: One of the Cabinet Members is here. You can continue.... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : It clearly indicates that he is so indifferent.

HON. CHAIRPERSON: We have a tradition and custom. The Cabinet Minister is here. So, let us continue. He has collective responsibility. One of the Cabinet Ministers is here.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given the ruling.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please co-operate. One of the Cabinet Ministers is here.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Cabinet Minister is noting down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am on my leg. Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : We are all experienced people. We have been here for a long time. Our custom in the House is, it is good if the Minister is there but otherwise, his Cabinet colleagues are sitting here and they are taking notes. Please cooperate. Let us continue with the discussion.

... (*Interruptions*)

Comment [k20]: Continued by z1

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Shri Adhir Ranjan Chowdhury can continue.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, this is an important day. Discussion on Railway Budget is starting and the Railway Minister is not present in the House. ... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I formally register my protest that the Railway Minister is absent in the House which I think is lowering the dignity of this august House. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Shri Adhir Ranjan Chowdhury can continue.

(*Interruptions*) ...*

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Let Shri Adhir Chowdhury continue. There are Ministers sitting here.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are all experienced, senior Members. You know the custom of the House, the tradition of the House. The discussion has started. Ministers are there and they are taking down notes.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to cooperate. Let the discussion continue. Shri Chowdhury can continue.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, none of these Ministers is attached with the Railway Ministry.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairman, Sir, can you please permit me to speak? ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Let the Minister speak.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: May I assure the hon. Members, we will have the Railway Minister join us in a few minutes. If you can bear with us, he will certainly come in. I just want your indulgence. ... (*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, I just want your indulgence. He will come in a minute. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Let the discussion continue. You may please cooperate. There is no way out. Senior Ministers are here. They will take down notes.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I suggest to you that till that time the House should be adjourned.

HON. CHAIRPERSON: No, that is not at all possible. The discussion has to continue.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, they are not at all serious. They are totally indifferent. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this is the first day of the debate and both the Railway Minister and the Minister of State know about it. And a former Railway Minister is initiating the debate. Is there any justification in the Ministers being absent? If the Minister comes in at the beginning and then goes out and somebody else takes notes on his behalf, it is acceptable. But it is the beginning of the debate and for the first time he is attending it, and the Minister is not present in the House. This is unfair. You have to tell them. This is not the way.

HON. CHAIRPERSON: Khargeji, I understood your point. But we have already started the discussion. I have given my ruling. Let the discussion go on and the Minister will join immediately. Other Ministers are there.

... (*Interruptions*)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : सभापति जी, मुझे आने में दो मिनट की देरी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं।... (व्यवधान)

Comment [MR21]: Fd by a2

HON. CHAIRPERSON : He has apologised but my suggestion to the Ministers concerned is that Ministers should be on time. That is the proper way.

... (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, before the Railway Budget discussion, please allow me for one minute. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Not now.

... (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, the Andhra Pradesh Reorganisation Bill has been introduced unconstitutionally. So, from the TRS party, we are walking out.

14.11 hrs

At this stage, Shri A.P. Jithender Reddy and some other hon. Members left the House.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Mr. Chairman, Sir, may I be allowed for one minute? I would like to assure the House that your direction is fully respected and honoured. We would follow it and I will definitely convey the message to the Railway Minister. I assure you that this will not recur. ... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I would like to thank the hon. lady Minister. The Minister of State is here but the Cabinet Minister is not here. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Let the discussion continue.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Chowdhury, you start now.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down. Do not disturb.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Thank you, Sir.

Sir, I rise to steadfastly oppose the Budget proposals that have been presented by the Railway Minister. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is so bad. Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are going beyond the limit. Do not repeat this. This cannot be accepted. Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Chowdhury, the Railway Minister has come.

THE MINISTER OF RAILWAYS(SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Chairman, Sir, I apologise for the delay. Due to some other work, I could not come earlier. I apologise for that.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I must be thankful to the hon. Railway Minister as he has sought apology for being late. However, it is clear that the morning is the harbinger of the day and so the indifferent attitude of this Government is the mirror of the future governance.

Sir, I oppose steadfastly the Budget Proposals of the Railways not merely for the sake of opposition but the fact is that the Budget proposals are ill-prepared, simply fraught with wild dreams and void of any distinct direction.

We all appreciate the fact that Indian Railways is recognised as the third largest railways in the world. It is virtually a nation within a nation. It attaches with the culture and civilization of the great country, India.

Comment [R22]: CONTINUED BY B2

I would like to quote Louis Stevenson:

“Faster than fairies, faster than witches,
Bridges and houses, hedges and ditches;
And charging along like troops in a battle
All through the meadows the horses and cattle:
All of the sights of the hill and the plain
Fly as thick as driving rain;
And ever again, in the wink of an eye,
Painted stations whistle by.

Sir, this is the experience which we can gather easily when we ride the Railways. Here, the hon. Minister has exhorted in his initial speech, ‘that in the happiness of the people lies, the ruler’s happiness.’ He has quoted Kautilya.

I would also like to quote a few lines from Kautilya. ‘An unlearned King can be made to follow the right action, provided he be guided by good advisors. A deviant King, on the other hand, is always bent on acting contrary to the right teachings, and by his injustice, ruins the kingdom himself.’

Sir, first of all, I would like to suggest to the hon. Minister that if he just goes through the Budget papers of his predecessors, namely, Shri Bansal and Shri Mallikarjun Ji, he will himself find out that there is nothing new in what is presented by him.

I would like to point out to the hon. Minister that there are various inconsistencies and factual mistakes in his Budget speech of 2014-15. He has mentioned that 99 projects were sanctioned by the UPA Government during the last ten years, and only one has been completed during 2013-14. I would like to enlighten him that out of these 99 projects which were sanctioned in the last years, during 2013-14, as many as four projects were fully completed, including three new line projects – one projects in Rajasthan and two in North Eastern Region. Actually, 46 out of these 99 projects are about to be completed or near-completion.

Comment [r23]: Cd C2

You had also entrusted the responsibility of authority with the Railway Ministry during your past NDA regime. Have you gathered any information regarding your performance during the past NDA regime? One new line project is supposed to be completed in a span of more than five to ten years because there are problems with regard to land acquisition, local law and order situation and environmental clearance. So, you will have to consume a considerable time before completion of any project. However, out of 99 projects 46 are about to be completed and linking of 1542 kms of track has been completed as part of the completion of new line, gauge conversion and doubling projects.

You have cited the fact that the on-going projects should be prioritised. We are all in agreement with you. An impression has been created that most of the on-going projects do not have proper rate of return and it is better to discard them so as to save revenue and other expenditure. During UPA regime we had judiciously prioritised 368 projects while keeping in view the operational requirements, social desirability and State-wise fair distribution of resources.

You have criticised the new lines and gauge conversion projects on the pretext of lower rate of return. While the reality is that the new lines and gauge conversion projects used to contribute immensely to the incremental loading of freight and providing goods and services to the far-flung areas of our country.

You are proud of being a Railway Minister and you have stated that the Indian Railways has joined the one billion tonne club after USA, China and Russia. You have also suggested to be the first in the coming days and I must appreciate it. But without enhancing the capacity and without network augmentation, is it possible to reach the destination of the largest freight bearing country in the world? It is not.

In the year 1991-92, the Government had initiated the uni-gauge policy and as a result of uni-gauge policy, the total track kilometre has grown by almost 50 per cent from 70,000 kilometres to 1,15,000 kilometres. This is because of the thrust on gauge conversion under the uni-gauge policy of the Indian Railways and

Comment [R24]: cd. by 'd2'

doubling of the existing lines for capacity augmentation. Doubling and gauge conversion contribution as a percentage of the total capacity addition was 91 per cent in the Eighth Plan period; 82 per cent in the Ninth Plan period; 84 per cent in the Tenth Plan period; and 75 per cent in the Eleventh Plan period.

However, presently 8700 route kilometre of the network is metre gauge or narrow gauge, out of which, works for conversion of 5800 kilometres to broad gauge have already been sanctioned. In the 12th Five Year Plan, the Indian Railways have envisaged an addition of 4000 kilometres of new lines; 5500 kilometres of gauge conversion; 7653 kilometres of doubling; and 6500 kilometres of electrification to augment capacity for achieving higher growth. Here in your Budget Speech, you are envisaging for a near total plan holiday. What does it mean? चुनाव से पहले हिन्दुस्तान की आम जनता को आपके प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें सरकार बनाने दो, हम चाइना जैसी रेलगाड़ी हिन्दुस्तान में चलायेंगे। आपने आते ही कह दिया कि हम प्लान होलीडे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं। प्लान होलीडे का मतलब यह होता है कि आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ... (व्यवधान) आपने बताया कि 368 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमें 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यूपीए सरकार ने 368 प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज किया था, जिसमें हमने 1 लाख 78 हजार 216 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। यह हम किसलिए करते थे। हमारे दो विचार हैं—एक, आपरेशनली रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए और दूसरा बैकवर्ड रीजन की कनेक्टिविटी के लिए भी हमें मदद करनी चाहिए। यह यूपीए सरकार की होलेस्टिक एप्रोच थी। 368 प्रोजेक्ट्स में जहाँ आपरेशनल फिजिबिलिटी ज्यादा है, वहाँ हम लोगों ने ज्यादा राशि दी थी। जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ के लिए भी हम लोगों ने कुछ राशि आवंटित की थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप यह कहने के लिए आये हैं कि हम गेज़ कंवर्ज़न नहीं करेंगे, नयी लाइन नहीं बिछाएंगे। सिर्फ डब्लिंग आपके प्रायोरिटी में है। इसका मतलब यह है कि आपके रहते हुए हिन्दुस्तान के किसी नये पिछड़े इलाके की कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि नयी लाइन हो, आप नहीं चाहते हैं कि गेज़ कंवर्ज़न हो। जिस बात का मैंने जिक्र किया था और जैसा कि आपने कहा है कि पाँच लाख करोड़ राशि की जरूरत होगी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे तय किया कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए पाँच लाख करोड़ राशि की जरूरत होगी। इसका क्लेरिफिकेशन आपके बजट में नहीं है। हम लोगों ने 368 प्रोजेक्ट्स के लिए एक लाख अठहत्तर हजार करोड़ रुपये की राशि तय की थी। मुझे लगता है कि सही डाटा और जिससे आप लोग सलाह लेते हैं,

Comment [R25]: Cd by e2

वे सही ढंग से आपको सलाह नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम डायमंड क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे, एक जगह गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कहा गया था।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, your Party has been allotted 50 minutes. You have already taken 20 minutes. There are other Members also from your Party who would speak on the Railway Budget.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह तय किया गया है कि यह सारा पैसा एफ.डी.आई. से लाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से लाएंगे और नहीं तो पी.पी.पी. मॉडल से लाएंगे। ये तीनों इनके रिसोर्सेज हैं। एक तो प्राइवेट, दूसरा पी.पी.पी. और तीसरा एफ.डी.आई। I would like to inform the hon. Minister that the resources that are proposed to be mobilized have not been reflected in your Budget proposals. आपके प्रोजेक्ट प्रोपोज़ल में कहाँ लिखा हुआ है कि एफ.डी.आई. से इतना पैसा लिया जाएगा। आपने यह नहीं लिखा। सारी दुनिया में देखा जाए, तो पी.पी.पी. मॉडल रेलवे में कहीं सेक्ससेफुल नहीं हुआ है। आप हर वक्त चीन की बात करते हैं। चाईना मॉडल, आपके लिए आइडियल मॉडल है, यह जानकारी सबको हो चुकी है। लेकिन चाईना ने भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार की तरफ से भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया। आप चाईना को फॉलो करते हैं, लेकिन चाईना ने किस ढंग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वह आप सीखना नहीं चाहते हैं। यह आप सदन को बताइए कि वह कौन-सा देश है जो ये नौ लाख करोड़ रुपए की राशि आपके डायमंड क्वाड्रिलैटरल में लगाने के लिए तैयार है। आप नौ लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। आपने कहा था हमें कि हम लोग सोशल सेक्टर की बात करते हैं, सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं, इसलिए हम लोग डिलेमा में फंसे हैं, डिकेड लांग गोल्डेन डिलेमा में फंसे हैं between commercial viability and social viability. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि Are you being infected by diamond conundrum for choosing between glittering promises and glimmering reality? कहां से लाएंगे आप नौ लाख करोड़ रुपये। इतनी बड़ी राशि कहां से लाएंगे। बुलेट ट्रेन चलाएंगे आप, अच्छा है चलाइए बुलेट ट्रेन। लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए आपने सिर्फ 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आप कहते हैं कि इसमें 60,000 करोड़ रुपये लगेंगे और दे रहे हैं केवल 100 करोड़ रुपये, तो बाकी पैसे कहां से आएंगे। ऐसा न हो कि यह 100 करोड़ रुपये भी इनफ्रक्चुअस बन जाएं।

There is no reference of any efficient safety measures in your Budget proposals. On the one hand, you are talking about running bullet trains. May I know from the hon. Minister as to what constitutes a bullet train? It has not been

mentioned here as to what constitutes a bullet train. You may run bullet train; you may run missile train. It is upto you. But at least, we have the authority to know as to what constitutes a bullet train.

We know about high speed railway corridor. That was proposed by the UPA Government. We are not averse to any PPP model. The 12th Plan had indicated a target of Rs. 1 lakh crore to be generated through PPP. But what are the purposes mentioned in this regard? The areas identified include port connectivity, production units, elevated rail corridor, private freight terminals, station development, high speed corridor, dedicated freight corridor, logistics parts and certain electrical works. In the past, port connectivity has been implemented for Mundra, Pipavav, Mangalore, Kandla, Dahej, Dhamra and Krishnapatnam Port through involvement of ports and other stakeholders. In principle, clearance has also been given for implementing rail connectivity to the ports of Jaigarh, Ashtaranga Rewas, Dighi and Hazira Port under the Participative Policy of 2012. We have clearly defined the way to mobilise our resources. We have adopted five models under Participatory Policy. They are non-Government private line model, joint venture, capacity augmentation through funding by customer, BOT system and capacity augmentation to annuity model. Here, you will find a rational approach for all our projects. On the one hand, you are talking about bullet train but the primary need or the primary requirement before running any bullet train is to consider foolproof safety measures. You have not mentioned any anti-collision measures. However, ACD was first proposed by our Government but you are deviating from ACD. Now, during the UPA regime, our Government took the initiative for further safety measures under corporate safety plan for TPWS or TPS devices.

We proposed to follow European train control systems. But everything is absent in your Budget. Through your Budget, you have strived hard to at least imitate most of the proposals prepared by our regime, which are convenient to you, but failed to deliver any perspective plan, any long-term roadmap to the common

Comment [U27]: cd. by g2

people. You are simply living in a make-believe world. I would suggest to you to come out of the make-believe world and start living in the real world. Otherwise, people will be laughing as you are going to mobilise Rs. 9 lakh crore for Diamond Quadrilateral project.

That is why, I very stridently oppose the Budget proposals. It is nothing but hoodwinking common people; it is nothing but deceiving the common people by abnormal and inflated proposals which are far from reality. However, I wish the Railway Ministry a brilliant success. But God only knows whether it would be possible under the make-believe world you are living in.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी कुछ दिन ही पहले एनडीए सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यभार सम्भाला है। तीन दिन पहले हमारे रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट पेश किया। सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस रेल बजट को बनाने के लिए कितना समय हमें मिला है। जब हम रेल की बात करते हैं तो हमें विचार करना पड़ता है। आज हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी भी प्रदेश में भ्रमण करें, छोटे या बड़े शहरों में जाएं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, यात्रा का सबसे सुगम मार्ग रेलवे ही है।

महोदय, रेलवे का जो नेटवर्क है, वह गांव को शहर से और शहरों को शहरों से ही नहीं जोड़ता, बल्कि इस देश में हरेक भारतीय को दूसरे भारतीय के साथ जोड़ता है। एक दिन में दो करोड़ से अधिक लोग रेल की विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करते हैं। हम कह सकते हैं कि रेलवे वास्तव में यात्रा करने वालों को भारत दर्शन कराता है, जहां विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है।

यह भी सच है कि भले ही अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल प्रारम्भ की हो, लेकिन भारत की स्वतंत्रता और देश के विभाजन से लेकर आज तक इस देश की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान भारतीय रेल ने दिया है। यह न केवल एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। करीब 15 लाख से अधिक कर्मचारी इसमें हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल न केवल देश के आर्थिक विकास में सहयोगी है बल्कि यह देश को जोड़ने वाली विचारधारा है। पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि हमारी 171 वर्ष पुरानी रेल अब विस्तार चाहती है। लगभग 65187 किलोमीटर में बिछी हुई रेल पटरियां और उस पर चलने वाली लगभग 12617 पैसेजर्स ट्रेन्स और 7421 मालगाड़ी ट्रेन्स हमारी रेल को विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाती हैं। लेकिन आज की तेज गति जिंदगी के बदलते हुए विश्व परिदृश्य में भारतीय रेल को भी आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और विश्व स्तर की सुविधाएं चाहिए। हम बातें चाहें कितनी भी करें, लेकिन यह सच्चाई है कि अमरीका, चीन, जापान जैसे देशों में जहां बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, हाई-स्पीड ट्रेन्स चल रही हैं वहीं पिछले वर्षों में भारतीय रेल अभावों और दुर्घटनाओं का प्रतीक बनकर रह गयी है।

महोदय, आज भी इस देश में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमें रेल पहुंचाने की आवश्यकता है। पिछले दस सालों में हम कह सकते हैं कि इसकी जीवनधारा को जर्जर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आज हम भारतीय रेल का कायाकल्प करना चाहते हैं। आपकी बनाई गयी जर्जर स्थिति से इसे बाहर निकालना चाहते हैं। यह भी चाहते हैं कि देश के विकास के साथ भारतीय रेल कदम-ताल करे और ऐसा करने के लिए आपकी सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो रेल भाड़ा वृद्धि का प्रस्ताव था, जब उसे हम लागू करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। बहुत सारी बातें यहां माननीय अधीर रंजन जी कर रहे थे। मैं पूछना

Comment [j28]: cd. by h2

चाहता हूँ कि आजादी के 60 सालों तक आपकी सरकारें यहां पर रही हैं। ... (व्यवधान) मैंने 67 सालों में से 60 साल बोले हैं अगर आपको दो-चार साल और घटाने हैं तो घटा लीजिए। आप 55 साल तो मानेंगे? इन 55-60 सालों में आपने रेलवे के सुधार के लिए कितनी समितियां बनाईं, ये भी आपको याद नहीं होगा। उन समितियों की जो रिपोर्ट्स हैं वे भी किसी कूड़ेदान में आपकी सरकारों द्वारा फेंक दी गयी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1960 में आपने कुंजुरु समिति बनाई लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। वर्ष 1968 में वांचू कमेटी बनी, वर्ष 1978 में सीकरी समिति बनी, वर्ष 1998 में खन्ना समिति बनी और वर्ष 2011 में आपकी ही सरकार के द्वारा काकोडकर समिति बनाई गयी, फिर पित्रोदा समिति बनी थी, लेकिन इन सबकी सिफारिशों का क्या हुआ? वे सारी सिफारिशें आपने ठंडे बस्ते में डाल दीं। आधुनिकीकरण और विकास की सिफारिशों वाली समितियों की रिपोर्ट्स को आप छोड़ दें, लेकिन देश के भीतर सर्वाधिक सुरक्षा पर चिंता करने वाली जो काकोडकर समिति की रिपोर्ट थी उससे भी आपने कुछ नहीं सीखा। कई सारे आंकड़ों के बारे में अभी चौधरी जी कह रहे थे। ये काकोडकर समिति की रिपोर्ट है जो वर्ष 2012 में आई थी जिसमें कहा गया था कि आगामी पांच सालों में सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए ही सिर्फ आपको एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आपने इस सिफारिश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम आज रेलवे के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं।

Comment [129]: Cd by J2

पित्रोदा समिति आधुनिकीकरण के लिए ही बनाई गई थी। उसने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय रेल को भविष्य की रेल अगर बनाना है तो इसके लिए 8 लाख 39 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है लेकिन यहां भी आपने कुछ नहीं किया। आप देश के और भारतीय रेल के विकास के साथ केवल समझौता करते रहे। काकोडकर समिति का जो गठन हुआ था, दिनेश त्रिवेदी जी ने किया था, आपकी सरकार थी। आपने सिफारिशें लागू नहीं कीं, लेकिन त्रिवेदी जी को बाहर कर दिया। फिर पवन बंसल जी आए, मेरे सामने खड़गे जी बैठे हैं ये आए, लेकिन ये रेलवे की हिफाजत करने के बदले अपनी कुर्सी की हिफाजत करते रहे। इस कारण रेलवे दुर्दशा की स्थिति तक पहुंच गई। इससे अधिक चिंता की बात इस देश में क्या हो सकती है कि अभी-अभी जो सरकार बनी है, उस सरकार को आजादी के 67 साल बाद यह कहना पड़ रहा है कि हम रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी, प्लेटफार्म शेल्टर और शौचालयों की व्यवस्था करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। आज हमें विकास की बात छोड़कर सबसे पहले जो हमारा महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसे तैयार करने की बात करनी पड़ रही है। इन 67 सालों में से 60 सालों में आपने क्या सुविधा रेलवे को दी है, उसका स्तर ऊपर उठाने के लिए आपने क्या किया है। इससे बड़ा प्रमाण इस देश में और क्या हो सकता है कि आज पैसा दे कर भी रेल में यात्री स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं ले सकता है। इसलिए यह मजबूरी है और माननीय रेल मंत्री जी को अपने बजट में कहना पड़ा कि कम से कम लोगों को अच्छा हाईजीनिक भोजन मिले, इसके लिए अच्छे ब्रांड का रेडी टू ईट

भोजन उपलब्ध कराएंगे। आपने इन साठ सालों में क्या किया। दुनिया का यह चौथा रेलवे नेटवर्क है, जिसे आपने साठ सालों में कहां पहुंचाया है। आप आज इस बजट की आलोचना कर रहे हैं।

महोदय, वर्ष 1853 में पहली ट्रेन चली थी। भारत जब आजाद हुआ तब 1951 में पटरियों की लम्बाई 53596 किलोमीटर थी। उस समय चीन में मात्र 27 हजार किलोमीटर पटरियां थीं, लेकिन आपको पता होगा कि आज चीन की क्या स्थिति है। अभी-अभी आप कह रहे थे कि हमें चीन का मॉडल पसंद है, हमें चीन का विकास पसंद है। हमें चीन का मॉडल पसंद नहीं है, हमें दुनिया के किसी देश का मॉडल पसंद नहीं है, हमें केवल एक ही मॉडल पसंद है और वह विकास का मॉडल है फिर चाहे वह दुनिया के किसी भी देश का मॉडल क्यों न हो इसलिए हम विकास की बात करते हैं। हम जब किसी मॉडल की बात करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है। हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, आपको सच्चाई बता रहे हैं।... (व्यवधान) हमने गुजरात मॉडल की बात पहले ही कही है। गुजरात मॉडल की भी हमने बात कही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा था कि न सिर्फ गुजरात मॉडल बल्कि देश के तमाम जो दूसरे राज्य हैं, उनका मॉडल भी स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं है। आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, इस मॉडल के कारण ही आप यहां बैठे हैं। आप आज एक पूरा ब्लॉक भी भरने की स्थिति में नहीं हैं। आपने आजादी के बाद से विकास के लिए क्या किया। मैंने बताया कि अंग्रेज कितनी पटरियां बना कर छोड़ गए थे। आपने केवल 11 हजार अतिरिक्त पटरियां बनाईं और चीन 78 हजार किलोमीटर पटरियों के साथ तिब्बत तक पहुंच गया और आप देखते रहे। फिर भी आप कहते हैं कि हम चीन की या चीन के मॉडल की बात करते हैं। आपने साठ सालों में कुछ नहीं किया। सौगत जी, अभी आप भी कह रहे हैं कि आप करें। आपने साठ सालों में कुछ नहीं किया और आप हमसे चाहते हैं कि हम छह हफ्तों में सब कुछ करके दे दें। हम करके दिखाएंगे, जो कहा है सदन के भीतर उसे करके हम दिखाएंगे और जो हमने करके दिखाया है तथा देश इस बात का गवाह है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा था वह करके दिखाया और इसलिए आज हम बहुमत के साथ यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं।

Comment [i30]: cd.

हम पश्चिम बंगाल भी बनाने को तैयार हैं। आप वहां की अच्छी बातों को लाइए। हम उनको भी फॉलो करेंगे। ... (व्यवधान) सभापति महोदय, काकोडकर समिति ने जो कहा था, दुर्भाग्य है कि वहां बैठे हुए लोग ... (व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ... (व्यवधान) वहां के लोग जब इस तरफ बैठे हुए थे तो आप कितने अहंकार में थे कि देश की सुरक्षा के साथ किस तरह आप खिलवाड़ कर रहे थे। काकोडकर समिति ने कहा था कि हर वर्ष कम से कम 15 हजार लोगों की ट्रेन से कटकर मौत होती है और यह भी समिति ने कहा था कि वर्ष 2010 में पूरी दुनिया में जो पचास बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, उनमें से केवल 14 भारत में हुई थीं और उस समय आपकी सरकार थी। लेकिन आपने सीखा क्या? आपने सुरक्षा मद की दिशा में क्या व्यवस्था की और जो किया, मेरे ख्याल से आपने 2 रुपये 86 पैसे के आसपास प्रति यात्री सुरक्षा मद

में प्रावधान किया था। लेकिन वर्ष 2012-13 में जो सुरक्षा मद में आपने आबंटन किया था, वह राशि भी खर्च नहीं कर पाए। यह 'कैग' की रिपोर्ट कहती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? हम बताना चाहते हैं कि अभी आपने कहा था कि पांच साल के लिए हम आए थे। एनडीए की सरकार थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधान मंत्री थे। 2003 में उस समय हमने कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान की शुरुआत की थी। यह बात हमने रेल और इस देश की सुरक्षा की भावनाओं का ध्यान रखते हुए की थी। दस साल में दो चरणों में उसको पूरा होना था लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि 31835 करोड़ रुपये के फंड के साथ जो सेफ्टी प्लान शुरू हुआ था, उसका पहला चरण 2008 में भी पूरा नहीं किया जा सका जिसके तहत पुरानी रैलिंग्स और पटरियों को बदला जाना था।

दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर कितने संवेदनशील आप हैं। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सेफ्टी प्लान कहां लाए हैं?

श्री राकेश सिंह : हम सब कर रहे हैं। आप चिन्ता मत करिए। अभी 6 सप्ताह ही हुए हैं। 2004 में यह तय हुआ था कि 2009 तक 5000 ट्रेन्स में फायर एलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं और सारा सदन इस बात को सुन रहा है कि 2010 में केवल प्रयोग के तौर पर आप केवल एक ट्रेन में ही उस सिस्टम को लगा पाए। इस बात का कोई जवाब आपके पास हो तो आपके वक्ता इस बात का जवाब देंगे।

आज ट्रेन्स में क्या हालत है? ट्रेन्स की स्थिति सफाई के मामले में बहुत ही खराब है। आप जब इधर बैठे हुए थे तो आपके ही एक मंत्री ने रेलवे को कहा था कि यह खुला शौचालय है और आप सभी उन मंत्री जी का नाम भी जानते हैं। लेकिन किया क्या? रेलवे में साफ-सफाई हो, स्वच्छता हो, यह खुला शौचालय रेल इस देश में न रहे, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? हम माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी गोड़ा जी को बधाई देना चाहते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों और बजट की स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस देश में भारतीय रेल के लिए सबसे अधिक आवश्यक साफ सफाई के लिए बजट आबंटन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है ताकि हमारी भारतीय रेल 21वीं सदी में दुनिया के सामने शर्म का कारण न बने बल्कि इसकी गरिमा को हम स्थापित कर सकें।

60 सालों तक इनकी सरकारें रही हैं लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर बैठे हुए तमाम माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज़ादी के इतने साल बाद तक भी हम थोड़े समय पहले भी इस बात की गारंटी किसी को नहीं दे सकते थे कि यदि कोई वैलिड टिकट लेकर यात्रा कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी की जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले सकता था और महिलाओं के मामले में तो यह जोखिम चरम पर पहुंच गया है।

हममें से सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज भी अगर किसी के परिवार की महिलाओं को अकेले यात्रा करनी हो तो उस बारे में बहुत सोचना पड़ता है। सुरक्षा के मामले में आपने क्या कदम उठाए? आप हर बार के बजट में केवल इतना ही करते रहे और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे तथा सुरक्षा बलों की कमी का बहाना बनाते रहे। हम माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं की भावनाओं का सम्मान किया।

Comment [a31]: ctd by l2

15.00 hrs.

देश की जनता की सुरक्षा की चिंता की और इसलिए एक साथ 17000 रेल सुरक्षाबल कांस्टेबल और 4000 महिला कांस्टेबल की भर्ती का निर्णय किया। यह पहली बार हमने कदम उठाया। यह आप भी कर सकते थे, आपको यह करने के लिए किसी ने रोका नहीं था। लेकिन आपके मन में कोई संवेदनशीलता नहीं थी।

यह पहली बार है जब किसी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेल भाड़ा और यात्री किराए में वृद्धि का फैसला किया है। बजट से पहले ही सही लेकिन इस देश के लिए अनिवार्य कदम था। इस कदम को उठाने के लिए जिस साहस की आवश्यकता थी, साहस का कदम केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लिया जा सकता था। उनके नेतृत्व में ही साहसिक कदम उठाया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि आपने वृद्धि नहीं की लेकिन आपने पिछले दरवाजे से वृद्धि की है। यूपीए सरकार ने जो वृद्धि की है वह पीछे के दरवाजे से की है। यह साहस उनके भीतर नहीं था। सभी को याद होगा कि पैसंजर ट्रेनों को

सुपरफास्ट घोषित कर दिया था और एक साथ 20, 30, 40 और 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। आज भी लोग याद करते हैं कि जिन ट्रेनों को सुपरफास्ट घोषित किया गया था उनमें और पैसेंजर ट्रेनों में क्या अंतर है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश में तब-तब रेलवे विकास के बारे में सोचा गया है जब-जब इस देश के भीतर एनडीए सरकार बनी है या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है।

15.02 hrs.

(Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

हमारे पास प्रमाण हैं, तथ्य हमारे पास हैं। रेलवे के पास एलएचबी कोच, रोलिंग स्टॉक, फेयर ब्रेक प्रणाली, मॉडर्न ट्रेकपिट स्लीपर, लांग वैल्वेयर रेल, मॉडर्न लोको इंजन, मॉडर्न रूट रिले इंटरलॉकिंग, टैक्स सिग्नलिंग सिस्टम और पैनल इंटरलॉकिंग सब तकनीक 20 से 25 साल पुरानी हैं। आज छोटे-छोटे देशों में भी मालगाड़ियां 25 मीट्रिक टन का एक्सेस लोड लेती हैं। इनकी रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जबकि भारतीय रेल मालगाड़ियां 18 से 20 मीट्रिक टन का लोड लेती हैं।... (व्यवधान) उनका यही काम है बोलो और निकल जाओ।... (व्यवधान) इन गाड़ियों की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज दूसरे देशों में यात्री गाड़ियां 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं जबकि भारत में 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार है। यह है वह विरासत जो हमें आपसे प्राप्त हुई है।

अभी अधीर रंजन जी परियोजनाओं के बारे में कह रहे थे कि आप नहीं चाहते कि नई रेल लाइनें बिछें, आप ये भी नहीं चाहते कि आमाम परिवर्तन हो। हम बिल्कुल चाहते हैं कि नई लाइनें भी बिछें और आमाम परिवर्तन का काम भी हो लेकिन हम यह नहीं चाहते कि इस देश के भीतर रेल परियोजनाओं का मजाक बने। इसका प्रमाण है, माननीय रेल मंत्री जी ने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है कि आपके समय पर परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिए जाने के बजाय स्वीकृति पर ध्यान दिया गया। पिछले 30 सालों में 1,57,883 करोड़ रुपए मूल्य की 676 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनमें से केवल 317 परियोजनाओं को पूरा किया गया और शेष 359 परियोजनाएं आज भी बाकी हैं जिनको पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

पिछले दस सालों में आपने सात हजार करोड़ रुपये मूल्य की 99 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृत किया और जिनमें से आज की तारीख तक मात्र एक परियोजना को पूरा किया गया है। इनमें से चार परियोजनाएं ऐसी हैं, जो 30 साल से भी अधिक पुरानी हैं और इसलिए हम यह नहीं चाहते कि इस देश के भीतर फिर से कोई ऐसी स्थिति बने कि परियोजनाओं का मजाक बने। हम चाहते हैं कि वास्तव में जो परियोजनाएं इस देश के लिए और रेलवे के विकास के लिए आवश्यक हैं, प्राथमिकता के आधार पर वे पूरी की जानी चाहिए और उसके साथ-साथ फिर विकास के दूसरे काम भी होने चाहिए।

Comment [r32]: cd

सभापति महोदया, अभी रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेश्यो है, वह 94 परसेन्ट है। 2013-14 में खड़गे जी आपकी सरकार थी और तब यात्री किराये में रेलवे को प्रति यात्री हर किलोमीटर पर 23 पैसे का घाटा होता था और जब 2001-2002 में अटल जी की सरकार थी तो उस समय प्रति यात्री घाटा मात्र दस पैसे था। यह प्रमाण है कि इतने सालों तक आप रेलवे को किस तरह से चलाते रहे हैं और रेलवे के ऑपरेटिंग रेश्यों में जो लगातार गिरावट हुई है, उसका असर सुरक्षा, क्षमता विस्तार, यात्री सुविधा आदि चीजों पर हुआ है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैं एक मिनट के लिए थिलड करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आप बहुत गम्भीरता से बोल रहे हैं और बहुत डिटेल् में स्टडी करके बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि किस वक्त, कौन से साल में यह हुआ, क्योंकि साठ साल का मैं नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ ग्यारह महीने मंत्री रहा और उसमें नौ महीने काम करने के लिए मिले और दो महीने इलैक्शन में चले गये और नौ महीने में एक बच्चा पैदा होना था, वह हो गया।... (व्यवधान) वह भी उत्तर देंगे, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे में घाटा कभी नहीं हुआ, मुनाफा कम हो गया होगा, लेकिन घाटा नहीं हुआ। आप रेलवे को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। आपके जमाने में भी घाटा नहीं हुआ, हमारे जमाने में भी घाटा नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर एक हजार करोड़ रुपये का फायदा होना चाहिए था, उस जगह पांच सौ करोड़ का फायदा हुआ होगा। लेकिन घाटा कभी नहीं हुआ। आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पूछ सकते हैं, अपने बोर्ड के मैम्बर्स से पूछ सकते हैं। अगर यह ठीक नहीं है तो हो सकता है कि उन्होंने हमें गलत फीड किया होगा। इसलिए जब आप 94 परसेन्ट की बात करते हैं तो उसमें छः परसेन्ट फायदा हुआ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना होना चाहिए था, उतना पैसा नहीं मिला, आप यह बोलिये, मैं आपकी बात सुनता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपने भाड़ा बढ़ाया है, अगर आप यह बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदया, अभी-अभी खड़गे जी ने अपनी बात रखी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने 23 पैसे प्रति किलोमीटर घाटे की बात की है तो वह मैंने आपके रेल बजट का उल्लेख किया है, जो रेल बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए अच्छा होगा कि एक बार आपके लोग उसका अध्ययन कर लें। मैंने ओवर ऑल रेलवे में घाटे की बात नहीं की है।

* Not recorded.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप ऑपरेटिंग रेश्यो बताइये कि घाटा कैसे हुआ।

श्री राकेश सिंह : ऑपरेटिंग रेश्यो मैंने आपको 94 बताया है। ... (व्यवधान) आपके पास बचा क्या, जब आप अपनी बात करेंगे तो आप अपनी बात रखिये।

HON. CHAIRPERSON: Rakesh ji, please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री राकेश सिंह : महोदया, ऑपरेटिंग रेश्यों में जो लगातार गिरावट हुई है, उसका असर सुरक्षा, क्षमता विस्तार, यात्री सुविधा और बुनियादी ढांचे की योजना पर पड़ा है। जिसके लिए इस देश में अगर कोई जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार है और खड़गे जी, आप भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, भले ही नौ महीने के लिए आप मंत्री रहे हों, लेकिन आपके समय में रेलवे दुर्दशा की ओर आगे बढ़ी है।

Comment [B33]: (ed. by n2)

महोदया, सरकारें वही सफल होती हैं, जिनमें दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति हो। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसका प्रमाण है। जब यह सरकार बनी थी, लोगों ने पहली बार यह महसूस किया था कि देश के विकास में सड़कों का कितना बड़ा योगदान होता है। इसीलिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की थी, जो आज देश के विकास का एक प्रमुख आधार है। हम इस सदन के भीतर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं और माननीय सदानंद गौड़ा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हीरक हाईस्पीड रेल चतुर्भुज योजना तय कर दी है। इसके बाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कई दिन नहीं, बल्कि यह पूर्ण होने के बाद मात्र कुछ घंटे लगेंगे। इसलिए यह सरकार बधाई की पात्र है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया, आज देश में किसान की मेहनत से पैदा होने वाले 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक की फल और सब्जियां केवल इसीलिए खराब हो जाते हैं, क्योंकि किसान का उत्पादन समय पर मंडी तक और अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि दूरदृष्टि का परिचय देते हुए, एग्री-फ्रेट रेल कॉरिडोर का रास्ता आपने खोल दिया है। जिसके माध्यम से किसानों का उत्पादन रेल द्वारा निर्धारित स्थान तक पहुंचेगा। इससे फल और सब्जियां तो सड़ने से बचेंगी ही और उसके साथ-साथ किसानों को उनके उत्पादन का सही लाभ भी मिलेगा, जो आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदया, इस बजट भाषण के बाद, विपक्ष ने, जो उनका काम है, आलोचना करने का, वह किया। लेकिन इस बात को सभी जानते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष चाहे कितनी ही आलोचना इस बजट की करे लेकिन इस बात को मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता है। देश इस बात को जानता है कि इस बजट को प्रस्तुत करने में इन परिस्थितियों में रेल मंत्री जी को कितना समय मिला

है। सच तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों से रेल के जरिए वोट बैंक की राजनीति करने की जो शुरूआत विपक्ष ने की थी, जिसके कारण रेलवे आज बदहाली के कगार तक पहुंचा था, आज इस बजट के माध्यम से हमने न सिर्फ उसको रोकने की कोशिश की है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इसके पीछे हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अगर हमारा कोई एजेंडा है तो सिर्फ एक ही है कि रेलवे विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और इस देश के विकास के साथ कदम ताल करे। देश के विकास में अपना योगदान दे।

सभापति महोदया, हम यह भी मानते हैं कि रेलवे की अपनी एक सामाजिक भूमिका है और उसके सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं। लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे इस देश के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के इसी दृष्टिकोण को भारत की जनता ने स्वीकार करके जनादेश दिया है। यह सरकार इस देश की जनता को विश्वास दिलाती है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय सदानंद देवगौड़ा जी के नेतृत्व में जो जन-अपेक्षायें हैं, रेलवे को लेकर इस देश की जनता की जो अपेक्षायें हैं, उन पर निश्चित रूप से हम खरे उतरेंगे और खरा उतर कर दिखायेंगे। पांच साल के बाद हम एक बार फिर यहां पर आएं और आप फिर यहां पर बैठें होंगे, तब हमने जो किया है, जो हमने करके दिखाया है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं इस रेल बजट का समर्थन करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचायी है, निश्चित रूप से आप उनको बढ़ा रहे हैं। अनेक योजनायें ऐसी थीं, जो बदहाली की स्थिति तक पहुंच गयी थीं। आपने उनको एक बार फिर से शुरू किया है। इसके लिए पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Thank you, Shri Rakesh ji.

... (Interruptions)


प्रो. सौगत राय : मंत्री जी, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो मांग की है, वह इन्हें दे दीजिए।

श्री राकेश सिंह : आपने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप तय कीजिए कि आपको वहां सहयोग करना है या यहां सहयोग करना है।

HON. CHAIRPERSON: Dr. P. Venugopal.

11.07.2014

94



DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Chairperson, on behalf of our Party, AIADMK, I rise to participate in the discussion on the Railway Budget for the year 2014-15.

My leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, Dr. J. Jayalalitha has said this about the Railway Budget:

“The main Railway Budget is a serious exercise at consolidation, which the new Government at the Centre has been forced to undertake in the wake of mismanagement of the previous UPA Government over the past decade of this extremely critical sector. The finances of the Railways are in extremely poor shape.”

This was the statement made by our hon. Chief Minister.

Madam, a few weeks before the Budget presentation, the hon. Railway Minister raised the passenger fares by 14.2 per cent and the freight rate by 6.5 per cent. This was an initiative taken by the previous UPA Government and this should have taken effect during the middle of May this year, which was based on Fuel Adjustment Component. So, there was no necessity for the hon. Minister to touch these things in the present Budget. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, at that time, made a request to the Government to roll back the passenger and freight hikes.

Coming to the present Budget, there are many positive aspects, which we welcome. He announced that some Railway stations in the Indian Railways are to be developed to international standards through PPP mode. He further made a provision of Rs.1,785 crore for road-over-bridges and under-bridges and also to eliminate unmanned level crossings.

Bringing in IT revolution into the Railways, the hon. Railway Minister assured that he would provide Wi-Fi facilities in A-1 and A category stations and also in select trains. This is a good initiative. The hon. Minister also announced that the Railways would set up Railway Universities for technical and non-

technical subjects which would have tie-up with the technical institutions. These are all steps in the right direction, and we welcome all these announcements.

Madam, after the Golden Quadrilateral initiative for roads, the new BJP Government is looking forward to launch a Railway Diamond Quadrilateral between major cities. This could boost high-speed connectivity between cities for goods and services and can help bring down inflation. As regards railway network, Tamil Nadu has been left out so far. Most of the urban and rural areas of Tamil Nadu still remain unconnected by rail. I hope Tamil Nadu will get its due share of new railway lines and new trains in the coming years. Here, my request is that the Bullet train services should be introduced in Chennai in the next phase because when the trains services started by the British people, it was first introduced in Mumbai, and immediately thereafter it was introduced in Chennai. On the same lines, when the Bullet train is being introduced in Mumbai now, it should be brought to Chennai in the next phase. This is my request. About 158 years ago, in Chennai the train services had started between Royapuram and Wallajah Road. Now, the population of Tamil Nadu has grown to about seven crore, and the present railway network does not cater to the needs of the people. Hence, I would request the hon. Railway Minister to give new services and to complete the ongoing projects by allocating more money.

Comment [134]: cd. by p2

Madam, the hon. Railway Minister has announced 27 new Express Trains, eight passenger trains, five Jansadharan trains, five premium trains, six AC express trains, five DEMU and two MEMU trains.

While I welcome these measures, I would like to place the following demands for the consideration of the hon. Railway Minister for the welfare of the people.

The total estimate for doubling of Vilupuram-Dindigul was Rs. 1,280 crore. Till last year, only Rs. 210 crore were allocated and only Rs. 70 crore were made available. So, I would request the hon. Minister to allocate more money so that the project is completed early.

Secondly, in the last year's Budget, survey was announced for a new railway line between Tanjore and Pudukkottai. But so far, no action has been taken on this.

All trains from the north and west of India pass through Perambur railway station near Chennai. But at this railway station, the platform is not lengthy enough to accommodate lengthy trains with more coaches. So, I would request the hon. Minister to upgrade Perambur railway station.

Coming to my Parliamentary Constituency of Tiruvallur, it is the district headquarters, which is a major suburban terminus handling more than 160 local trains daily, with more than one lakh passengers per day. Tiruvallur is a pilgrimage centre and also an industrial town. It is very close to Sriperumbudur, which is Chennai's industrial hub, with several multinational companies employing thousands of workers. Tiruvallur is also close to Avadi where we have the ordnance cloth factory, heavy vehicle factory, CVRD, CVD, Air Force Base Station, CRPF Training Centre etc. I would, therefore, request the hon. Railway Minister to grant stoppage of all the trains at Tiruvallur. I would also request him to grant stoppage of the following trains at Tiruvallur. They are: Chennai-Coimbatore Kovai Express, Chennai-Bangalore Bridavan Express, Chennai-Coimbatore Intercity Express, Chennai-Bangalore Lalbagh Express, Chennai-Mettupalayam Nilagiri Express, Chennai-Palani Express, Chennai-Mangalore West Coast Express.

Sir, the Tiruvallur station has the platform capacity to handle 24-coaches train. Hence, I would request the hon. Minister to consider and grant stoppage of all these trains at Tiruvallur, which will go a long way in helping the passengers and citizens of my Constituency. In this connection, I have already written a letter to the hon. Minister. So, I would request him to consider all my demands.

With these words, I conclude.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2014-15 के रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं रेल मंत्री माननीय श्री सदानन्द गौडा जी और उनके सहयोगी श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई दूँगा जिन्होंने एक छोटे से कार्यकाल में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल, व्यावहारिक, संतुलित और विकासपरक सोच के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ इस देश की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा और रचनात्मक रेल बजट इस देश को दिया है।

महोदया, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार को बने हुए अभी डेढ़ माह भी नहीं हुआ है और इतने कम दिनों में ही सरकार की प्रभावी भूमिका न केवल केन्द्र सरकार की कार्य प्रणाली से, अपितु इस देश के अंदर आम जनमानस के द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी देखने को मिली है। रेल बजट हो या जनरल बजट, यह दोनों बजट केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के उस विश्वास का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसे इस देश की जनता ने कुशासन से मुक्ति प्राप्त करके जनादेश के माध्यम से दिया है और इसीलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को एक अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। ऐसे समय में जब पूरे देश में भारतीय रेल के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं उभर रही थीं, उन स्थितियों में माननीय रेल मंत्री जी ने जिन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना किया और उस भारतीय रेल को, जिसकी विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। पिछले दस वर्षों के दौरान उस भारतीय रेल की जो दुर्गति हुई है, वह जिन दुर्घटनाओं का शिकार हुई थी, उन से उबारने का एक दिग्दर्शन है, भारतीय रेल का वर्ष 2014-15 का यह बजट, जिसे माननीय रेल मंत्री ने 8 जुलाई को इस सदन में प्रस्तुत किया।

महोदया, जब हम भारतीय रेल के इतिहास में जाते हैं तो लगभग 170 वर्ष का भारतीय रेल का इतिहास है। अपने इस इतिहास में भारतीय रेल ने लगभग 1 लाख 70 हजार किलोमीटर रेल पटरियां बिछाने, देश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में अपनी बढ़ी भूमिका का निर्वाह किया है। मुझे लगता है कि एक नेटवर्क के अंतर्गत इतने अधिक कर्मचारी लगभग 13 लाख से अधिक कर्मचारी आज भी भारतीय रेल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 7 हजार 172 स्टेशनों को जोड़ती हुई 2 करोड़ 30 लाख से

अधिक यात्रियों को ढोने का कार्य और 30 लाख टन सामान की दुलाई भारतीय रेल प्रतिदिन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कर रही है और पूरे देश को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रूप से जोड़ कर के इस देश के अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है।

महोदया, भारत जैसे विकासशील देश में भारतीय रेल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने राजनैतिक स्वार्थों के लिए भारतीय रेल को अपने राजनैतिक एजेंडे का शिकार बनाया और पिछले दस वर्षों के दौरान हम सब उस तमाशे को यहां देखते थे। किस प्रकार से योजनाएं बनती थीं, घोषित होती थीं, मेरे पूर्व वक्ता श्री राकेश सिंह जी ने यहां बताया कि 600 से अधिक घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन पूरी कोई भी नहीं होती है। आधी भी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन राजनैतिक स्वार्थों के लिए उनकी घोषणा करना, लेकिन वह राजस्व की दृष्टि से लाभकारी नहीं हैं, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं हैं और इन योजनाओं पर यदि हम देश का पैसा लगाते हैं तो लगभग 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपये की पूंजी उसके लिए चाहिए। यानी केवल राजनैतिक एजेंडा महत्वपूर्ण हो गया था। भारतीय रेल भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके, यह दृष्टिकोण नहीं था और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि आज भारतीय रेल की दुर्गति हुई है। हम लोग भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। मैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जहां एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। एक फ्लाइट वहां जाती है और वह भी ऐसे समय में जाती है, मेरे सामने नागरिक उड़्डयन मंत्री बैठे हुए हैं और मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जाने के लिए एयर कनेक्टिविटी है।

महोदया, हमारे यहां की जो एयर कनेक्टिविटी है कि जब हम सदन में रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन आवर भी पूरा नहीं हो पाता और वह यहां से उड़ जाती है, और वहां पहुंचने के बाद हम पुनः वापस आ नहीं सकते हैं। उसका किराया तो बहुत ज्यादा है। उसका सामान्य किराया छः हजार पांच सौ रुपये है लेकिन वह किराया बढ़ जाता है। एक दिन मैं जा रहा था तो मुझे वहां कहा गया कि आप तैंतीस हजार रुपये दीजिए तो आपको टिकट मिलेगा। छः हजार पांच सौ रुपये किराए और पैंतीस हजार रुपये के किराए में

कोई अन्तर है या नहीं है। मुझे लगता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री इस बारे में अवश्य ध्यान देंगे क्योंकि इन लोगों ने ... * की छूट दे दी थी। जो आदत इन लोगों को स्वयं थी, उसी आदत का शिकार इन्होंने सभी विभागों को बना दिया है। अभी भी वही स्थिति है। छः हजार पांच सौ रुपये के किराये के लिए तैंतीस हजार रुपया लिया जा रहा है। यह ...* है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की ...* पर अंकुश लगाना चाहिए और अंकुश लगाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। इसी दृष्टि से मैं आपसे कहा रहा था।

HON. CHAIRPERSON: Yogi Adityanath ji, you can continue next time, this is the time for Private Members' Bills.

* Not recorded.

15.31 hrs.

PRIVATE MEMBER'S BILLS – Introduced
(i) National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में सभी पेंशनभोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of guaranteed minimum pension to all pensioners including those who have worked in unorganized and private sector in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.31½ hrs.

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Insertion of new articles 16A and 29A)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.32 hrs.**(iii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of the Eight Schedule)**

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.32½ hrs.**(iv) Bihar Reorganisation (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of the Eight Schedule)**

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Bihar reorganisation Act, 2000.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.33 hrs.

(v) National Commission for Agricultural Costs and Prices Bill, 2014*

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : सभापति महोदया मैं प्रस्ताव करती हूँ कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Commission for ensuring minimum support prices to farmers for their agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करती हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.34 hrs**(vi) Prohibition of human trafficking of Indian Citizens Abroad and Welfare of Overseas Indians Bill, 2014 ***

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध करने और विदेश में नियोजित भारतीय नागरिकों के कल्याण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of human trafficking of Indian citizens to foreign countries and welfare of Indian citizens employed abroad and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करती हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 21, 22, and 23.

Shri Om Prakash Yadav – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.34½ hrs**(vii) Small and Marginal Farmers (Welfare) Bill, 2014***

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के लघु और सीमान्त कृषकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय करने और उनके लाभार्थ कल्याणकारी निधि का गठन करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for the small and marginal farmers of the country and for the constitution of a welfare fund for their benefits and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री शरद त्रिपाठी : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

15.35 hrs**(viii) Abolition of Begging Bill, 2014 ***

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of begging and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री शरद त्रिपाठी : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.35½ hrs

(ix) Information Technology (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.”

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : I introduce the Bill.

15.36 hrs

(x) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Section 364 A, etc.)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

15.37 hrs

(xi) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Eight Schedule)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.37 ½hrs

(xii) Chit Funds (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Section 4)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982.”

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

15.38hrs**(xiii) Renewable Energy (Promotion and Compulsory Use) Bill, 2014***

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान वृद्धि, विषाक्त उत्सर्जन एवं पारिस्थिकीय और जलवायु असन्तुलन उत्पन्न होता है, को कम करने के लिए सौर ऊष्मा, पवन, बायोगैस, शहरी अपशिष्ट, ज्वार ऊर्जा और भू-तापीय जैसे स्रोतों के उपयोग को कतिपय स्थापनाओं और परिवारों द्वारा इसके उपयोग को अनिवार्य बनाकर, इन स्रोतों से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन और इसके गुरुतर दोहन हेतु तथा पर्यावरण का संरक्षण करने और इस प्रयोजनार्थ एक बोर्ड की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the promotion and greater exploitation of renewable energy available from sources like solar heat, wind, biogas, urban waste, tides, waves and geothermal sources by making its use compulsory by certain establishments and households in order to reduce the over dependence on fossil fuels for energy needs resulting in global warming, noxious emissions and ecological and climatological imbalances and to protect the environment and for the establishment of a Board for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.39 hrs

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

(xiv) Compulsory Teaching of Yoga in Educational Institutions Bill, 2014*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में योग के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of yoga in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

15.39½ hrs

(xv) Council for Environment Protection Bill, 2014*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पर्यावरण और पारिस्थिकी के संरक्षण के लिए केन्द्र और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में एक परिषद् की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Council at the Centre and in each State and Union territory for the protection of environment and ecology.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

PROF. SAUGATA ROY (DUMDUM): Madam, he is a former Chief Minister. He should not introduce a Private Members' Bill.

15.40 hrs

(xvi) Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 *

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also to monitor their implementation for the balanced and all-round development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

Comment [M35]: Fd by u2

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.40½ hrs

**(xvii) Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers*
(Recognition of Forest Rights) Amendment Bill, 2014
(Amendment of Section 2)**

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.”

The motion was adopted.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.41hrs**(xviii) Consumer Goods (Mandatory Printing of Cost of Production and Maximum Retail Price) Bill, 2014***

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाजार में बेचे जा रहे उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के मुद्रण और उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for printing of cost of production and maximum retail price of consumer goods being sold in the market and for matters connected therewith”

The motion was adopted.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.41½ hrs**(xix) Cow Protection Authority Bill, 2014***

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में गौ और उसकी संतति के संरक्षण के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण तथा राज्य स्तर पर समरूप प्राधिकरणों के गठन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an authority for the purpose of protection of cow and its progeny in the country and similar authorities at the State level and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.42 hrs**(xx) Sculptors, Artists and Artisans of Rural Areas Welfare Bill, 2014***

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगरों के कल्याण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of sculptors, artists and artisans in rural areas and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.42½ hrs**(xxi) Ban on Cow Slaughter Bill, 2014 ***

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the slaughter of cow and its progeny.”

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.43 hrs

(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Omission of Article 44, etc.)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.43½ hrs

(xxiii) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Section 109, etc)

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motors Vehicles Act, 1988.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.44hrs

(xxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of Seventh Schedule)

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

15.44½ hrs**(xxv) National Agricultural Produce Price
Commission Bill, 2014***

श्री राजू शेटी (हातकणगले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Statutory autonomous Commission for the purpose of ensuring minimum support prices to farmers for their agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto. ”

motion was adopted.

श्री राजू शेटी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.45 hrs**(xxvi) Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2014 *
(Amendment of Section 3, etc.)**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.”

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.46 hrs

**(xxvii) Water (Prevention and Control of Pollution)
Amendment Bill, 2014*
(Amendment of Section 2)**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.”

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce** the Bill.

15.47 hrs

**(xxviii) Public Sector Banks (Control of Non-Performing Assets)
Bill, 2014***

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill to deal with the non-performing assets of public sector banks and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to deal with the non-performing assets of public sector banks and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.48 hrs**(xxix) Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014***

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for care of senior citizens suffering from dementia and provision of geriatric care facilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to provide for care of senior citizens suffering from dementia and provision of geriatric care facilities and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce** the Bill.

15.49 hrs**(xxx) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2014*
(Insertion of new section 14A)**

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Green Tribunal Act, 2010.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the National Green Tribunal Act, 2010. ”

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.50 hrs

(xxxi) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of the Eighth Schedule)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Chairperson, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.07.2014.

15.54 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Creation of a new Union Ministry for the development of Himalayan States

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' to move his Private Members' Resolution regarding creation of a new Union Ministry for the Development of Himalayan States, the time for discussion on this Resolution has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allowed for discussion on the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Now Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' to speak.

Comment [I36]: fd

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिमालयी राज्यों की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा अवस्थान, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भूस्खलन, बादल फटने, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं जिनके फलस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है, पर विचार करते हुए तथा इन राज्यों, विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा केन्द्रीय सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एक स्वतंत्र केन्द्रीय मंत्रालय गठित करने का आग्रह करती है, जो इन राज्यों के समग्र और त्वरित विकास के लिए उत्तरदायी होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा—

- (एक) हिमालयी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कराना एवं उनका सम्पूर्ण संरक्षण एवं समग्र विकास करना;
- (दो) पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना;
- (तीन) विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करना; और
- (चार) नई रेलवे लाइनें बिछाने, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने, सड़कों का निर्माण करने तथा अन्य अवसरचन्नात्मक विकास परियोजनाओं के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुशंसा करना तथा हिमालयी संपदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर आर्थिक मजबूती देकर पलायन रोकना।”

महोदया, हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें 11 राज्य हैं - उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इसका पूरा क्षेत्रफल 5 लाख

93 हजार वर्ग किलोमीटर है। कहीं घनघोर जंगल हैं, कहीं गगनचुम्बी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं ताल पुग्यालय हैं तो कहीं घाट गदरे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों से जुड़ा है। यदि इसकी जनसंख्या को देखा जाए तो 2011 की जनगणना में 7 करोड़ 51 लाख 13 हजार 58 जनसंख्या होती है। 52 जिलों वाला हिमालय का क्षेत्र 40 लोक सभाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

महोदया, हिमालय राज्य का एक अलग से केन्द्रीय मंत्रालय बनाने की बात कोई नई नहीं है। यह समय-समय पर होती रही है। पहले भी 17 मार्च, 1992 को योजना आयोग ने विशेषज्ञों का दल गठित किया था। डा. जे.एस. कासिम उसके अध्यक्ष थे। इस दल ने पूरे हिमालय का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला था कि अति संवेदनशील होने के कारण यहां हिमालय विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। प्राधिकरण का खाका भी तैयार कर लिया गया था। प्रधान मंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे और हिमालय का एक अलग मंत्रालय बनेगा। उसमें तीन मंत्री स्थापित होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यह हिमालय सालाना 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एशिया महाद्वीप के सभी देशों को देता है और उत्तरी भारत की नदियों में हर साल 650 घन मीटर पानी हिमालय से ही आता है। यह हिमालय का क्षेत्र एशिया का वाटर टावर कहलाता है। यदि कहा जाए तो पानी की कुल जरूरत का 60 फीसदी हिमालय से ही मिलता है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर इसलिए भी कहा जाता है कि इससे जो सैंकड़ों नदियां निकलती हैं, उन नदियों से जो पानी जाता है, वह भारत के तमाम राज्यों की 50 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या को आच्छादित करता है, प्यास बुझाता है और अन्न पैदा करता है। भारत में हिमालय का क्षेत्र 2,500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। जल, जंगल, जमीन के अतिरिक्त इस हिमालय के दो बड़े पहलू हैं - मौसम और मानसून। यह उत्तरी एशिया से आने वाली बर्फानी हवाओं को रोककर हमें बर्फीली सर्दियों से बचाता है, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश बरसाता है।

Comment [KR37]: Cd by y2

16.00 hrs.

दरअसल दक्षिण-पश्चिम से आने वाली सभी हवाएं भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप में फैलती हैं। यदि हिमालय न होता, तो इन्हें रोकने के लिए कोई बाधा न मिलती और हवाएं मध्य एशिया की तरफ जातीं। हिमालय इन हवाओं के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है और इन्हें भारतीय मैदानों में बरसने के लिए मजबूर करता है।

हिमालय के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे बहुत सारे राज्य उपजाऊ मैदान को तैयार करते हैं। ये इलाके देश को खाद्यान्न का भंडार देते हैं। हिमालय के कारण इन इलाकों में तेज गति से नदियां भी बहती हैं।

महोदया, यह हिमालय 7 करोड़ वर्ष पुराना युवा पर्वत है। यह सबसे पुराना है लेकिन युवा है। यह पुराना इसलिए है कि इसने बहुत कुछ दिया है। बहुत सारी मानव सभ्यताएं, संस्कृतियां, नदियां, ऋतुचक्र, मौसम, मानसून आदि दिये हैं। इतना ही नहीं, बहुत कुछ दिया है।

16.01 hrs.**(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)**

महोदय, यदि देखा जाये तो हिमालय पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वे कभी भूस्खलन, कभी भूकंप, कभी बाढ़ से प्रभावित होती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे मालपा का प्रकरण हो, जिसमें 14 राज्यों के तमाम लोग हताहत हुए थे, चाहे ओखीमठ का प्रकरण हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप प्रकरण हो या वर्तमान में आयी केदारनाथ की त्रासदी हो, जिसमें 24 राज्यों के 20 हजार से भी अधिक लोग हताहत हुए। इसकी विषम भौगोलिक परिस्थितियां और अपने प्रकार की जटिल समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए बार-बार यह बात उठती रही है कि हर हालत में हिमालय राज्यों का एक अलग मंत्रालय हो, जो उसकी अलग नीतियां बनाये। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी कोई नीति इस स्तर पर नहीं बनती है। यदि प्राकृतिक आपदा और भौगोलिक स्थिति से अलग हटकर देखा जाये, तो सामरिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार आदि से जुड़ता है। इन सीमाओं की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जहां कहीं माओवाद की गतिविधियां फैलती हैं वहीं अरुणाचल में म्यांमार की ओर से घुसपैठ होती है।

श्रीमन्, हम उत्तराखंड की बात करें, तो लगभग 250 किलोमीटर नेपाल की सीमा और लगभग 325 किलोमीटर खुली चीन की सीमाओं से यह क्षेत्र जुड़ा है। पिछले दिनों माओवाद की गतिविधियां सारे देश के सामने आयी थीं, जब माओवादियों का एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया था, उनके कैम्पों को ध्वस्त किया गया था जो भारत की सीमाओं पर थीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश की एकता, अखंडता और देश की सामरिकता की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है कि एक ऐसा केन्द्रीय मंत्रालय गठित हो, जो इन सबकी चिन्ता करे। लिपुलेख और काली नदी से लेकर मेलाघाट और चाहे बाड़ाहोती, बद्दीनाथ के आगे की सीमा बाड़ाहोती में जब तब चीन के सैनिक घुस आते हैं। यह नितांत सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। इसलिए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बार-बार ये बातें उठती रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हिमालय वाटर का एक पुंज है। इसकी जो नदियां हैं, चाहे जम्मू-कश्मीर की चिनाब और सतलुज हो, चाहे हिमांचल की रावी, सतलुज, व्यास, यमुना हो चाहे उत्तराखंड की गंगा, यमुना, शारदा, काली गंगा हो चाहे सिक्किम की ताप्ती नदी, लोहन और लाछु नदी हो, चाहे मेघालय की दुधनायी और कृष्णनायी, चिनारी और दीदक इत्यादि नदियां हों। चाहे त्रिपुरा की गोमती, मनु, दलाई और ख्वाही नदी हो या मिजोरम की दिवांग, तुरैल, तुवाल, कोडाट सहित तमाम नदियाँ हों चाहे मणिपुर की वराक हो चाहे नागालैंड की धनसारी, दोगांग, दिफु सहित बहुत सारी नदियाँ हैं। अरुणाचल की कामिंग, सुवानसिरी, लोहित सहित असम की तमाम नदियों को यदि देखा जाए तो ये हिमालय पूरे एशिया

Comment [R38]: Cd by z2

का वाटर टावर है। इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, इससे नदियों का पानी कम होगा। पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में संकट होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि उस हिमालय का संरक्षण और संवर्धन उसी ताकत के साथ किया जाए। श्रीमन्, यदि देखा जाए तो ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये पूरे देश और दुनिया को जवानी भी देता है, पानी भी देता है और प्राणवायु भी देता है।

देश की सीमाओं से लगे, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ के औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भरती होकर पहली पंक्ति में राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है। दूसरी पंक्ति में उसकी माँ-बहनें दो-दो विदेशी सीमा पर सेनानी की तरह देशभक्ति का अनन्य प्रमाण देती हैं। वर्ष 1962 का चीन का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने सेनानियों की तरह चीन की सीमाओं को रोका था। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह देश की आजादी से पहले हो या देश की आजादी के बाद, ये हिमालय के इन सपूतों ने देश की आजादी से पहले, यदि देखा जाए तो देश की रक्षा में तमाम लोगों ने वीरता के पदक प्राप्त किये। देश की आजादी से पूर्व लगभग 365 वीरता-पदक इस हिमालय के लोगों ने प्राप्त किया है। देश की आजादी के बाद चाहे परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, महावीर चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, वीर चक्र हो लगभग 1034 पदक तो अकेले उत्तराखंड के हैं। 1034 पदकों में से परमवीर चक्र है, पाँच लोगों को अशोक चक्र मिला है, महावीर चक्र ग्यारह लोगों को मिला है, 24 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, वीर चक्र 95 लोगों को मिला, शौर्य चक्र 140 लोगों को मिला। यदि इनकी संख्या देखी जाए तो 1034 केवल और केवल उत्तराखंड की वीरभूमि से हैं, जिन्होंने देश का माथा ऊँचा किया है। पहली पंक्ति में देश की सेवा के लिए अपने को कुर्बान किया है। इसलिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र जवानी भी देता हो, देश को पानी भी देता हो और प्राणवायु भी देता हो, यह भारत सरकार की वन-नीति है कि 60 प्रतिशत से अधिक यह हिमालय का क्षेत्र वन उपज देता है, वनों से आच्छादित है। 60 प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र हिमालय की श्रृंखला इस बात को साबित करता है कि हम आक्सीजन देते हैं। ये 60 प्रतिशत जो वहां की वन उपज है, उस पर ये हिमालय के लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। वहाँ पर जो तमाम वन की उपज है, उसकी रक्षा करते हैं। श्रीमन्, एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा, शायद वह दुनिया का बहुत बड़ा उदाहरण होगा, अकेले उत्तराखंड में 12500 वन पंचायतें हैं। इन वन पंचायतों में यदि 20-21 लोग भी हों तो ढाई लाख से पाँच लाख लोग अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उन वनों की रक्षा करते हैं। जब वनों में आग लगती है, तो परिवार के परिवार कूद जाते हैं। इसमें तमाम लोग हताहत हुए हैं। दर्जनों-दर्जनों और सैंकड़ों लोग, यदि पहले से देखा जाए, तो ये वन क्षेत्र को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि उनको हक-हकूक नहीं मिलते। उनको हल लगाना पड़ता है। उनको एक छोटी-सी लकड़ी नहीं मिलती। वे एक सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकते हैं। ये चारा-पत्ती भी नहीं उठा सकते हैं। वन अधिनियम, 1980 इतना कड़क है कि उसने वहाँ के लोगों को पलायन करने के

लिए मज़बूर कर दिया है। लोग बच्चों की तरह अपने जंगलों को पालते थे, आज वे दुश्मन की तरह खड़े हो गये हैं। इसलिए जो भारत सरकार की नीति है, यह नीति ठीक नहीं है। जो मित्र थे, उनको शत्रु बनाने की नीति थी। इस प्रकार बनाकर लोगों को खड़ा कर दिया। इसलिए जो वन सम्पदा है, इसका भी उपयोग हिमालय के लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, जो लोगों को हक-हकूक मिलता था, वे लोगों को मिलने बंद हो गये थे। अपने खेत में उपजे पेड़ को भी वह काट नहीं सकता, उसके लिए कानून है। अपने खेत में उगे पेड़ को काटने के लिए भी उसे दर-दर भटकना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने वनों को मित्र बनाने की जगह लोगों को उसका दुश्मन बना दिया है। इसलिए यह बात बार-बार आती है कि हिमालय के लिए एक अलग नीति होनी चाहिए, एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, यह तथ्य उस बात को और पुख्ता करता है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालय का यह क्षेत्र कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र पूरी दुनिया की अध्यात्म की राजधानी है, देश की संस्कृति का प्राण है। यह वही क्षेत्र है जहाँ वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्म हुआ है। यह वही हिमालय क्षेत्र है जहाँ आयुषो वेदः - आयुर्वेद की बात हुई है। स्वस्थ से स्वास्थ्य-रक्षणम् की बात हुई है। आज सारी दुनिया योग पर आकर षडी हो गयी है। सारी दुनिया थकहार करके आयुर्वेद पर खड़ी हो गयी है। यह हमारी शाश्वत चिकित्सा है, इस शाश्वत चिकित्सा का जन्म भी हिमालय की इस धरती उत्तराखण्ड में ही हुआ है। चरक ऋषि का जांडा आज भी वहाँ पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद, जो जड़ी-बूटियाँ हैं, जो हमारी संजीवनी जड़ी-बूटियाँ हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में ही हैं। ये पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा रखती हैं और इसलिए आयुर्वेद का विकास करना, उस क्षेत्र में जड़ी-बूटियों का उत्पादन करना, इससे दोनों काम होंगे। जहाँ वन हमारे पर्यावरण को संशोधित करते हैं, यदि यहाँ के किसानों द्वारा इन जड़ी-बूटियों का उत्पादन एवं दोहन करने की एक नीति होती, तो आज यह सारा हिमालय का क्षेत्र बहुत सरसब्ज होता, वहाँ से पलायन नहीं होता। पलायन वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने जैसे अभी आंकड़े दिए हैं, जिस दिन हिमालय क्षेत्र का नौजवान पलायन करेगा, गांव खाली होंगे, देश की सुरक्षा को खतरा होगा, देश को ऐसे नौजवान नहीं मिलेंगे, पुरुषार्थी वीर नौजवानों का सेना में भर्ती होने के लिए अभाव पैदा होगा, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर देश के लिए किसी सीमा तक कुर्बानी देते हैं। इसलिए यह उत्तराखण्ड, जो आयुर्वेद का जन्मदाता है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे श्रीलंका में, तब हनुमान जी यहीं उत्तराखण्ड से, द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर गए थे उनकी मूर्छा को ठीक करने के लिए। यह वही क्षेत्र है। यह द्रोणागिरी पर्वत आज भी हमारे पास है। यह जोशीमठ से आगे दस किलोमीटर क्षेत्र में है। आज भी वहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा टूट हुआ है। वे लोग उस पर्वत की पूजा करते थे। वे लोग हनुमान जी से आज भी बहुत नाराज हैं कि हमारे पर्वत को

हनुमान जी उखाड़कर ले गए। मैं संदर्भवश इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारे पास आज भी जड़ी-बूटियाँ हैं, जब हमारे पास पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा है, तो क्यों न भारत सरकार के स्तर पर ऐसी नीति बनाई जाए जो न केवल देश की व्याधियों को दूर करने का मादा रखे, बल्कि दुनिया भी आश्वस्त हो भारत के प्रति, कि हिन्दुस्तान में जो आयुर्वेद की शाश्वत चिकित्सा है, उससे वे जिन्दा रह सकते हैं। इसलिए मैं बड़े पुजरोज तरीके से इस बात को भी कहना चाहता हूँ। अभी राम देव जी ने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में लहलहाया है, वे उसी उत्तराखण्ड की धरती से आते हैं। आज हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में गौरव से सिर ऊंचा करके योग और आयुर्वेद की बात करता है।

श्रीमन्, अध्यात्म के क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा है, यदि यह हिमालय का क्षेत्र पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा रखता है, तो यह हिमालय का क्षेत्र मन को भी ठीक रखने का मादा रखता है। जब भी दुनिया का आदमी हताश, निराश होता है, हताशा, निराशा और कुहासा से होकर गुजरता है, तब-तब वह हिमालय के क्षेत्र में आकर एक नए जीवन को लेकर जाता है। यह ऋषि-मुनियों की तपस्थली है। यहां वेद, पुराण और उपनिषद पैदा हुए हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारत की संस्कृति का प्राण है। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। याद दिलाना चाहता हूँ विवेकानन्द मायावती आश्रम से जब शिकागो के लिए गए थे, उस समय यह स्थान अल्मोड़ा जिले में था, अब चम्पावत जिले में आ गया है, वहां उन्होंने पहली बार पूरे देश का पहला प्रेस मायावती आश्रम में लगाया था। विवेकानंद जी मायावती से हिमालय की प्रेरणा को लेकर शिकागो गए थे। जब वह शिकागो से लौटे तो सबसे पहले उसी भूमि को उन्होंने प्रणाम किया था। जो अध्यात्म की ताकत थी, वह हिमालय से लेकर गए थे, जिसे उन्होंने सारी दुनिया में फैलाया था।

यहीं पर दुनिया के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। इसके अलावा हेमकुण्ड साहब, रीटा साहिब भी यहीं पर हैं और इतना ही नहीं यहीं पर शक्तिपुंज भी हैं। हर कदम पर वहां शांति और शक्ति के केन्द्र हैं, पुंज हैं। यह धरती ऋषि-मुनियों की धरती है इसलिए मैं समझता हूँ कि यह केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का बड़ा केन्द्र भी यह क्षेत्र रहा है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय उत्तराखंड की धरती पर था, जिसका नाम बद्रीश विश्वविद्यालय था और स्वयं वेद व्यास इसके कुलाधिपति थे। यह वही धरती है जहां संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत से ही सारी दुनिया की भाषाएं पैदा हुई हैं। इसलिए यह भूमि संस्कृत की जन्मदात्री है। मुझे गौरव होता है इस बात का कि कालिदास जी की भी जन्मस्थली वही उत्तराखंड और हिमालय है।

श्रीमन्, जिस महापुरुष के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उस भरत की भी जन्मस्थली उत्तराखंड है। कोटद्वार के पास कर्ण आश्रम है, जहां भरत का जन्म हुआ था और आज उस महापुरुष के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसलिए यह जो उत्तराखंड है, जो हिमालय का क्षेत्र है, जो

11 राज्य हैं, वे हिन्दुस्तान के लिए प्रेरणा के पुंज हैं। शिक्षा के केन्द्र के बारे में चाहे ऋषि-मुनियों की तपस्थली हो, चाहे गुरुकुल हो, वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो नैनीताल, मसूरी, देहरादून तीन ऐसे स्थान हैं, जहां दुनिया के आधे से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया का सर्वाधिक बच्चा अगर कहीं पढ़ता है तो वह हिमालय की इस कंधरा में पढ़ता है। आज यह क्षेत्र शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है। आप देखें कि आईएएस अकादमी, आईएफएस अकादमी, सैन्य अकादमी, आईआईएम, आईआईटी ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हिमालय के केन्द्र में हैं, जो निश्चित रूप से शैक्षणिक वातावरण को पूरी दुनिया के लिए तैयार करते हैं।

श्रीमन्, ज्योतिष का भी यहीं जन्म हुआ है। जिसके सामने विज्ञान भी बौना पड़ता है। ज्योतिष जो लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने की ताकत रखता है, ऐसे ज्योतिष विज्ञान का भी यहीं जन्म हुआ है। लेकिन नीति के अभाव में आज वह ज्योतिष विज्ञान दम तोड़ रहा है। इसीलिए बार-बार इस बात को कहने के लिए हिमालयवासी खड़े होते रहे हैं कि यह जो देश की आत्मा है, वह मर रही है, भटक रही है। यह देश की संस्कृति का प्राण है, लेकिन वह मुरझा रहा है, इसे बचाने की जरूरत है। इसलिए ज्योतिष केन्द्र जो देवप्रयाग में इतना बड़ा था, सारी दुनिया के लोग यहां आते थे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वेद-पुराण, उपनिषदों का जन्मदाता भी यह हिमालय है। मैं पिछले दिनों जब यूरोपीय देशों की यात्रा पर गया था, तो मुझे बर्लिन में बताया गया कि यहां पर वेद भवन है। मुझे बर्लिन में यह कहा गया कि वेद का जन्म इधर ही होता है। यदि हम अपनी इन थातियों को सम्भाल कर नहीं रखेंगे, तो वही स्थिति होगी जैसी हमारी जड़ी-बूटियों की हो रही है। आज चीन हमारी कई जड़ी-बूटियों को पेटेंट करा रहा है। किड़ा जैसी जड़ी जो एक किलोग्राम दस लाख रुपए की बिकती है, उसका भी यही हथ्र हो रहा है। इस तरह की बहुत सी ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो सारी दुनिया में नहीं मिलतीं, लेकिन हमारे हिमालय में मिलती हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए था कि इस शक्ति पुंज को संरक्षित और सुरक्षित रखती। लेकिन ऐसा नहीं होने पर वहां के लोगों द्वारा बार-बार यह मांग उठती है कि उस क्षेत्रवासियों को ही इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि देश को भी जरूरत है। वह सारा क्षेत्र तो देश के लिए कुर्बान है, देश के लिए समर्पित है इसलिए देश एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जो उसकी नीतियों को सुनिश्चित करे और देश की समृद्धि और संवर्धता के लिए वह क्षेत्र महत्वपूर्ण साबित हो सके।

श्रीमन्, जहां तक संस्कृति की बात है, ऐसी परम्पराएं हैं, सांस्कृतिक परम्पराएं हैं, धरोहर हैं कि जो देश की एकता और अखण्डता को और देश के मन को बढ़ाती हैं। ऐसी उस संस्कृति के संरक्षण की भी जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां देना चाहूंगा। नंदराज हिमालय का महाकुम्भ एक नंदराज स्थान की यात्रा होती है। जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंचाई पर होने वाली, 280 किलोमीटर, यात्रा है, जो 20 दिन में पूरी होती है। वह एकता का, सौहार्दता का, साहस का, पराक्रम का प्रतीक है। जो जूरागली को पार होकर जाते हैं, मौत को भी मात देते हैं। श्रीमन्, उसमें जाति-पांती नहीं, सारे लोग एक साथ रहते हैं। वहां

के लोग अपने घरों को इन अतिथियों के लिए खाली कर देते हैं, उनको यह मतलब नहीं होता है कि ये कहां से आये हैं, कौन जाति के हैं, अच्छे हैं या खराब हैं। सारे अतिथि लोग आते हैं और लोग अपने गांवों में उन्हें ठहराते हैं। वे मानते हैं कि “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता” । नारी का सम्मान करना हिमालय की संस्कृति में है और उसके सामने दुनिया कहीं खड़ी नहीं होती है। इसलिए हिमालय के इस महाकुंभ को नंदा राजा ने दिया था जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये परम्पराएं देश को ताकत देती हैं, जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए यह चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, इसका बहुत महत्व है।

गंगा स्वर्ग से उतरकर हिमालय की धरती उत्तराखंड में सारे विश्व के कल्याण के लिए आई। गंगा सामान्य नदी नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि आजादी के बाद गंगा को वह स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। गंगा को अभी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हम गंगा को नदी नहीं कह सकते हैं, गंगा तो हमारी मां है, इसलिए वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। वर्ष 2010 का जो महाकुंभ हुआ उसे मैंने मुख्यमंत्री के नाते आयोजित किया था। करीब 150 देशों के लोग और करीब साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा का स्पृश किया। पूरी दुनिया गंगा को स्पृश करने के लिए लालायित थी। इसलिए पूरी दुनिया में गंगा के लिए केवल श्रद्धा का ही भाव नहीं है बल्कि मां का भी भाव है।

मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अकबर ने अपने नौ-रत्नों को पूछा कि इस देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सबने कहा कि गंगा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सबसे पवित्र नदी यमुना है, सब लोग ठहाके मारकर हंसे। जब अकबर ने कहा कि बीरबल तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है तो उन्होंने कहा कि पवित्र नदी गंगा नहीं है, नदी पवित्र तो यमुना है, गंगा तो हमारी मां है, वह नदी नहीं है। श्रीमन्, गंगा का जल अमृत है और मैं नहीं समझ पाया कि देश में गंगा के संवर्धन और संरक्षण के लिए नीति क्यों नहीं बनी, क्योंकि गंगा की एक बूंद हजारों बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। जीते-जी तो लोग गंगा का जल पीते ही थे मरने के बाद भी उसके मुंह में गंगा की एक बूंद डालते थे और यह परम्परा आज भी जारी है।

गंगा का जल वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो पूरी दुनिया में यही जल है जो सड़ता नहीं है। सच में वह अमृत-जल है जो नया जीवन देता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने गंगा पर एक अलग मंत्रालय बनाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गंगा ने मुझे पुकारा है, गंगा ने मुझे बुलाया है। मेरा भरोसा है कि भगीरथी नदी की तरह तमाम थपेड़े खाने के बाद भी जो गंगा रुकी नहीं है जो तमाम गंदगी को भी अपने में समाने के बाद भी पवित्र है, अविरल है और जिसने अपनी पवित्रता को नहीं खोया है, ऐसी गंगा की तरह हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि गंगा ने मुझे बुलाया है। उन्होंने गंगा पुत्र होने के नाते कहा है और

सच में गंगा ने उन्हें बुलाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब स्पर्श गंगा बोर्ड बनाया था गंगा और उससे संबंधित जल धाराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए। यह इस देश की जरूरत है और दुनिया की भी जरूरत है। यह केवल एक क्षेत्र की जरूरत नहीं है। जब हम हिमालय की बात करते हैं, तो केवल इन 11 राज्यों की बात नहीं करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं, बल्कि दुनिया की बात करते हैं क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। गंगा का पानी अमृत है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नमामि गंगे अभियान चलाया है, योजना बनाई है। मुझे भरोसा है कि जो अभी तक छटपटाहट थी, जो काम नहीं हो पा रहा था वह काम होगा और जिस काम के लिए गंगा धरती पर अवतरित हुई है, वह मकसद पूरा होगा।

श्रीमन्, हिमालय क्षेत्र को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। यहां सैकड़ों स्विटजरलैंड बसे हुए हैं। यदि मैं जम्मू-कश्मीर से ले कर हिमाचल के कुल्लू-मनाली, श्रीनगर के पहलगंवा, अमरनाथ, गंगटोक, गौहाटी आदि जगहों की चर्चा करूँ तो सैकड़ों स्थान ऐसे हैं, जहां जा कर लोग अपने मन को शांत करते हैं। यहां प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य बिखेरा है जिसे देखने के लिए पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी तरसती है। इस धरती के स्वर्ग को और संजोने की आवश्यकता है। हम कहां चूक कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से चूक हो रही है इसलिए मैं आज विनम्रता से इस संकल्प को ले कर आया हूँ। यह राजनीति से ऊपर उठ कर है। यह एक क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से कोई सम्मान देने की बात नहीं है, बल्कि देश के गौरव की बात है। यह विश्व के कल्याण की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वह नैनीताल हो, मसूरी हो, हर की दून हो, चौखटा हो, इन्हें देखने के लिए दुनिया तरस रही है। यह जो धरती का स्वर्ग है, जिसमें ताल है, बुग्याल है, दयारा बुग्याल, कांठी बुग्याल जहां एक बार आदमी जाता है तो वहां से वापिस जाने का मन नहीं करता है, श्रीमन्, आप वहां गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो मैं आपने निमंत्रण देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के ये पर्यटक स्थल हैं, धरती का बेशुमार सौंदर्य उत्तराखंड सहित तमाम 11 राज्यों में बिखरा हुआ है, इसे संजोने की जरूरत है। हमारे डॉक्टर साहब तो आगे बैठे हैं, वे सौंदर्य को दिखाते भी हैं। बुग्याल सहित तमाम ऐसे सुंदर स्थान हैं।

महोदय, हिम क्रीडा, जल क्रीडा के भी सबसे बड़े स्थान हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था और बजट में भी प्रस्तावित किया कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए जो खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी उसमें हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे और इसके लिए उत्तराखंड को एक बड़ा केंद्र माना, हिमालय क्षेत्र को केंद्र माना। यदि हम हिम क्रीडा में जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड को देखेंगे, हमारा सौभाग्य है कि हमने दक्षिण एशियाई हिम क्रीडा है सबसे पहले उत्तराखंड औली में की थी। आज भी बहुत समृद्धता है। पूरी दुनिया हिम क्रीडा के प्रति आकर्षित है और हम हिम क्रीडा के दुनिया में सबसे बड़े केंद्र हैं इसलिए चाहे औली है, कश्मीर की उन वादियों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जल क्रीडा में हम सबसे आगे हैं।

हिमालय का जो क्षेत्र है चाहे गोडियाला है, टिहरी की झील 165 वर्ग किलोमीटर की है और यह दुनिया का जल क्रीडा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। चाहे साहसी पर्यटन की बात हो, साहरी क्रीडा हो, हिम क्रीडा हो, जल क्रीडा हो, हम इनके बड़े केंद्र हैं। उत्तरकाशी का नेहरू पर्वतारोहण है, चाहे बिछेन्नीपाल जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता है, चाहे आईटीबीपी के जवान श्री पोखरियाल हों। दर्जनों-दर्जनों लोग चाहे हर्षवती बिष्ट हों, चाहे चन्द्र लेखा जी हों, साहस करके एवरेस्ट पर पताका फहराई है।

Comment [i43]: cd.

सेब चाहे वह जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड हो, चाहे वह हिमांचल हो, दुनिया में इन जगहों से अच्छा सेब कहीं नहीं मिलता है। ये पूरी घाटी सेब की है। जो अदरक, माल्टा और लीची है, अगर देखा जाए तो यह पूरा हिमालय अद्भुत है। इसलिए हमें बार बार दुख होता है क्योंकि इस हिमालय की धरती पर कई तरह के बीज उपस्थित होते हैं लेकिन उनकी ठीक व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड और हिमालय की धरती पर ऐसे फूल होते हैं जो 6-6 महीने तक जिंदा रहते हैं और यदि धरती पर कहीं ऐसे फूल जो 6-6 महीने तक जिंदा रहते हैं तो वे इस हिमालय की श्रृंखला में पैदा होते हैं, जैसे ब्रह्मकमल भी है।

बुरास एक फूल है। यह हृदय रोग का अचूक वाण है। सौगत राय जी, मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हृदय रोग किसी को हो तो बुरास के पत्ते का जूस पीने से सारे हृदय के रोग एक साथ खत्म हो जाते हैं।...(व्यवधान)

जो ब्रह्मकमल है और भी कई ऐसे पुष्पकमल हैं जो सुगंधित होते हैं। यह इत्र यहीं से तैयार होता है जो सुगंध को बिखेरता है चाहे सौंदर्य प्रसाधन का हो या खाद्य पदार्थ का हो और चाहे दवाइयों का हो। यहां की जो जड़ी-बूटियां हैं, जो पुष्प हैं, यदि इस पुष्प को थोड़ा सा भी तोड़ा जाए तो यह पूरा का पूरा महकने लगेगा। ऐसे पुष्प हमारे यहां हैं। हम तो खुशबू देते हैं। हम फूलों की खुशियां और खुशबू देते हैं। हमारे यहां 16-16 कि.मी. तक फूलों की घाटी है। कभी किसी को भरोसा नहीं होता और 700-800 किस्म के फूल यहां होते हैं। ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देश के अंदर ऐसी भी घाटियां हैं। यह हमारे उत्तराखंड में हैं। हमारे हिमालय की बर्फ में हैं। हमारे आसन से लेकर मणिपुर, मिजोरम और कश्मीर से लेकर तमाम घाटियों में हैं। जिस घाटी में भी जाएंगे, वहां ऐसी ही फूलों की घाटियां दिखाई देंगी। हमारे यहां शैम्पू और तेल भी होता है। यह भी उन्हीं से निकलता है।

कृषि के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का बहुत योगदान है। अगली बार इत्र लेकर आऊंगा। ...(व्यवधान)
1962 की जो हरित क्रांति हुई थी, उसका जनक पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है। यह पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय उसी धरती पर है और उस जमाने से लेकर हमारी जो जमीन है और जो उसमें उपज होती है, वह चाहे बासमती चावल हो, आज भी हमारे क्षेत्र में सैकड़ों राइस की मिलें हैं। आज भी गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन उचित नियोजन न होने के कारण और केन्द्र की सही नीति न होने के कारण हमारे किसान वहां दम तोड़ रहे हैं। अभी हरिद्वार में हमारे गन्ना किसानों का दो-दो साल से उनकी उपज

का भुगतान नहीं हुआ। जो किसान अपनी उपज को पैदा करता है, वह सरकारों के सामने भिखारियों की तरह अपने पैसे के लिए गिड़गिड़ाता है जब उसकी बेटी या बेटे की शादी होती है तथा वह कर्ज भी लेता है। वह बैंकों के चक्कर काटता है और जब उसका मूल्य उसको मिलता है तो वह बैंकों के ब्याज में ही चला जाता है।

Comment [a44]: ctd by f3

उचित नीति न होने के कारण यह परिस्थितियां पैदा हुई हैं। हिमालय अपने में बहुत समृद्ध है। मैं सोचता हूँ चाहे चायपत्ती के बागान हों, चाहे बासमती के चावल की खेती हो, चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे अदरक, फूल या फल की खेती हो, हिमालय तो हर दृष्टि से शक्ति का पुंज है। हम बार-बार महसूस करते हैं कि क्यों हिमालय की ओर देखा नहीं जाता है। हिमालय को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, टुकड़ों में व्यवस्था नहीं की जा सकती, टुकड़ों में नीति नहीं बनाई जा सकती। हिमालय आरपार 2500 किलोमीटर के परिक्षेत्र में बसा है। इसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी प्रकार की सम परिस्थितियां हैं इसलिए एक ही नीति बननी बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, खनिज सम्पदाएं बहुत हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हिमालय क्षेत्र में सोने, तांबे, अभ्रक, चूने की खानें हैं। यहां ऐसे पत्थर हैं जो दुनिया में कहीं दिखते भी नहीं होंगे। यहां ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खानें हैं। मुझे याद आता है कि अंग्रेजों ने 1914 में चमौली जिले में एक सुरंग खोदी थी और सोने की खान में कण मिले थे लेकिन यह काम आधा अधूरा पड़ा है। इसके बाद खनन की कोई नीति नहीं बनी और सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। सम्पदाएं और इतनी बड़ी खानें दम तोड़ रही हैं। यहां पत्थर, अभ्रक, तांबा, गंधक, मैग्नीशियम की खानें हैं। इतना ही नहीं यहां थोरियम की खानें भी हैं। तोप और गोले के प्रयोग में जो मैटीरियल यूज होता है, यहां उसकी भी खानें हैं लेकिन आज तक इसके बारे में चर्चा तक नहीं हुई है। हिमालय का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज चीन हमारे सिर के ऊपर आ गया है। 1962 में हमारी स्थिति खराब हुई थी क्योंकि सड़कें वहां तक नहीं थी। चीन हमारे ऊपर आ गया है और हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। यह नीति सीमाओं से संबंधित है इसलिए यह बहुत जरूरी है।

जब मौसम परिवर्तन की बात होती है तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। एयरकंडीशन बंगलों में बैठकर बड़ी चर्चाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं। मौसम परिवर्तन और असंतुलन के कारण धरती की उष्णता बढ़ी है, यदि हिमालय को बचाया नहीं गया तो धरती आग का गोला बन जाएगी। यह बात दुनिया की समझ में आनी चाहिए क्योंकि जो लोग हमें पर्यावरण की शिक्षा देते हैं कि हम एक पेड़ भी न काट सकें, हिमालयवासियों को एक पेयजल योजना के लिए दर-दर भटकना पड़ता है और अनुमति नहीं मिलती है। वनों का हस्तांतरण बहुत मुश्किल से होता है तब जाकर एक मकान बनता है या सड़क बनती है। आज भी 80 किलोमीटर दूर सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, लोग भटकने के लिए मजबूर होते हैं। पर्यावरण की रक्षा के बारे में दुनिया के देश बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा वे ही पर्यावरण को दूषित करते हैं। मेरा

अनुरोध है कि यदि हिमालय की टोटल नीति बनेगी, यह नीति न केवल इस देश बल्कि दुनिया तक को प्रभावित करेगी। आजकल बार-बार ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, ये सब इसी का ही नतीजा है।

मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 में ट्रांस हिमालय विकास प्राधिकरण के गठन की बात हुई थी। मैंने कहा कि वर्ष 1992 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बात हुई थी और उसके बाद 2004 में हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यह कहाँ रुक रही है। 2004 में ट्रांस हिमालय प्राधिकरण बनाने की बात हुई लेकिन यह जहाँ की तहाँ है। मैं समझता हूँ कि अगर हिमालय खतरे में रहेगा तो पूरी दुनिया को खतरा रहेगा। हिमालय की सुरक्षा, सुंदरता और यहाँ के लोग देश को समर्पित हैं। यहाँ सड़कों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। यदि गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की समस्या होगी। इसलिए श्रीमन्, हिमालय के बारे में जो तीन-चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण थीं, वह मैंने सदन के समक्ष रखी हैं।

Comment [r45]: Cd

महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पहाड़ के बारे में 'मैं पहाड़ हूँ' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि पहाड़ की पीड़ा क्या है -

“मैं पहाड़ हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ,
तुम नहीं जानते कि मैं कितना आक्रान्त हूँ।
मौन हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरे शांतिवन में अशांति न आये,
कहीं मंद पवन मलय समीर स्वयं तूफान बनकर न छाये।
फिर मुझे हिमालय का अनुपम धैर्य नहीं खोना है,
विश्व शांति का ध्वज लिए यहाँ मेरा हर एक कोना है।
मुझे तो देश की एकता और अखंडता के लिए जीना है,
मुझे गंगा-यमुना सरसाकर जहर घूंट भी पीना है।
मुझे विष-वमन करते विषैले नाग मिटाने हैं,
मुझे तो जन-जन के हृदय पटल पर समता के बीज उगाने हैं।
वैसे तो मेरी एक छोटी सी चीख भी प्रलय ला सकती है।
दिग-दिगन्त तो क्या ब्रह्मांड हिला सकती है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा,
मैं प्रेम-सौहार्द-एकता का पुंज लिए विश्वशांति नहीं खोने दूंगा।
मैं विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता का संकल्प लिए अडिग खड़ा हूँ,
मैं देश के सौन्दर्य की अनुपम बहार हूँ।
कठोर होते हुए भी विनम्र भाव से कह रहा हूँ कि मैं पहाड़ हूँ, मैं पहाड़ हूँ।”

महोदय, हिमालय के लोगों की कब तक परीक्षा होती रहेगी। देश की सीमाओं पर जब भी युद्ध होता है तो पूरा हिमालय कांपता है। हिमालय का सपूत पहली पंक्ति में खड़े होकर देश की सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है। इन विषैले नागों को कुचलने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मुझे भरोसा है कि इस तरीके के पहाड़ जो हमेशा मानवता के प्रति समर्पित रहे हैं, जो देश के प्रति समर्पित रहे हैं, देश का तन और मन दोनों को ठीक कर सकते हैं। जो शक्ति का पुंज है, चाहे वह आस्था का केन्द्र हो, चाहे वह प्राण वायु देने का केन्द्र हो और चाहे वह पर्यावरण की दुनिया की पहली पाठशाला हो। यह हमारे देश की पर्यावरण की

पहली पाठशाला है। इसलिए मैं जोर देकर फिर कहना चाहता हूँ कि इस समय देश के लिए आवश्यकता है कि देश के इन 11 खूबसूरत राज्यों का एक मंत्रालय बनाया जाए, जो इन सारी नीतियों का निर्धारण करे, वहां के विकास को बढ़ाये, देश को ताकत दे, वहां की जो मनःस्थिति है, जो वहां की परिस्थितियां हैं, जो वहां का पर्यावरण है, जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, जो वहां की थाती है, उसे सुरक्षित रख सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात को पूरी ताकत से जोर देकर हिमालयी राज्यों के लिए अलग मंत्रालय के गठन की प्रार्थना करना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“Having regard to the strategic geographical condition as well as location of the Himalayan States, which causes landslides, cloudburst, earthquakes, hailstorms and other natural calamities every year resulting in huge loss of lives and property and taking into account the socio-economic backwardness of these States, particularly the State of Uttarakhand, this House urges upon the Government to form an independent Union Ministry for Himalayan States, which shall be responsible for the overall and speedy development of these States and in particular perform the following functions—

- (i) to identify backward areas of Himalayan States and ensure their overall development and conservation;
- (ii) to provide special financial package for development of backward areas particularly, border areas;
- (iii) to take effective measures to check cross border infiltration, particularly in the State of Uttarakhand; and
- (iv) to recommend to the Union Ministries concerned for laying of new Railway lines, establishment of hydro power projects, construction of roads and other infrastructural development projects and to strengthen economy by setting up of industries based on natural resources available in the Himalayan States to prevent migration.”

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने जो संकल्प सभा के पटल पर रखा है कि हिमालय प्रांतों के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई जाए, इस संकल्प का मैं उसूलों के आधार पर समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी इसका कितना समर्थन करेंगे। क्योंकि यदि आप मंत्रिमंडल को देखें तो उत्तराखंड से बीजेपी के पांच एम.पीज. चुने गये हैं, उसमें तीन भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं - श्री निशंक जी, खंडूजी जी और श्री कोश्यारी जी और हिमाचल से बीजेपी के चार सदस्य चुने गये हैं। इन नौ सदस्यों में से एक को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो श्री नरेन्द्र मोदी जी हिमालय को कितना प्यार करते हैं, मुझे यह देखकर पता नहीं चलता, शायद वह बता सकते हैं।

Comment [B46]: (cd. by h3)

अगर हिमालयन स्टेट पर एक मिनिस्ट्री बने तो शायद निशंक जी को वहां पर जगह मिले, इसके लिए उन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा है कि हिमालयन स्टेट्स, मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालयन एरियाज़ होने से अच्छा होता। क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हिमालय से जुड़ा हुआ है। परंतु दार्जिलिंग पूरे पश्चिम बंगाल का अंग है। अगर हिमालयन मिनिस्ट्री बनेगी तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को भी उसमें शामिल किया जाएगा। English में अमेंडमेंट देना चाहता था, परंतु पता चला कि एक दिन पहले ही देना चाहिए था, इसलिए नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल में निशंक जी इसको मान लीजिए। दूसरा, अंग्रेजी में जो आया है, हम तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं जानते हैं, Having regard to strategic geographical condition, what he has actually meant is geological condition, not the geographical condition. क्योंकि उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, आप जानते हैं कि उन्होंने बताया है कि Himalayan is a young mountain. सर, आप जानते होंगे कि माउंटेंसे की जमीन के नीचे टेक्टॉनिक प्लेट्स होते हैं और जब इन टेक्टॉनिक प्लेट्स का शिफ्ट होता है, तब अर्थक्वेक्स आते हैं। Himalayan mountains are found on tectonic plates. So, they are prone to earthquakes, landslides, etc. as they are relatively new mountains.

Now, let me speak a few words about Himalayas. Himalayas are one of the longest mountain ranges in the world, though not the longest. Andes mountains are the longest, almost 4,000 miles in Latin America. Rocky mountains are much longer - starting from top to bottom of North America. Himalayas are roughly

1500 miles long. If you start from West of Kashmir, it exists right up to Arunachal Pradesh – around 1500 miles. What are the States falling in the Himalayan ranges? We have Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand - then, as you come, you find China - Darjeeling areas of West Bengal; then, Arunachal Pradesh, and of course, Sikkim. These are the six States which are directly connected to the Himalayan ranges. He has mentioned about Mizoram, Manipur, Nagaland which do not have any Himalayan ranges. There are small hills which are not connected to the Himalayas; these are connected to the main body of the Himalayas.

On the North-West, we have the Gilgit areas, which are Indian territories, occupied by Pakistan. Gilgit is known as northern areas. Chinese have built Karakoram highways through Gilgit, and the northern areas. Then, we have got Ladakh, which is part of Himalayas. Ladakh borders on Aksai Chin and China. Then, Uttarakhand has border with Tibet, that is, China. Himachal Pradesh, in the Kinnaur district, has border with China. West Bengal's hill areas have border with Nepal, Bhutan and Sikkim. Sikkim at Nathula has border with China; and Arunachal Pradesh has border with China. So, strategically this is, as Shri Nishank has correctly pointed out, very important. China has already occupied territory in the Himalayan areas and Pakistan in Pakistan Occupied Kashmir have already given away some areas to China. So, strategically it is very important to develop the Himalayas, to ensure our safety. But I didn't like Nishankji's approach, that is, the BJP approach. He was trying to equate development of the Himalayas with Hindutva by making of symbolic slogans like गंगा हमारी मां है। ये सब बोलकर हम गंगा की कोई उन्नति नहीं कर सकते हैं। You have to take a very scientific view. केवल मां बोलने से नहीं होता है। What have you done to the Ganga? In Uttarakhand, Nishankji, you were Chief Minister. What happened there? Why was so much of bad floods there in the Ganga? When the cloud burst took place above Kedarnath, the dam of the lake broke. Then, on the rivers, hundreds of houses were swept away. Why? It was because you have built houses on the flood plaques of the rivers, namely Alaknanda, Mandakini and Ganga. Rivers must be allowed to expand geologically.

Comment [p47]: Cd by j3

You have got flood plains there and because of our greed and callousness of governments, we have allowed building of houses on the flood plaques of the Ganga. That is why there was so much devastation caused in the Uttarakhand floods last year. Thousands of people were killed and properties worth crores of rupees were lost. Now it is time to take care of the Himalayas instead of calling Ganga Maa, Hindutva, Ayurveda and all that. We have to take a scientific approach. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि read D.N. Wadia's book. D.N. Wadia was a geologist based in Dehradun and he was a world famous expert on Himalayan Geology. Himalayan Geology is a very deep branch of Geology which one has to understand to follow what is the way to save the Himalayas.

Sir, he has mentioned that the Himalayas in Uttarakhand gave birth to many rivers. He mentioned Ganga and Yamuna. We have got Gangotri and Yamuna not only from Uttarakhand, but Indus, which is also called Sindhu emanating from Ladakh. Strangely enough you never mentioned Sindhu even once. But Advaniji, since he is from Sindh, started Sindhu Darshan in Ladakh. आपकी बात में एक बार भी सिन्धु नहीं आया। All rivers are great. No river is holy. Rivers are lifelines of the nation. They provide irrigation, they provide transportation and they are lifelines of our economy. The great Nazrul Islam – he was a Muslim, not a follower of Hindutva – said:

*“Ganga Sindhu Narmada
Kaveri Jamuna oi
Bohia cholechhe aager mato
Koi re aager manush Koi.”*

So, all these are great rivers. In Nazrul's poem, for the sake of rhyming he left out Godavari. He said: ‘Ganga Sindhu Narmada Kaveri Jamuna...’. Therefore, all the rivers are very important and Ganga is special in the sense that it is a perennial river. आप सिन्धु के बारे में बोलना चाहते हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैंने सभी नदियों को समाहित किया, क्योंकि वक्त होता तो मैं सारी नदियों का नाम कहता, लेकिन मैंने कहा कि सैकड़ों नदियां हैं, दर्जनों नहीं, सैंकड़ों नदिया हैं।

दूसरी बात, महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब केदारनाथ की त्रासदी आयी तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। मैं आपको ये दोनों बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ।

PROF. SAUGATA ROY : Sir, what I wanted to say is that a fresh study of the whole Himalayan areas of the flood plains and the position of tectonic plates should be undertaken and how much of construction should be allowed in the hill areas should be freshly determined because in the present state, the Himalayas will be in danger and we are waiting for a disaster to happen in the Himalayas.

Comment [s48]: (Cd. by k3)

The other thing that has happened, Nishank *ji* will note, is massive deforestation. The trees have been cut mercilessly throughout the Himalayas, particularly in Uttarakhand. He has mentioned Ramdev. Baba Ramdev has done nothing to preserve environment. He has started selling Ayurvedic drugs from his Haridwar ashram. I know it is a profitable business. There is some controversy; I do not want to go into it. He should have mentioned Sunderlal Bahuguna, the man who dared and started the Chipko movement. He said, when contractors come to cut the trees, hold them tight. He did more to raise consciousness about the Himalayas than anybody else did. Nishank *ji*'s Hindutva-oriented speech left out Sunderlal Bahuguna, the environmental part of it, the scientific part of it. वे जड़ी बूटियाँ हैं। *Jari bootiyan* can be used only when you use them as phytochemicals in a modern way. पहले हमारे ऋषियों को जो ज्ञान था, उससे आज की दवाइयाँ नहीं बनेंगी। उसके लिए ज़रूरत है कि वहाँ जो जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, उन पर साइंटिफिक रिसर्च करें और फिर उनसे ठीक से दवाइयाँ बनें। सारी दुनिया ऐसा कर रही है। हम लोग अभी पुरानी जड़ी-बूटियों की बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव यह सब कर रहे हैं, इस प्रकार हिमालय को बचाया नहीं जा सकता। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिमालय केवल हिन्दुओं का नहीं है। I was born a Hindu. ... (*Interruptions*)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : एक मिनट प्रोफेसर साहब, अगर सभापति जी की अनुमति हो। मुझे लगता है कि आपकी सारी प्रतिक्रिया गंगा और हिन्दू पर आकर खड़ी हो गई है। सभापति जी, मैंने अपनी बातों में इस बात का भी संदर्भ दिया था कि जब कुम्भ 2010 हुआ था, तो इंडोनेशिया जो मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है, वहाँ इंडोनेशिया के राजदूत से लेकर तमाम लोग, 150 देशों के लोग, वे सारे हिन्दूवादी देश नहीं थे। इसलिए गंगा को इससे जोड़ना मैं कम से कम उचित नहीं समझता। मैंने कहा था श्रद्धा है, हमारी धरोहर है

और सारी दुनिया की उस पर आस्था है। तो आपको क्यों नहीं होगी। आप बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि गंगा को हिन्दू से मत जोड़िये। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए कि जहाँ सारी दुनिया के देशों के लोग प्राणों को हथेली पर रखकर उसका स्पर्श करने के लिए लालायित हैं, वहाँ हिन्दुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति यह बोले कि गंगा को क्यों जोड़ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि साइंटिफिक तरीके से सिद्ध है कि गंगा का जो जल है, वह अमृत जल है, सड़ता नहीं है। उसकी एक बूँद पानी हज़ारों व्याधियों से लड़ने की ताकत रखती है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव आप भी ऐसा दीजिए। आज हिमालय राज्य इसीलिए तो मांग कर रहे हैं और जो आपने कहा कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि यदि इसके लिए मंत्रालय बन जाएगा, एक नीति बनेगी तो बहुत अच्छा होगा।

प्रो. सौगत राय : अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को मेरे भाषण में से कुछ बोलने का मौका मिला। मैं यह कह रहा हूँ कि हिमालय के किनारे केवल हिन्दू नहीं रहते हैं। मैं तो हिन्दू हूँ। लेकिन लदाख पूरा बुद्धिस्ट है, सिक्किम पूरा बुद्धिस्ट है। ये हमारे विनसेंट पाला जी मेघालय से क्रिश्चियन हैं। इसलिए गंगा या हिमालय से हिन्दुत्व का कोई योग नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि गंगा को बचाएँगे, अरे भाई, यह सब लोगों की है। आप वाराणसी को बचाना चाहते हैं। वाराणसी में जितने हिन्दू रहते हैं, उतने मुसलमान भी रहते हैं। वे दोनों ही हमारी परंपरा के भाग हैं। आप क्यों मुल्क को बाँट रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, you should address the Chair.

PROF. SAUGATA ROY: Sorry, Sir. That is why, I want to say that let a Ministry for Himalayan Affairs be formed, not a Ministry for Himalayan States. That Ministry for Himalayan Affairs will take into account everything: its geological needs, its environmental needs, its water needs and its power needs. Make a holistic plan for the Himalayas. We have such a wealth in the Himalayas.

Comment [R49]: Contd. by s3

17.00 hrs.

But the Himalaya is not only for poets. We used to read Kumarsambhav written by Kalidas where he has described about the Himalaya. It is translated in Bangla and I am reading a few lines from it.

*Sudur urdhe oi surodham, sporshi tahare Himalaya naam,
Raje giriraj mohamhigarh, byapi uttarakhandey*

That is a poet's imagination. Tagore has written any number of poems on it. His father Debendranath Tagore used to spend a lot of time in the Himalayas. Swami Vivekananda, when he was touring around the country, went to Almora and sat there in meditation. Then he went into Mayavati, right into forest, and he opened Advaita Ashrama.

We have a famous writer called Prabodh Sanyal. He wrote two books namely Mahaprasthan Pathe and Debotamta Himalay. There was a writer, Sir Ashutosh's son, Umapasrad Mukherjee. He is known all over the Himalayas even in a small *cheti* people used to know him. He has written a book called Himalaya Pathe Pathe. Almost a hundred years ago, one Bengali writer Jaladhar Sen, wrote a book called Himalaya. So, the Himalaya has a great fascination for Bengalis.

Even last month, one Bengali lady, Chhanda Gayen, climbed the Kangchenjunga. She wanted to get up on the Associated Peak. Then, she lost and we have not found her body yet. That is the magic the Himalayas still hold for us. So, let us take a larger plan for the Himalayas. The unfortunate thing, if you go up to the Himalayas, you see is that it is so beautiful but people there are so poor. There is no road. When you go to a village, there is no road. There are enormous natural resources. We have not exploited them yet at all.

The Himalaya can be a source of the biggest hydroelectric power in the world. We have one dam called Tehri. We have one dam in Himachal Pradesh. But, hundreds of such mini hydle projects can be built on the Himalayas and the Himalayas would be ideal for modern industries like computers, electronic goods, for watches.

Look at what Switzerland has achieved. Last year or the year before the last, I went to Switzerland. The Alps is only 15000 feet high. How they have exploited the Alps! First, you see the Rhein Falls in Switzerland. When you go up to 14,000 feet – you know what I discovered there itself – everything is written in Hindi there. It is because every year our Mumbai people are going to Switzerland to shoot films. They do not go to the Himalayas because there is no infrastructure and other facilities. In Alps, when you are going up the mountains, you see hundreds of people doing skiing. There is a place called Laguna, which is known for winter sports. In Gulmarg, we have also some. But, this can be developed in a big way.

Sir, what is needed, is forward thinking. Unfortunately, all our politicians are concerned only about small things in the Himalayan areas. There has been no big tank thinking about the Himalayas. In Darjeeling areas of West Bengal, our State Government is doing a great job. It is the only place where a demand for a separate State has been subdued because of the development carried out by the Government led by Mamata Banerjee. We have been able to subdue totally divisive secessionist movements.

In Sikkim, they have done great work. The Prime Minister mentioned the other day that Sikkim is the first organic State in the country and no inorganic fertilizer is used there. So, that is a great achievement.

इन सब को एक जगह करना है। निशंक जी, यह बहुत अच्छा बिल है। आप मंत्री तो नहीं बने, पर अपनी जगह के प्रति फेथफुल रहे और यहां आते ही आप ने हिमालय की बात सामने लायी।

In this House we discussed the Uttarakhand flood. Dr. Nishank, you were not here in the 15th Lok Sabha. We discussed how human greed destroyed the

Uttarakhand plains. Army and Air Force people and the Border Roads Organization had rescued many people. We are proud of them. If they had not been there, we do not know how many thousands of people would have been killed during the flood. That is a question to be asked.

I was in the Defence Consultative Committee. I constantly asked these Army people, “What are you doing about roads up to the Chinese border?” Sir, would you believe that the Chinese built a railway line from Beijing to Lhasa, and from Lhasa right up to the Arunachal Pradesh border? Bomdila would be 30 miles from there. Tawang would be only 30 miles from there. Here is our friend from Arunachal Pradesh. We have not been able to construct a railway line.

सर, यह सब अर्जेन्ट है। इसलिए मैं फिर से उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मुझे यही कहना है कि हिमालय को डेवलप कीजिए। इसमें से हिन्दुत्व निकाल दीजिए, रामदेव वाली बात निकाल दीजिए। आइए, हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि सब लोग मिलकर हम लोग एक देवतात्मा हिमालय सेल बनाएं।

यही बोल कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in a very important Resolution that my colleague, Dr. Nishank, has brought before Parliament.

It is something very close to my heart. Shri Mahtab ji is just carrying an article of mine which I have written very recently on the specific need for a Ministry which looks into the Himalayan affairs expanding the whole scope of the Ministry as it were.

The Resolution, obviously, in many ways, is limited to bringing out many of the issues faced by Uttarakhand but I am sure, Dr. Nishank ji will not mind if we expand the scope of the Resolution on many fronts as previously mentioned by my friend from Trinamool Congress, Prof. Saugata Roy.

Now, Sir, let me state the first and foremost thing that the Himalayas is a geographical formation. It is proven that it is because of this geographical formation that the entire water security of the largest part of India is sustained. We know of the El Nino phenomenon which may impede or not allow for the clouds which come but once the clouds come, then you have a barrier in which it is not allowed to move on but then it is allowed and it cools it sufficiently so that we have the monsoons. Now, it is so remarkable that in 2009 when I first entered Parliament that we had a similar kind of a situation, a very drought-like situation.

Comment [151]: cd. by n3

There again, everybody started talking about the Himalayas and water towers: why are the dams within various States running low? Why is it that we have water issues and all these kinds of issues that came up due to the drought like situation? I would argue that if this is such an important formation and it has, over the centuries, attained the kind of mystique that we have, I think, it is important that the nation, specially the Government now, wake up to this fact and with one voice all of us, across the party line, say that we definitely need to look after the Himalayas, be it the environmental issue, be it the development or be it the other kinds of conservation issues that may come up.

Therefore, I think, it is not too late. I completely agree that we need a Ministry to look into this so that there is focussed attention. Now, why is the focussed attention required? It is required because there are a large number of issues related to the Himalayas. It is only when we have a flood like situation, as it happened in Uttrakhand, Kedar Nath Valley or we have a situation like in Sikkim on 8th September, 2011 when there was a catastrophic earthquake or when there are issues related to dams that suddenly people wake up. It is true that population-wise, all the Himalayan States will never be able to compete. We cannot compete with Uttar Pradesh or Bihar. But certainly, when it comes to being the sentries in the forefront of the border areas, being the border States and keeping the peace there, I think, we stand shoulder to shoulder with the rest of the country.

Therefore, Mr. Chairman, Sir, I would like to buttress my arguments by stating that there are many institutions but they are too few. I can just name them. One was already mentioned by Prof. Saugata Roy about the Wadia Institute. That is one institution, which does some stellar work. There is another institution for all the mountain countries surrounding the area called EC Mode. This is located in Kathmandu. It looks after all the knowledge gatherings of the mountain areas of China, India, Afghanistan, Myanmar, Nepal, Bhutan and Sri Lanka. There are lots of universities also, which have come up. There is our famous G. B Pant Institute for Himalayan and Environmental Development.

If you actually start looking at some of the outputs of these institutions, all that they are saying is, 'livelihoods in these regions matter, the women matter.' There is far too much of out-migration from these places because of the hardships. So, all these issues, which are social and economical, need to be addressed. But in the Ministry or even for that matter in the Planning Commission, thus far we do not have a mechanism whereby all these issues are factored in into our planning processes.

I would just give you one example. We have, what is known as now, an Indian Mountain Initiative. This is something, which was done within the last three-four years. With the Indian Mountain Initiative, we started looking at all the mountain States. We started looking at all the issues around the 11 mountain States and some of the districts, which cover mountain areas.

Comment [r52]: Contd by o3.e

This is very interesting that this particular institution, along with other Members of Parliament from the Himalayan region, was able to get the Planning Commission organise a working group on mountain and mountain issues for the Twelfth Plan. Therefore, systemically, we have managed to, at least, bring this particular issue to the forefront. However, the difficulty with all this is that if there is a Ministry and if that Ministry becomes the focal point of all this knowledge harvesting and if it becomes the focal point for development and devolution of all the schemes, then I am sure that we will be able to do something.

Finally, there are two more important things that I would like to say here. One is that the mountain railways are a must. The last mountain railway was built by the British and it was left at that. So, today if we talk of mountain railways, there is one which links up to Shimla; there is one which links up to Darjeeling; and there is one in the Nilgiris; and that is it, whilst the Chinese have been able to bring the most sophisticated railway system across the mountains, right up to Lhasa from Beijing. If this is the possibility in terms of harnessing of their engineering skills, their knowledge and science, then why is it that we are lagging behind? I would like to use this forum to impress upon the Railway Minister that a Task Force needs to be built. I had actually given a letter to Madam Mamata Banerjee way back when she was the Railway Minister requesting her to create a Task Force. It needs focussed attention. If we can take the railways right up to Nathu La, right up to the border areas, then it will be one big achievement and you can actually have a trans-Himalayan railway line.

I would also like to flag the issue of eco tourism. Today if there is one area or one sector of economic activity which can change or revolutionize the

economic development in the mountains, it is eco tourism. And, if we do it in a soft and sustained manner, taking into consideration the environmental conditions, then eco tourism is the way.

Sir, with these words I thank you for giving me time to bring to this House some of the most important issues that relate to the Himalayan environment, to the Himalayan affairs and to the Himalayan States.

I support this Resolution wholeheartedly.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, जैसा सौगत राय साहब ने कहा, मैं बहुत दिल से इच्छा कर रहा था कि अगर हमारे डॉ. रमेश पोखरियाल जी निशंक एक मंत्री के रूप में एक सरकारी बिल की तरह इस बिल को हमारे बीच में लाते तो उस से हमारे जो हिमालय के निवासी हैं, जो वहां रहते हैं, उन के लिए यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता।

17.19 hrs.

(Shri Hukum Singh in the Chair)

चूंकि आप इसे सदस्यों के एक निजी संकल्प के रूप में लाये हैं, हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। हमारे वहां पूर्वोत्तर राज्यों का एक मंत्रालय है, जिसके द्वारा हमारे वहां विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको पूरी तरह हम नहीं निभा सकते हैं। हिमालय, जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश का ताज है, हमारा मुकुट है, अगर हमारा ताज ही नहीं रहता तो हमारा जो मेन लैंड इंडिया है, उसका विकास जितना भी करो, उसमें हमारी इज्जत नहीं होती। इन्होंने लिखा है कि आपातकालीन स्थितियों में जो बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लैंड स्लाइड्स होती है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, इन सब कारणों पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां के रहने वाले लोगों का हमारी सरकार के ऊपर विश्वास है कि हम एक मंत्रालय का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे। चाहे जम्मू-कश्मीर से लेकर, लेह के रीजन को लेते हुए, हिमाचल को लेते हुए, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग को लेते हुए, सिक्किम को लेते हुए, अरुणाचल प्रदेश को लेते हुए, अन्य जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर और मिजोरम है, लेकिन विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जो बर्फीला इलाका है और वहां पर बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है। वहां सबसे पहला मुद्दा जिसको हमने पहले भी लिया है, वह यातायात का है। वहां सड़क यातायात बहुत खराब है। अभी हमारे सौगत राय जी ने चीन के साथ एक तुलना की किस प्रकार से वहां रास्ता है, फोर लेन रोड जो नाथुला में आती है या हमारे यहां तवांग में आती है और वहां पहले जो एक रणनीति वर्ष 1962 में बनायी थी कि अगर हम वहां रास्ता बनायेंगे तो वहां चीन बहुत आसानी से आ सकता है। यह जो मानसिकता है, जो सोच है, उसे हमें बदलना होगा। **This is the land of ICBMs; this is the time of Sukois.** इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, उस सोच को हमको अभी भूलना पड़ेगा और हमें विशेष ध्यान इन हिमालयन इलाकों के लिए देना पड़ेगा।

पनबिजली के लिए अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ, उसमें कम से कम 55000 मेगावाट की क्षमता है। उसको हम क्यों टैप न करें। अगर उसको टैप करने जायें, चाहे वहां एनएचपीसी की हो, निपको की हो, एनटीपीसी की हो, रिलायंस की हो या अन्य जितने पावर डेवलेपर्स हैं, वे वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि

Comment [M53]: Cd by p3

वहां यातायात की सुविधा नहीं है। यह हमारे वहां एक बड़ी खामी है। इसके लिए हमको सोचना होगा। हमारे यहां पेट्रोलियम है, कोयला है, कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन उसको वहां से निकालने के लिए भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमको यातायात पर विशेष ध्यान देना होगा, चाहे रेल का हो, चाहे हवाई का हो या हमारा सड़क मार्ग हो।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं पर्यटन के विषय में जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे जितने भी हिमालयन रेंजेज हैं, मैं हिन्दुत्व वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि एक छोटी सी जगह अरुणाचल प्रदेश है। वहां मालिनीथान जैसी जगह है, वहां परशुराम कुंड जैसी जगह है, वहां पर तवांग का बहुत मशहूर मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए गुम्पा है। वहां पर जीरो में एक 25 फीट का शिवलिंग है, जहां लोग उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां यातायात के साधन ही नहीं हैं, रास्ता ही नहीं है, इससे वहां पर्यटकों को बहुत असुविधा होती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इस पर तभी ध्यान दे सकते हैं, जब आपका अपना एक मंत्रालय हो। विशेषकर इस देश का जो ताज है, जो मुकुट है, उसका आप ध्यान रखें। परशुराम कुंड के बारे में मैं बताता हूं। हमने दो बार इस विषय को सदन में उठाया। रेल मंत्रालय में मैंने इसको दिया, रेल मंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिखी। परशुराम कुंड वह जगह है, जहां भगवान परशुराम ने जितने भी पाप किए थे, आप कहानी तो जानते ही हैं, उन्हें वहीं पाप से छुटकारा मिला। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आती है जो एक तीर्थ स्थान है और जहां लोग जाकर अपने आपको पुण्य करते हैं। ... (व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उन्होंने अपने पापों को नहीं, उन पर एक मातृहन्ता योग लग गया था, उससे मुक्ति पाने के लिए था। भगवान परशुराम को पापों से युक्त मत बताइए। उनके ऊपर मातृहन्ता योग लगा था, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने किया था।

श्री निनोंग इरिंग : सुधारने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने में थोड़ी-सी गलती हो गई। पिछली बार जब आदरणीय प्रधामंत्री वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है और गुजरात में सूरज ढलता है। श्रीकृष्ण भगवान वहां जाकर, भीष्मा एक नगर है। राजा भीष्मा को एक बेटा और एक बेटा थी। जब रुक्मणी का स्वयंवर हुआ था तो रुक्मो के साथ झगड़ा हुआ था। वहां पर अभी भी बाल काटने का सिंबल है। लोग इसे भी मानते हैं। यह पर्यटकों के लिए एक विशेष जगह है। यहां पर अभी भी प्राकृतिक सुंदरता है। लोग नेचुरल सुन्दरता को देखने के लिए वहां पर जाते हैं। जैसे - शिमला और कश्मीर है, वैसे ही हमारा तवांग, मेचुका, अनीनी है। हमारा देश विशाल है। लोग कहते हैं कि हम बहुत जगह जाते हैं। मुझे बहुत दुःख होता है कि लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं जानते हैं। यह तभी हो सकता है जब इसके लिए एक विशेष मंत्रालय होगा। लोगों को जानकारी होगी कि पूर्वोत्तर राज्य क्या हैं। हिमालयन राज्य क्या हैं। हिमालयन एरिया में क्या तकलीफ होती है। जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो हम

Comment [p54]: Cont by q3.h

उसको किस प्रकार काउंटर कर सकते हैं, हम उसको किस प्रकार रोक सकते हैं। हम वहां किस प्रकार विकास कर सकते हैं। मैं इन सब पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

अंत में, हमारे जो फ्यूचर मंत्री साहब, रमेश निशंक जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। सत्ता पक्ष के सदस्य हों, प्रतिपक्ष के सदस्य हों या किसी भी दल के सदस्य हों, सभी सदस्यों के द्वारा इस विषय के महत्व को रेखांकित किया गया है। मैं रमेश पोखरियाल निशंक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे इस सत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आप माननीय सदस्य थे, सौभाग्य से डा. रमेश पोखरियाल निशंक जी माननीय सदस्य थे और मैं भी सदस्य था। उस समय उत्तराखंड या उत्तरांचल सौभाग्य से उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उस समय जब यह प्रस्ताव आया था कि उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की जनता के द्वारा एक अलग राज्य की मांग लगातार उठ रही थी। इसके लिए आंदोलन भी चल रहा था। उस समय भी जो प्रस्ताव आए थे कि अलग से उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए। उस प्रस्ताव पर भी मैंने इस बात का समर्थन किया था कि उत्तराखंड को अलग से एक राज्य का दर्जा दिया जाए। सौभाग्य से एक प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं उन राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए, केन्द्र में अलग से एक स्वतंत्र मंत्री और मंत्रालय का गठन किया जाए। चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंभीर है। हम से पहले जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि डा. रमेश पोखरियाल निशंक जी इसका दायरा बढ़ा दें। उन्होंने प्रारंभ में केवल उत्तराखंड की बात नहीं कही थी। उन्होंने हिन्दुस्तान के उस हिमालयन स्टेट्स के अंदर आने वाले जो 11 राज्य हैं, उन्होंने उन 11 राज्यों की चर्चा की है। 11 राज्यों का क्षेत्रफल 5,93,00 किलोमीटर है, वहां की आबादी लगभग 7 करोड़ है, इनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। उनकी मंशा स्पष्ट है।... (व्यवधान) हमारे 11 राज्य हैं - असम जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम।

हमारे प्रोफ़ेसर साहब ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें हिंदुत्व और हिन्दू को निकाल दें, वे प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, आज रमेश जी ने खुद इस बात का समर्थन किया कि केवल इस देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के साढ़े आठ करोड़ लोगों ने उस कुंभ में, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इस देश में गंगा के बिना और हिंदुत्व और हिन्दू के बिना कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि निकालने की बात मुनासिब भी नहीं है। वे जो संकल्प लेकर आए हैं, उसमें उनका साफ मकसद है कि उस एरिया में जो लगातार कठिनाई आती है, मैं आज शायद इस विषय पर नहीं बोलता, लेकिन केदारनाथ की जो त्रासदी हुई, उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग हताहत हुए, हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए लोग उसमें नहीं रहे। इसलिए उन परिस्थितियों को देखते हुए कि जब भूस्खलन हुआ, यह मेरे सामने बैठे हुए हैं, यह उस परिस्थिति के स्वयं

Comment [155]: cd

प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप उस त्रासदी में थे। इन 11 राज्यों में जो भूस्खलन होता है या केदारनाथ में जो हुआ या अक्सर आप सुनते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल में बादल फट जाते हैं, भूकम्प आता है, ओला वृष्टि होती है, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, देश के दूसरे राज्यों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होतीं, इनसे हजारों लोगों की जान-माल की क्षति होती है। वहां जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनके कारण अगर यह मांग उठी है तो इसके पीछे एक स्पष्ट मकसद है। मैं समझता हूं कि इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं कि एक अलग से मंत्रालय का गठन क्यों; हिमालय क्षेत्र में जो 11 राज्य आते हैं, उनके चौमुखी और तीव्र विकास के लिए कोआर्डिनेशन हो, इसके लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए। इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मौनीटरिंग के लिए अलग से केन्द्रीय मंत्रालय होना चाहिए और उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए भी अलग मंत्रालय होना चाहिए।

कौन इस बात से सहमत नहीं है कि जब केदारनाथ में त्रासदी आई तो 72 घंटे केवल टेलीविजन से, केवल ऋषिकेश के सीन बार-बार दिखाए जा रहे थे। मैं समझता हूं कि वहां की सरकार भी पंगु थी, उसे कुछ नहीं पता लग रहा था कि कितने लोगों की जान जा रही है, कितना नुकसान हुआ है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं था। बाद में रिपोर्ट आई। आपने भी पढ़ा होगा कि वहां की सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई थी।... (व्यवधान) अगर केन्द्र का मंत्रालय होता तो कम से कम पहले ही पत्र लिखता। जब यात्रा चलती है, चार जगह ऐसी हैं, मैं समझता हूं कि प्रो. सौगत राय इस बात से इत्तफाक करते होंगे कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो बुजुर्ग लोगों की श्रद्धा और आस्था का केन्द्र है, 70-75 साल के लोग भी वहां जाते हैं चाहे पानी के माध्यम से जाएं या खच्चरों के माध्यम से जाएं। उसके बाद भी कोई बैठक नहीं हुई। आपने देखा कि राज्य में 72 घंटे तक चीजों का समन्वय नहीं हो पाया। फिर केन्द्र सरकार ने हैलीकॉप्टर दिए, फोर्स के लोगों को भेजा, आर्मी ने मार्च किया क्योंकि सब रास्ते टूट गए थे। आपने देखा होगा कि महीनों तक किस तरह डेड बॉडीज पड़ी रहीं।... (व्यवधान) उन परिस्थितियों को देखते हुए 11 राज्यों को मिलाकर अलग मंत्रालय बनाना चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग की बात उठी। आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी चिन्ता का विषय है। अनुराग जी बैठे हुए हैं। आप जानते हैं हिमाचल में ऊना जैसे इलाके में बहुत गर्मी पड़ती है, लाहौल स्पीति, किन्नोर में बर्फ पड़ी रहती है। इन राज्यों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां केवल चार महीने सामान्य जनजीवन रहता है। पूरे साल लोग बर्फ में रहते हैं। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में वे रहते हैं। उस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या हम इस सदन में बैठकर चिन्ता न करें उस ग्लोबल वार्मिंग की चिन्ता इससे पहले लंदन में हो, बर्किंगम विश्वविद्यालय में हो, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। 21 जुलाई, 2003 को बर्किंगम

विश्वविद्यालय में एक कांफ्रेंस हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। उसमें कहा गया कि जो वैश्विक तापन है, उसके कारण हिमालियन ग्लेशियर्स 40 वर्षों के भीतर लुप्त हो सकते हैं। उससे भारत जैसे देश में सूखे और अकाल का खतरा हो सकता है।

मान्यवर, यह वहां के प्रमुख अखबार टाइम्स ऑफ लंदन में छपा या जो हिमालियन मिसकन्सैपशन एंड डिस्टार्शन--what are the facts, इसमें किताब छपी है। इसमें कई लोगों की रिपोर्ट आयी है। सेरहजबेन की रिपोर्ट आयी थी जो उस क्षेत्र के ग्लेशियर के मध्य हिमालय हैं, वे वर्ष 2035 तक लुप्त हो सकते हैं। श्री बैरी जो उस कांफ्रेंस में भाग ले रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मुक्त वातावरण लगभग 6 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई के साथ औसतन तापमान घटता जा रहा है, जिसके कारण जो डीएएलआर है, वह 9.8 डिग्री प्रति किलोमीटर की ओर है। माना जा रहा है कि मध्य हिमालय में एक सामांतर रेखा बर्फ के साथ चल रही है और लगभग 5 हजार एमएएएल सभी ग्लेशियरों के समाप्त होने के लिए 7 हजार मीटर वृद्धि की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा खतरा है, तो इस रिपोर्ट पर भी हमें सदन में चिन्ता करनी चाहिए। विकास ऐसा न हो कि ग्लोबल वार्मिंग में चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो और जिस बात को कहा गया, मैं प्रो. सौगत राय की बात से सहमत हूँ कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वे जिस तरह से आपस में रगड़ खा रही हैं, उसी के कारण भूकंप भी आता है, बादल भी फटता है, लेकिन उसी के साथ जल स्रोत भी सूख रहा है। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ।

महोदय, इस पर पहले भी वीरेन्द्र कश्यप जी एक प्रस्ताव लेकर आये थे। 3 जुलाई और 10 जुलाई, 2009 को, जब हम पन्द्रहवीं लोक सभा में थे, उस समय भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। उन्होंने उस समय एक बोर्ड के गठन की बात की थी। उस डिबेट में अनुराग जी ने भी भाग लिया था। मैं समझता हूँ कि पचासवीं राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा था जिसे आज हम डिसकस कर रहे हैं। यहां पर हम उस संकल्प पर चर्चा कर चुके हैं। आज नार्थ ईस्ट में एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, उस काम को भी अटल जी ने किया था। मुझे लगता है कि हिमालियन रेंज का जो मंत्रालय बनेगा, वह काम भी हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी करेंगे और यह निश्चित तौर से जायेगा। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : क्या आप उस समय अटल जी की प्रशंसा करते थे। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हम हमेशा करते थे। मैं अटल जी की आलोचना भी नहीं करता था। ... (व्यवधान)

प्रो. साहब मैं आपकी बात करता हूँ। ... (व्यवधान) लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते थे, तो उनकी चर्चा विस्तार से होती थी। कोई ऐसा नहीं था, जो उनकी बात न करे। ... (व्यवधान) इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आयी, उस प्राकृतिक आपदा के बाद एक महत्वपूर्ण विषय आया है। उस

महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो 11 राज्य हैं, उनके लिए निश्चित तौर से वहां की जियोग्राफिकल बाँडरीज बनायी जाये, जबकि आप दूसरी बात कह रहे हैं। उन दोनों में एक को-आर्डिनेशन होना चाहिए और एक केन्द्रीय मंत्रालय होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और उत्तराखंड को भी हम 90 प्रतिशत विशेष अनुदान देते हैं। इस तरह से उन योजनाओं का भी लाभ होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आ चुका है। इस बात से आप भी अवगत हैं कि आज कई क्षेत्रों का विकास भी रुक गया है। वहां अगर एक किलोमीटर सड़क बनानी हो, तो आज जो मैदानी इलाके की सड़क की कीमत है, उससे कहीं गुना ज्यादा वहां पर सड़क बनाने की कास्ट आती है क्योंकि सामग्री सब नीचे से जाती है। इसलिए वहां की परिस्थितियां अलग हैं। हम विकास की बात करते हैं। केदारनाथ की घटना हुए एक वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक हम सड़क नहीं बना पाये, पुल नहीं बना पाये। आखिर जो उन गांवों में लोग रहते हैं, वे वहां बहुत विषम परिस्थितियों में रहकर काम कर रहे हैं।

Comment [R57]: Cd by t3

आज जो जिले हैं, उन जिलों के बारे में पहले 17 मार्च को योजना आयोग ने कहा था कि हम इस पर गठन करेंगे। आज वर्ष 2004 का भी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उल्लेख किया, फिर दादा कहेंगे कि आप अटल जी की बात कर रहे हैं, उस समय एक इन्टर-मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स का गठन हुआ था, जिसकी बैठक भी हुई थी। लेकिन उसके बाद ट्रांस-हिमालयन विकास प्राधिकरण के गठन की बात हुई थी, लेकिन उसका गठन नहीं हो पाया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन यदि कोई चीज पीछे नहीं हो पाई, तो मैं उसी चर्चा में रहूँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद यह 16वीं लोक सभा का श्रेय रहा होगा, केदारनाथ की त्रासदी के बाद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। यदि वहाँ पर अध्ययन होता रहे तो निश्चित तौर से बादल फटने या भूकम्प आने को रोका जा सकता है। यदि उस पर कोई मंत्रालय बन जाएगा, तो उस पर स्टडीज भी होगी, उस पर जानकारी भी मिलेगी कि किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है। आप देखते हैं कि ग्लेशियर खिसक रहे हैं। वे बातें ऐसी हैं जिन पर हम फोकस करें। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि इस तरह की घटनाओं की कभी कल्पना थी नहीं, इसलिए कभी इस तरह की तैयारियाँ नहीं हुईं। आज भी हम इस तरह की बड़ी घटनाओं को केवल एक राज्य पर छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ, केवल यही परिस्थितियाँ नहीं हैं, आज नेपाल उससे मिला हुआ है, जिस तरह से माओवाद से खतरा है, जिस तरह से चाईना की सिक्किम के ऊपर निगाह है, आज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कई राज्य हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जिस तरह से आतंकवाद का खतरा है, तो मैं समझता हूँ कि केवल एक राज्य ही उन समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता और न उन चुनौतियों का सामना कर सकता है। उसके लिए भी कम से कम केन्द्र और राज्य का समन्वय होना चाहिए। हमारे संघीय ढांचे में समन्वय है। बार-बार हमारे

प्रधानमंत्री इस सदन को आश्चर्य कर रहे हैं, देश को आश्चर्य कर रहे हैं कि हम विकास तभी कर सकते हैं जब राज्य और केन्द्र का समन्वय हो। उसमें जब केन्द्र लगातार सहयोग देने की बात कर रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो उन राज्यों की परिस्थितियाँ हैं, उन्हें देखते हुए हम इस तरह के मंत्रालय का गठन करें। आज वहाँ के लिए वाटर रिसोर्सज़ की बात कही कि देश में सबसे ज्यादा क्यूबिक पानी हम दे रहे हैं। आखिर वहाँ से कितनी हिमालयन नदियाँ निकली हैंx चिनाव, रावी, व्यास, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि नदियाँ हैं। सिर्फ गंगा की बात नहीं है, आखिर ये सारी नदियाँ तो हिमालय की हैं। तो इन नदियों पर भी आज किस तरह की डिमांड बढ़ रही है, आज भी देश में कितने बिजली की आवश्यकता है, आज सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो हाइड्रो है, हम लोग शायद एनर्जी कमेटी में भी रहे हैं और थर्मल का रिसोर्स जो कोयला है, वह कभी न कभी खत्म होगा, वह विषय नहीं है।

माननीय सभापति : माननीय जगदम्बिका जी, कृपया अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं काफी बातें कहना चाहता था। एक लाख मेगावाट पोटेंशियल है हाइड्रो का। उस एक लाख मेगावाट को भी स्कैटर्ड करने के लिए जिस तरीके का काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। पिछले दो वर्षों से, यह बात इस समय कहने की नहीं है, लेकिन यदि एन.एच.पी.सी. में कोई फुल टाइम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आज इन राज्यों से पूरे देश को हम बिजली दे सकते हैं। इसके बावजूद भी सरप्लस बिजली हो सकती है। एक तरफ यहाँ हम बिजली पैदा कर सकते हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरे देश की जनता के हित में हो सकता है, तीसरा प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों से

निपटने के लिए उपाय कर सकते हैं और केन्द्र की सूचना मंत्रालय के सहयोग से हम वहां का विकास बहुत तेजी से कर सकते हैं। आपस की एकता को देखते हुए, जब इन ग्यारह राज्यों का एक मंत्रालय होगा, तो एक साथ उन मुख्यमंत्रियों की बैठक जो हमारे देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर से एक बहुत ही सार्थक, बहुत ही उपयोगी और इसकी एक बड़ी उपादेयता है। जिस संकल्प को ये लेकर आए हैं, मैं उस पर बल देता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन इसे पारित करेगी।

Comment [MSOffice58]: Fld by U3

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I would have spoken just after Prof. Saugata Roy but Mr. P.D. Rai, my friend, wanted to speak as he has some other work to do. This is the last day of this week and I thought that I will give my space to him but I found that subsequently two other Members also have spoken who have wider knowledge about the Himalayan region.

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank of course has moved this Resolution today and it deals with two major aspects – speedy development and conservation. These are the two aspects on which we should be deliberating upon instead of wasting our time upon the purity of the water of the Ganges, the Hindutva and whether other religions have any significance relating to the Himalayas.

The four priorities set out by the hon. Member in the Resolution are as follows. First is to identify backward areas of Himalayan States and ensure their overall development and conservation. The second priority is to provide special financial packages for development of backward areas particularly, border areas. As far as I understand, all the States that are on the foothills or on the Himalayas are getting special category status, and what better financial packages would there be I think the Minister will be mentioning while replying to the debate.

The third priority is to take effective measures to check cross border infiltration. I have not heard anyone who has spoken on this aspect.

PROF. SAUGATA ROY : BJP should.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Cross border infiltration is related not just to Bangladesh, it is related to China border, it is related to Nepal border. This Resolution is not relating to Bangladesh, Prof. Roy, you need not worry.

Cross border infiltration is occurring from Nepal and that is also a great problem for India as a whole, and that is also affecting Kashmir valley. In that respect this needs deliberation.

The fourth priority is to recommend to the Union Ministries concerned for laying of new Railway lines, establishment of hydro power projects, construction

of roads and other infrastructural development projects and to strengthen economy by setting up of industries based on natural resources available in the Himalayan States. These are the major points which the hon. Member moved in his Resolution.

I would start with saying this. The name 'Himalaya' has been derived from two Sanskrit words. One is *hima* and the other is *alaya*. That is how the name Himalaya has come into use. It means the Abode of Snow. In English language we have a number of words relating to snow, ice and other forms and other than Sanskrit, in our traditional languages we do not find so many words describing the various stages of ice, snow or other aspects.

Here when we talk about Himalayas we have to also understand the massive Himalayan arc that extends over 2500 km between Nanga Parbat in west and Namcha Barwa in the east. Here I would say, Mr. Chairman, the higher regions of the Himalayas are snow bound throughout the year and in spite of their proximity to the tropics, the perpetual snow level seldom falls below 5,500 metres. The Himalayan ranges encompass numerous glaciers. Notable amongst them is the Siachen which is the largest glacier in the world outside the polar region.

The Himalayan glaciers are the source for several large perennial rivers which in turn further define and shape the mountain configuration and the rain into major river system of the continent. The Himalayan region is dotted with hundreds of small and big crystal clear lakes. It is not only glaciers, it has many crystal clear lakes many of which are considered sacrosanct by the followers of various religions, not only Hindus. Here I would say there are several religious places or sanctum sanctorums in the Himalayan region.

Buddhism has Tawang and Rumtek monasteries, Dharamshala Buddhist temple and Mono Bukur; in Hinduism, there are Kamakhya, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Vaishnodevi and Sri Amarnath temples; in Sikhism, we have Nishan Sahib, Nanak Sahib, Hemkund Sahib, Ponta Sahib, Manikaran Sahib and Pather Sahib; in Islam, there are Hazratbal and Charar-e-sharief shrines and

Comment [MR59]: Cd by w3

Comment [R60]: SHRI BHARTRUHARI
MAHTAB CONTINUED

Piran Kaliyar; in Christianity, there is the Catholic Cathedral at Kohima and Baptist Church in Mizoram. So, it is not only one religion. Of course, we Hindus treat the Himalayas as an abode of God but there are other religions also who treat this Himalayan range equally.

I would say, the Himalayan ranges have a profound effect on the climate of the Indian sub-continent and the Tibetan plateau. They prevent the frigid and dry Arctic winds from flowing south into the sub-continent, keeping South Asia much warmer when compared to the regions located between corresponding latitudes throughout the globe. They are a barrier for the moisture laden monsoon winds preventing them from travelling further northwards and thus facilitating timely and heavy precipitation in the entire northern India.

I would say, during winters, the Himalayan ranges pose a barrier to storms coming from the west and as a consequence receive precipitation in the form of snow at higher ranges and rainfall in lower elevations and the adjacent plains of north India. Thus, there are two distinct periods of precipitation in IHR – first, the moderate amounts brought by western disturbances during winter; and secondly, the heavier precipitation during summer due to southerly monsoon winds. The winter precipitation is more pronounced in the western Himalayas in comparison to the eastern Himalayan region while the reverse is true for the summer monsoon.

Despite being a general barrier to the cold northerly winter winds, the Brahmaputra valley receives part of the frigid winds causing substantial lowering of temperature in North-East India, helping north-east monsoon to occur during that season.

We have river systems, where the western rivers flow into the Indus valley basin. The other Himalayan rivers drain into the Ganga-Brahmaputra region. As the only exception, the eastern most glacial river feeds the Irrawady river basin which originates in eastern Tibet, flows south through Myanmar and finally drains into the Andaman Sea. So, when we are talking about the river basins of the Himalayas, we have to keep these three in consideration.

With such a profound influence on the regional climate and due to great variations in altitude and latitude, the Himalayan region nurtures a staggering bio-diversity of flora and fauna. The Indian Himalayan Region accounts for around 70 per cent of the Himalayan bio-diversity hotspots. Recognition of the Himalayas as one of the 34 global bio-diversity hotspots aptly reflects its wide ranging ecological significance.

In the religious traditions of India, the Himalayas as an entity has been personified as Himavan, the father of Lord Shiva's consort Parvathi. Multiple ethnic compositions are a striking feature of this region. More than 170 of the total 701 Scheduled Tribes of India inhabit this region. The Tribal Affairs Minister was here. I would be happy if he takes cognisance of this information.

There is a distinct social awareness on conservation and natural resource management as reflected by the origin of world famous environment movement Chipko and the existence of a number of traditional institutions. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri Mahtab, just for a moment, will you take your seat?

Comment [R61]: CONTINUED BY X3

I have to inform the hon. Members that two hours have already been taken on this Resolution, thus, almost exhausting the time allotted for this discussion. As there are six more hon. Members to take part in the discussion on this Resolution, the House has to extend time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Agreed. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : At 6 o'clock, the House will take up 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Exactly at 6 o'clock, we will take up 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: My suggestion would be that I will take another 5-7 minutes. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The time for discussing this Resolution is extended by one hour, with the consensus of the House.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Let me complete it and then you can take up 'Zero Hour'. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already informed that at 6 o'clock, we will take up 'Zero Hour', by which time, Shri Mahtab can conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : In the initial years after Independence, especially up to the 5th Five Year Plan, that is, 1974-79, the approach to development of the Himalayan Region was no different from that of the rest of the country, as there was little appreciation of the unique problems and developmental needs of the Himalayan Region. In the 5th Five Year Plan, for the first time, the developmental issues of the Himalayan Region and the problems of the hill areas of the country were recognized. It was in consideration of this that a Special Hill Area Development Programme was initiated during the 5th Five Year Plan period. However, development programmes based on sectoral approach implemented during the 1970s made limited impact in the hill areas of the country. ... (*Interruptions*) Mr. Singh, I have to say something about our Prime Minister. So, I would request you to kindly pay some attention.

I am referring to the 5th Five Year Plan, when a change was made, but it had very little impact. So, in recent years, the need to integrate development with environmental concerns has taken the centre-stage, which was accepted and articulated in policy documents with greater regularity. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him continue; kindly do not interrupt him.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The hill areas of the country are faced with certain peculiar problems inhibiting the process of development. On account of the difficult terrain, variable agro-climatic conditions, distinct social and cultural features, the hill areas have remained backward.

Today, the thinking for the plains continue – this is the problem in our planning – to dictate the resource-use of Himalayan Region. I need not go into the details, but here, I would say that you have to make the western Himalayan Region and the eastern Himalayan Region; severe soil erosion takes place in Jammu & Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh. Aluminum toxicity and soil acidity, soil erosion and floods, sifting cultivation, non-availability of electricity, poor road, poor input delivery system and communication infrastructure, etc. are prevalent in North Eastern States - in Assam and in Sikkim too. But in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, we have severe soil erosion and we have degradation due to heavy rainfall.

HON. CHAIRPERSON: Sorry to interrupt you. It is already 6 o'clock.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My only request to you is this. I will take hardly another 3-4 minutes. Let me conclude and after that, let the House take up the 'Zero Hour'. It is up to you.

Comment [r62]: Fld Y3

18.00 hrs.

HON. CHAIRPERSON : Is it possible to take it up next time? Next time when we will take up this Resolution you can continue your speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : We will not be taking up the Resolution next Friday. Next Friday we will be taking up Private Members' Bill. So, I could speak only after 15 days which will have very little impact. As the House decides, I have nothing to say.

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, we may extend the time of the House till 'Zero Hour' is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. I would like to draw the attention of the House to a serious matter. The distribution and issue of passports have ground to a halt all over the nation for the last few months and this is causing innumerable hardships to the students and those employed in foreign countries or those who wish to go for employment in foreign countries. The relevant authorities state that the imported paper and lamination sheets exclusively used for printing passports are not reaching the high security Press in Nasik on time. In my State around 3000 passports used to be issued every day from Trivandrum, Cochin and Calicut offices which have now shrunk to one-third and it is going to reduce further.

The Tatkal passports that are usually delivered within a day for emergency purposes are also not being delivered on time and so do the regular issue of passports liable to be delivered in a month's time.

Considering the dire situation suffered by scores of Keralites, as you know a lot of students are going abroad for study or job and they are in a very difficult situation because of this hardship, I would urge upon the Ministry of External Affairs to take expeditious steps, issue necessary directions and have the necessary raw materials delivered at the earliest so as to resume delivery and issue of passports immediately.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन का और इस देश का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक ओर हमारे देश के संविधान, कानून और नियम इस सदन ने पास किए हैं, वहीं दूसरी ओर उस कानून को पास करने वाले लोग जिनके माध्यम से कानून पास होना है और उनकी परीक्षा के लिए जो योग्यता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तय की गयी हैं, उसमें बड़ा अजीब विरोधाभास है। एक ओर हमारे संविधान में पारित किया गया कि हमारे देश की राजभाषा हिन्दी हो, हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो, वहीं तमाम शासकीय काम जिन

प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होने हैं, उनकी परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से होती है, उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो तरीका अपनाया गया है, मैं समझता हूँ सभापति महोदय इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पीछे कितना षड्यन्त्र होगा, यह तो आपको इसकी सच्चाई को सुनने के बाद स्वयं महसूस होगा।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी के ऊपर प्रशासनिक और तमाम पदों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी है और उस आयोग ने वर्ष 2010 का जो पाठ्यक्रम रखा था, उस पाठ्यक्रम में गांव के गरीब, किसान, आप स्वयं रूरल बैकग्राउंड से हैं और इस बात को जानते हैं कि ग्रामीण अंचल के नौजवान जो परीक्षाओं में पास होते थे, वर्ष 2011 से, यह अलग बात है कि विगत सरकार के कार्यकाल लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार होगा। वर्ष 2011 से जब से सी-सेट लागू हुआ है, तब से इतनी विडम्बना है कि यदि हम आपके सामने आंकड़े पेश करेंगे तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे।

Comment [i63]: cd.

सभापति महोदय, अगर हम यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षाओं की बात करें, तो जहां 2008 में प्री एग्जाम में 45 फीसदी, 2009 में 42 फीसदी, 2010 में 35 फीसदी छात्र ग्रामीण अंचलों, हिन्दी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के लोग उत्तीर्ण हुए थे। वहीं सी-सेट की परीक्षा में जब से यह माध्यम लागू हुआ है, 2011 में यह संख्या घटकर 11 फीसदी हो गई है और 2012 में यह संख्या 16 फीसदी हो गई। यह प्री परीक्षा का हाल है। मेन्स परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल परिणाम आए, उन परिणामों की जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। आप एक लाइन में कह दीजिए कि आपकी क्या मांग है?

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, इस सत्र में आपके पीठासीन होते हुए मैं पहली बार बोल रहा हूँ। यह विषय इतना गंभीर है और मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ।

माननीय सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे मालूम है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। तीन मिनट हो गए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है। 2009 में हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 24 फीसदी थी और 2013 का जो परिणाम आया, वह प्रतिशत केवल 2.3 फीसदी रह गया है।

माननीय सभापति : कितना प्रतिशत होना चाहिए?

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : जो पुराना पाठ्यक्रम था, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं होनी चाहिए। यह बात हम तो कह ही रहे हैं। संघ आयोग ने एक समिति गठित की थी।...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हम कभी आपके सामने जिद नहीं करेंगे। हमेशा अनुशासित रहेंगे। संघ आयोग ने श्री अरुण निगवेकर समिति गठित की थी। उस आयोग की समिति की सिफारिशों में भी इस बात को कहा गया कि यह जो सी-सैट परीक्षा की प्रणाली है, यह प्रणाली शुद्ध रूप से ग्रामीण छात्रों की विरोधी है। हिन्दी भाषा और भारतीय भाषाओं की विरोधी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सी-सैट की प्रणाली को खत्म करें जिससे कि ग्रामीण अंचलों के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आ सकें।

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एसोशिएट किया जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हुई है, इसके खिलाफ यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों लोग जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से तैयारी करते हैं, वे लोग धरने पर बैठे हैं और पिछले दो-तीन दिनों से वे भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसी सदन में तीसरी चौथी बार यह मामला उठ रहा है। पन्द्रहवीं लोक सभा में भी यह मामला कई बार उठा था। यह भारतीयता और भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक साजिश है। इस साजिश को रचने वाले जो लोग हैं, वे आज भी भारतीय वेशभूषा में अंग्रेजों की परम्परा को जबरन भारत के अंदर लादना चाहते हैं और इसलिए आपके माध्यम से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि एक तो जो प्रारम्भिक परीक्षा में सी-सैट प्रणाली का जो दूसरा प्रश्नपत्र है, उसको हटाया जाए क्योंकि यह प्रणाली मानविकी, गैर-तकनीकी, गैर-प्रबंधन, स्नातक छात्रों के प्रतिकूल तथा तकनीकी एवं प्रबंधन विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अनुकूल है। इसलिए इस असमान प्रतिस्पर्धा यानी सी-सैट को समाप्त किया जाए। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में गलत और जटिल अनुवाद न किये जाएं क्योंकि जो अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं, आप संसद में भी देखते होंगे कि कितने कठिन और जटिल होते हैं। सामान्य व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाएगा। उसको उस प्रकार का न किया जाए। मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्नपत्र, स्तर हिन्दी या भारतीय भाषा के प्रश्नपत्र के समान ही रखा जाए। उसे जानबूझकर ज्यादा कठिन न किया जाए। सामान्य अध्ययन की जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। उसमें भी भेदभाव हो रहा है। उसको भी समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो साक्षात्कार में अन्याय होता है, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनको अधिक नम्बर दिये जाते हैं और जो भारतीय भाषाओं में या किसी भी भारतीय भाषा में जो परीक्षार्थी शामिल होता है, उसको वहां पर

हतोत्साहित किया जाता है। यह ठीक नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहते हैं और साथ ही कहना भी चाहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, यहां पर माननीय मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे इस बात का आग्रह करूंगा कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए कि भारतीयता के खिलाफ, भारतीय भाषाओं के खिलाफ देश की सर्वोच्च परीक्षाओं के माध्यम से जो एक षडयंत्र रचा जा रहा है, उसका पटाक्षेप होना चाहिए और इस देश की जो होनहार प्रतिभा आज अनशन और भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर है, कम से कम उनकी बातों को सुना जाना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री जगदम्बिका पाल जी, यह आपका विषय वैसे तारांकित विषय में डिसकस हो गया है, फिर भी आप बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): ठीक है। इनके बाद हम बोल लेंगे।

माननीय सभापति : श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.पी.चौधरी और श्री ओम बिरला को एसोशिएट किया जाए।

Comment [a64]: fd by a4

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय सभापति, आपने मुझे लोकसभा में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका बलिया लोकसभा क्षेत्र के 20 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। हिन्दुस्तान की आजादी में बलिया का सबसे निर्णायक रोल रहा है। क्रांति की शुरुआत बलिया से हुई थी। मंगल पांडेय जी ने पहली बार क्रांति की मशाल जलाई थी।

माननीय सभापति : यह जीरो आवर है। आप विषय पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ। आज बलिया की कितनी उपेक्षा हो रही है। बगल के आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली रहती है। 16 मई को हम चुने गए, पूरे पूर्वांचल की बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : हमें बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : यह चन्द्रशेखर जी की जन्मभूमि है।...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मैं केवल बलिया की बात नहीं कह रहा हूँ। पूरे पूर्वांचल में बिजली की व्यवस्था 16 मई के बाद तहस नहस हो गई। एशिया का सबसे बड़ा पावर ग्रिड बलिया के इब्राहिम पट्टी में है। जिस समय सैंकड़ों एकड़ किसानों की जमीन ली गई, उस समय किसानों को आश्वासन दिया गया कि आज से

बिजली बलिया को दी जाएगी। आज तक एक यूनिट बिजली बलिया को नहीं दी गई। पावर ग्रिड इब्राहिमपट्टी से हिमाचल प्रदेश को बिजली जाती है, दिल्ली को बिजली जाती है। हर जगह बिजली जाती है लेकिन बलिया में नहीं है। आज बलिया में 1960-70 के दशक का बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, आए दिन तारों से एकसीडेंट हो रहे हैं, जान-माल का नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि बलिया और गाजीपुर जनपदों की तार व्यवस्था को बदला जाए। जर्जर ट्रांसफार्मरों को बदला जाए और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली रहती है, अन्य जगह रहती है तो बलिया में क्यों नहीं रहती हैं। बलिया का क्या गुनाह है। पूर्वांचल में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बिजली का पैमाना बराबर होना चाहिए।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भरत सिंह : महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं पहली बार बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति : जो उनके लिए समय है वही आपके लिए है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरी अनुमति के बिना कही गई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भरत सिंह : महोदय, मैं मांग करता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में बिजली की बराबर व्यवस्था की जाए। हर जनपद को बराबर बिजली मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए चाहे वह जिला किसी का भी हो। भारत सरकार बलिया में जर्जर तारों को बदलने की व्यवस्था करें।

श्री जगदम्बिका पाल(डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूँ और कदाचित्त यह पूरे सम्मानित सदन से जुड़ा हुआ विषय है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, पूरे देश में जो एक सामान्य वर्षा होनी चाहिए, वह 195.7 मिलीमीटर नार्मल जून के महीने में है, एक जून से दो जुलाई तक देश के हिस्सों में अगर सामान्य बारिश होती है तो वह 195.7 मिलीमीटर होती है। लेकिन वास्तविक रूप से जून में 195.7 के सापेक्ष केवल 109 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह रिपोर्ट हमारी नहीं है, यह इंडियन मिटिरियोलोजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि जून महीने में सामान्य से 42 प्रतिशत बारिश कम हुई है। स्वाभाविक है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो कहेंगे कि मान लिया फसल प्रभावित होगी, लेकिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में भंडारण क्षमता है और अन्न की कोई

* Not recorded.

कमी नहीं है। मैं यह मान लेता हूँ कि देश के राज्यों की आवश्यकता के अनुसार आप पीडीएस में केन्द्रीय पूल से अन्न दे देंगे, लेकिन जो खरीफ की फसल है, जो किसान पहली जुलाई से सोइंग करता है, धान की बुआई करता है या धान को बैठाता है या दलहन या तिलहन की जब पैदावार कम होगी, वह पैदावार जिसकी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि साफ तौर से पिछले साल 2013-14 में 264 मीट्रिक टन पैदावार हुई थी। इस बार संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, वह 261 मीट्रिक टन है। यह जो सैन्टर फार मानिट्रिंग इंडिया इकोनॉमी है, उसके हिसाब से भी जो मानिट्रिंग हुई है, वह .06 परसेन्ट कम पैदावार होने की संभावना है, तो निश्चित तौर से इस बात को जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक सर्वेक्षण रख रहे थे, उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक तरफ इराक के संकट को लेकर और दूसरी तरफ इस देश के कम मानसून को लेकर हमारे जीडीपी पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसे सरकार भी स्वीकार कर रही है कि कम मानसून के कारण न केवल पैदावार को नुकसान होगा, बल्कि हमारी कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी।

महोदय, एक तरफ केन्द्र सरकार का बजट आया है, वह निश्चित तौर से गतिशील बजट है, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट है और सभी ने उसका स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रकृति का पक्ष है, उस प्रकृति के कारण सभी राज्यों के लिए एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यह बात जब एक सचार्ड है कि 42 परसेन्ट औसत हुआ है और कुछ राज्यों में उससे ज्यादा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जहां 10 से 15 जून के बीच में मानसून आता था, वहां के आईएमडी के आंकड़े हैं कि 91 फीसदी कम बारिश हुई है। अगर मैं राज्यवार कहूँ तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप देखते हैं, आप स्वयं विद्वान हैं कि अवर्षण होने से कई संकट पैदा हो जाते हैं। गांवों के तालाब सूख जाते हैं, जल स्तर नीचे चला जाता है तो उसके कारण व्यक्तियों से ज्यादा जानवरों के लिए संकट पैदा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि उन जिलों के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए और ताल, तालाब, तलैयाँ को भरवाया जाए। आज आपने सुबह रिपोर्ट देखी होगी कि मुम्बई हो या दिल्ली हो, यहां भी पेयजल का संकट पैदा हो रहा है। पानी की कटौती अगर इन मेट्रो सिटीज में हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं देश के दूसरे राज्यों और सुदूर अंचलों में क्या हो रहा है। इसी तरीके से पशुओं के चारे का संकट है। सिंचाई के लिए स्वाभाविक है कि मैं कहूँगा कि अतिरिक्त बिजली दी जानी चाहिए। मैं इस विषय पर यहां नहीं खड़ा हूँ कि राज्य यह खड़े होकर कहें कि केन्द्र से दिला दीजिए। लेकिन इसका कोई न कोई समन्वय स्थापित हो। इस समय किसानों को मानसून की कमी के कारण जो धान की बुआई करने के लिए, खेत को भरने के लिए जब तक ट्यूबवैल नहीं चलेंगे, तब तक निश्चित तौर पर किसान का जो क्षेत्रफल है, वह पूरा सिंचित नहीं होगा। इसमें अतिरिक्त बिजली मिलनी चाहिए। पेयजल के

लिए जिलेवार कोई एक कार्य योजना बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के लिए एक समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसलिए जो अवर्षण से, सूखे से जो एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है, इसके संबंध में मांग करता हूँ कि इस पर केन्द्र सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब आ जाए या इस पर सरकार कुछ रिस्पांड कर दे तो मैं बहुत आभारी होऊँगा। क्योंकि यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है।

माननीय सभापति : श्री पी.पी.चौधरी अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर पिछले तीन महीनों से पासपोर्ट की बुकलेट प्रिंट नहीं होने के कारण पासपोर्ट का वैरिफिकेशन होने के बाद भी पासपोर्ट के रीन्युअल के लिए भी पिछले एक महीने से विदेश जाने वाले लोग पासपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी के पिता बीमार हैं, किसी के बच्चे का एडमिशन होना था, किसी को गम्भीरता से जाना था लेकिन एक महीना हो गया है और पूर्ववर्ती सरकार ने इटली की एक कंपनी को माईक्रोचिप बनाने का आदेश दिया था और वह माईक्रोचिप फेल होने के कारण न तो माईक्रोचिप बन पाया, न बुकलेट छप पाई। जिसके कारण विदेश जाने वाले लोग, पिछले एक महीने से पासपोर्ट ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं।

सभापति महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि तत्काल कार्यवाही कर के पासपोर्ट की बुकलेट छपाएं और कोटा के अंदर पासपोर्ट ऑफिस खोलने की कार्यवाही करें क्योंकि कोटा राजस्थान का वह शहर है, जहां एक लाख विद्यार्थी पढ़ता है। जहां से पासपोर्ट ऑफिस की दूरी 250-350 किलोमीटर है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पासपोर्ट की बुकलेट छपवाएं और जल्द से जल्द कोटा में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत करवाएं।

माननीय सभापति : श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री पी.पी.चौधरी स्वयं को श्री ओम बिरला के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदय, बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार संसद में आया हूँ। मेरा खाकी से खादी तक और मुंबई से बागपत तक का जो सफल सफर रहा, उसके लिए मैं भगवान का, पार्टी का और बागपत के अपने मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, अपने क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपकी अध्यक्षता में हम लोग एक डेलिगेशन लेकर आदरणीय रेल मंत्री जी के पास गए थे। जो शाहदश-साहारनपुर रेलवे लाइन है, अगर किसी को इस धरती पर चलता-फिरता नर्क देखना हो तो उसे उस ट्रेन में यात्रा करनी चाहिए। सन् 1907 से लेकर सन् 1970 तक यह छोटी गेज की लाइन रही।

Comment [B65]: (cd. by c4)

सन् 1970 से यह ब्रॉड गेज की लाइन बनी। लेकिन इसकी जो स्पीड है, यहां से 20 किलोमीटर पर खेकड़ा है या 50 किलोमीटर दूर बड़ौत है, दिल्ली आने के लिए दो-दो घंटे लगते हैं। इसकी स्पीड 23 किलोमीटर से ले कर 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहां यह बात आश्चर्यजनक है, वहीं चिंता का विषय भी है। कहते हैं कि दीया तले अंधेरा होता है। दिल्ली के चारों तरफ इतना विकास हो गया, बागपत का क्षेत्र 15 किलोमीटर दूर से शुरू होता है, लेकिन विकास यहां से 1500 किलोमीटर दूर है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से और विशेषकर रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस साल का जो बजट है, उसमें प्रावधान किया जाए कि इस रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतिकरण किया जाए। हम बुलेट ट्रेन की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री व मैट्रो रेल कार्पोरेशन से आग्रह है कि कम से कम बड़ौत को मैट्रो से जोड़ा जाए और मोदीनगर को गाजियाबाद से मैट्रो से जोड़ा जाए। हम लोग बुलेट ट्रेन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही जरूरी बेसिक चीज़ की मांग कर रहे हैं, केवल एक्सप्रेस ट्रेन की मांग कर रहे हैं। ताकि सहारनपुर तक जो लोग रहते हैं, उसमें कई जिले आते हैं, उन लोगों को राहत मिल सके। आपको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस क्षेत्र के हज़ारों-लाखों लोग आ कर दिल्ली में बस गए हैं और दिल्ली में जनसंख्या का इतना दबाव बना कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार को इतना पैसा खर्च करना पड़ा, उनके लिए पानी का प्रबंध, सीवर का प्रबंध, बिजली का प्रबंध करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100 स्मार्ट टाउन बनाए जाएं। अगर हम कम से कम बागपत और बड़ौत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मूलभूत रेल व सड़क की सुविधा देंगे तो सबको बहुत फायदा होगा।

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे इस ज़ीरो आवर में पहली बार बोलने का अवसर मिला है। आज इस सदन की एक सुंदरता है कि साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति इस सदन का सदस्य बन सकता है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोक सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। बनारस बगल में है। बनारस एयरपोर्ट के बारे में आपसे निवेदन है कि उसका सौंदर्यकरण और विस्तार किया जाए। आपके माध्यम से सरकार से मेरा यही निवेदन है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, इस ज़ीरो आवर में मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी न किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं। यह पूरे देश के लोगों की मांग है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाषाओं को

संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ, तब 14 भाषायें आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधन के माध्यम से आज 22 भाषायें आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाषायें क्षेत्रीय हो सकती हैं, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहां पहुंच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ वैश्विक हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहां नौकरी कर रहा है, कहां व्यावसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहां बोले जाने वाली भाषा, संस्कृति, पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोलने जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी-अपनी रचनायें एवं कविताएं, लोक गीत, रागनियां, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।

महोदय, समय-समय पर सदन में उठती मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनायी थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर अभी तक मंत्रालय में कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। इस हेतु आयोग ने 17 जुलाई, 2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है। रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण केंद्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लंबित हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा व गायन भी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृ भाषा में सीखता है।" यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता है। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसंबर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब आश्वासनों की सरकार थी, जो 2006 से लेकर अप्रैल 2014 तक आश्वासन ही देती रही। परन्तु इस बार मैं राजस्थानी भाषा में कहना चाहूंगा कि "ई बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चायजे"।

महोदय, अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों व राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिये जा रहे आश्वासनों पर गम्भीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री सी.आर.चौधरी व श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको श्री पी.पी. चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. नेपाल सिंह जी।

अब तो आप यहां पार्लियामेंट में हैं, विधान परिषद में थोड़े ही हैं। यह कानून व्यवस्था का मामला जो आप उठाना चाहते हैं, इसे आप रोज वहां उठाते रहे। आप अपनी बात पेश कीजिए।

डॉ. नेपाल सिंह (रामपुर) : महोदय, आप विधान मंडल के नेता थे, आपने मुझे प्रेशर में बना रखा था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान ऐसे मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा, जो राजनीति का एक कैंसर है और यह कैंसर धार्मिक आधार पर समाज को अलग करता है। पूजा पद्धति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यह मौलिक अधिकारों को छीनता है, व्यक्तियों में धार्मिक भावना उबालता है। मैं ऐसे तुष्टिकरण के कैंसर को एक उदाहरण के द्वारा आपके समक्ष रखूंगा।

Comment [C66]: Contd. By e4

मान्यवर, मुरादाबाद जिले में चंदेरी अकबरपुर एक गाँव है जो कांठ में आता है। वहाँ गाँव में छोटे से शैड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। वहाँ उनका एक बहुत पुराना मंदिर है, उस पर एक बाउंड्री है। वहाँ पर एक लाउडस्पीकर बजता था। मैंने कैंसर इसलिए कहा है कि यह राजनीति का नंगा नाच है। मान्यवर, वहाँ पर पता नहीं कैसे क्या हुआ, कौन से लोग पुलिस में गए या कौन से लोग प्रशासन के पास गए, वहाँ प्रशासन ने बजाय इसके कि यह प्रयास किया होता कि दोनों समुदायों के बीच में मामला सुलझ जाए, इसके बजाय पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ जाकर माइक को छीन लाए और इससे वहाँ की जनता में आक्रोश आ गया। यह आक्रोश स्वाभाविक था। पूजा पद्धति तो मौलिक अधिकार है लेकिन धीरे-धीरे यह परंपरा का रूप लेता चला जा रहा है। उससे आक्रोशित होकर, आवेश में आकर 27 तारीख को कांठ में उन्होंने एक सम्मेलन किया, मीटिंग की और कहा कि हमसे गलत व्यवहार किया जा रहा है, हम दोनों ही आपस में सुलह कर लेते। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस घटना का उल्लेख करना ज़रूरी है क्या।

डॉ. नेपाल सिंह : महोदय, मैं तो बहुत कम बोलने वालों में से हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने डॉ. नेपाल सिंह को बुलाया है। इसके अलावा जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कोई भी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी, केवल डॉ. नेपाल सिंह जी को मैंने बुलाया है।

*(Interruptions) ...**

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाँ प्लीज़। सदन गुमराह नहीं हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेन्द्र जी, अब सब न बोलें। अब व्यवधान पैदा न करें। बैठ जाँ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी लोग बैठ जाँ। योगी जी, आप भी बैठिये। आप लोग आपस में बात न करें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आपस में बात न करें।

*(Interruptions) ...**

* Not recorded.

माननीय सभापति : योगी जी, आप प्लीज़ बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अरे, आप तो राजधानी से हैं मान्यवर। उनको बोलने दीजिए। डॉ. नेपाल सिंह जी, आप कहिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : देखिये, यह कोई फ्री फॉर ऑल नहीं हो रहा है। प्लीज़ बैठिये।

डॉ. नेपाल सिंह जी, आप बोलिये और अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए।

डॉ. नेपाल सिंह : मान्यवर, उसके बाद उन्होंने 4 जुलाई को एक पंचायत बुलाई। पुलिस की ज़्यादाती बढ़ गई और 62 लोगों को 11 बजे के करीब थाने में बंद कर दिया। 11 बजे से 7 बजे तक 7x7 के कमरों में उनको रखा गया जहाँ पानी, पंखा नहीं था। उनको पानी भी नहीं दिया गया। अब पता नहीं यह सरकार का कौन सा नियम है, मैं नहीं जानता। उन कमरों में उनको रखा गया और 7 बजे उनको पीटा गया। पीटना भी ऐसा कि उनके गालों पर चप्पल मारीं, उनके गाल और कान सूज गए और कान में भी दर्द हुआ। बाद में डंडों से पीटा गया। 7x7 के कमरों में 12-1 बजे तक उनको रखा गया। ...(व्यवधान) माननीय यादव जी से मैं एक्सक्यूज़ चाहता हूँ। मैं इन्क्वायरी मांगूंगा, आप करा लें। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ मांग की आपने।

डॉ. नेपाल सिंह : मैं मांग कर रहा हूँ। माननीय सभापति जी, इस घटना के बाद मुझे बिजनौर जाना था, मुझे भीकनपुर रोक दिया गया, माननीय सैनी साहब भी थे।

माननीय सभापति : मैं यह चाह रहा हूँ कि आप वह मांग कर दें जो केन्द्र सरकार कर सकती हो।

डॉ. नेपाल सिंह : मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं अब उस घटना की बात छोड़कर आगे आ गया हूँ। मान्यवर, हमें किस आधार पर रोका गया, हमें बताया नहीं गया। यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। वहाँ से छः घंटे के लिए ले जाकर हमें पुलिस लाइन में रखा गया जहाँ कोई पंखा नहीं था। अब किसी सांसद को जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न कोई मुचलके हुए, इस प्रकार रखा, यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। इस पर मैं इन्क्वायरी चाहता हूँ। दूसरी बात, ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए, आपको भी बाद में बोलने का अधिकार है।

दूसरा, मान्यवर कांठ में 11 बजे व्यक्तियों को बंद किया गया, पीटा गया और दूसरे दिन पांच तारीख को तीन-चार बजे के करीब जेल भेजा गया। करीब 24 घण्टे का डिटेनशन और जो थाने में प्रजेन्ट थे, उन पर धारा 302 लगा दी गई। मैं इस पर जांच चाहता हूँ।

माननीय सभापति : आपका सारा विषय आ गया है, आप कृपया करके बैठ जाइए। आपको विशेष अनुमति दी गई थी।

...(व्यवधान)

डॉ. नैपाल सिंह : मान्यवर, मेरे दो प्वाइंट और हैं।...(व्यवधान)

श्री रमेश विधुड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, इस पर एसआईटी से जांच करवायी जानी चाहिए। इस पर केन्द्रीय एजेंसी से जांच करवायी जानी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, मांग तो माननीय सदस्य करेंगे।

डॉ. नैपाल सिंह : माननीय सभापति जी, मेरा एक बिन्दु और है जो मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। क्या पूजा-पद्धति मौलिक अधिकार नहीं हैं? क्या पद्धति कहीं से भी संविधान से जुड़ी हैं? एक को एलाऊड है और एक को नहीं है? एक का बनता रहता है। वहाँ गांव में चार धार्मिक स्थल ऐसे थे जो अध बने थे, निर्माण नहीं हुआ था वहाँ माइक लगे हुए थे।

माननीय सभापति : डॉ. साहब आपका विषय आ गया है। आपको एक ही विषय उठाना था, लेकिन उसी में आपने दर्जनों विषय उठा दिए।

डॉ. नैपाल सिंह : मान्यवर, यह पुलिस की ज्यादती का विषय है और मैं इस पर जांच चाहता हूँ, इनक्वायरी चाहता हूँ। यादव जी से भी चाहूंगा कि find out the facts.

माननीय सभापति : वह आश्वासन कैसे देंगे।

डॉ. नैपाल सिंह : वहाँ इनकी सरकार सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उनको दोष देना चाहिए।

माननीय सभापति : यहाँ इनकी-उनकी सरकार का प्रश्न नहीं है। आपने विषय रख दिया है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, नैपाल सिंह जी भी हैं। जब सांसद को संसद में आने से रोका जाता है, उस समय विशेषाधिकार का मामला बनता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अपने विशेषाधिकार के बारे में माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है। आप उस विषय को क्यों उठा रहे हैं? उसको बार-बार उठाने की क्या जरूरत है? आप बैठ जाइए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मेरे ख्याल से कम्युनली सेन्सिटिव इश्युज को संसद में नहीं उठाना चाहिए। This should be a place where everybody can speak and raise issues which are not concerned with religion, communalisation etc., but raise only those issues which are common to everybody.... (*Interruptions*)

Sir, I would like to raise a matter of urgent public importance pertaining to the State of West Bengal. The Left Front Government in West Bengal left a total outstanding debt of Rs. 2.03 lakh crore when it demitted office in May, 2011. As a result of this, the present Government in West Bengal has to pay roughly Rs. 28,000 crore in the current year as principal and interest to the Central Government and a total of Rs. 83 crore in the last three years which is being deducted directly from the State's dues. The Government of West Bengal has been pleading for the last three years for a moratorium on the payment of interest, but has not received any response so far. As a result of this, development work in the State is being hampered badly.

I would urge the Central Government and the Finance Minister, who has already presented the Union Budget yesterday, to take a positive decision in this matter. Unfortunately, in his Budget Speech, the Finance Minister has not announced any package for debt-stressed States like West Bengal, Punjab and Kerala which are suffering badly. Our State Government and our Party, the All India Trinamool Congress, will continue to agitate on this issue till it is resolved and a moratorium is declared on interest payment for at least three years.

डॉ. नैपाल सिंह : माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : डॉक्टर साहब, अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। आप उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लोगों में से हैं। Let us maintain the dignity of the House. This is not proper.

अभी ज़ीरो आवर में कुछ और नाम हैं। माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करेंगे कि मैं जिनका नाम पुकारूँ, वे कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें तो अच्छा रहेगा।

Comment [s67]: (Cd. by g4)

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : आदरणीय सभापति जी, आप ने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मोहनलालगंज, लखनऊ क्षेत्र की उस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे चुन कर यहां भेजा है। मैं यहां पर पहली बार आया हूँ। मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न के सवाल पर सदन का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री रहे हैं। मैं भी वहां रहा हूँ। हमारे देश के अन्दर वर्ष 1994 में इसी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था - डंकल ड्राफ्ट। उस डंकल ड्राफ्ट में एक चीज़ पारित की गयी थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान का किसान खेतों में विदेशी हाइब्रिड बीज डालेगा और विदेशी खाद डी.ए.पी. डालेगा। आज जो लालच देकर विदेशी हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है, उस विदेशी हाइब्रिड बीज से जो फसल पैदा हो रही है, वह इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है। अगली बार अगर उस फसल को बोया जाता है तो उस से फसल नहीं होती है जिसके कारण हमारे देश के किसान अब देशी बीज नहीं बो रहे हैं। उस बीज को बार-बार ले रहे हैं और उस बीज को और उस खाद को हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे देश में पेटेंट कानून भी पास है। अगर हमारे देश से देशी बीज खत्म हो गया है। हम जो यह डी.ए.पी. खाद डालते हैं, यह खाद उस खेत को डी.ए.पी. एडिक्ट बना देती है। उस खेत में अगर हम उस खाद को डाल देते हैं तो हम दूसरी बार अगर कोई खाद डालेंगे तो उस खेत में उस तरीके से फसल पैदा नहीं होती। इस तरह से एक ऐसा समय आ जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां, जो डब्ल्यू.टी.ओ. के ज़रिए हमारे देश में आ रही हैं, ये पूरे तरीके से हमारी खेती पर कब्ज़ा कर लेंगी। फसल वे ले लेंगी और हमारा किसान केवल खेती करेगा, उसे उसका किराया मिलेगा और फसल उस को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हमारे देश में मारुति-सुजुकी कंपनी आयी थी और मारुति का पूरा शेयर लेकर आज सुजुकी मालिक बन गयी है। उसी तरह, हमारे खेतों की फसल भी ये कंपनियां ले लेंगी।

मेरा अनुरोध यह है कि इस देश में खेती को किसानों को देने के लिए और खेती को बचाने के लिए जो विदेशी हाइब्रिड बीज है, उस को रोका जाए। हमारे देश में हाइब्रिड बीज बनाएं जाएं और डी.ए.पी. खाद पर रोक लगायी जाए। अपने यहां ऐसी खाद बनायीं जाएं जो डी.ए.पी. खाद के बराबर यहां पर काम करें क्योंकि डी.ए.पी. खाद को अमेरिका और ब्रिटेन में डालने पर रोक लगी हुई है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आप को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया है।

महोदय, बिहार एवं झारखण्ड राज्य में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला दिनांक 13 जुलाई, 2014 से प्रारंभ हो रहा है। इस मेले में लाखों कांवरिया श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम, (सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार) स्थित उत्तर वाहिनी जाह्नवी गंगा से गंगा जल लेकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, (देवघर, झारखण्ड) में इस पवित्र गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो

बाबाधाम यात्रा पैदल एवं सड़क मार्ग से सालों भर होती रहती है, परन्तु श्रावण मास का एक विशेष महत्व है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कांवरिया लगातार 120 किलो मीटर के उस दुर्गम मार्ग पर खाली पांव पैदल यात्रा रात-दिन करते रहते हैं। इनमें अपने देश के अतिरिक्त लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा देशों, यथा - नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यामांर, श्रीलंका, मॉरीशस, त्रिनिडाड एवं टोबैगो आदि कई देशों से श्रद्धालु भक्त शामिल होते हैं। यह मेला हमारे देश के सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकात्मकता और अखंडता का प्रतीक है जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ, अमीर-गरीब, छोटे-बड़े का भेदभाव भुला कर "बोल बम " का उद्घोष करते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करते हैं। बड़ा बम, छोटा बम, भैया बम, बहना बम, माता बम - ये हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग, हमारी सामाजिक समरसता। इस मेले से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि दुनियां भर में उजागर होती है और यह "वसुधैव कुटुम्बकम्" का संदेश पूरे विश्व को देता है। मनोकामना सिर्फ एक है -

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः

सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।”

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहां तक कि बड़ी संख्या में दूसरे धर्मावलम्बियों के लोग भी अपनी मनोकामना काँवर लेकर डाक बम के रूप में लगातार जाते रहते हैं। यह पावन पवित्र मेला दो राज्यों विशेषकर बिहार और झारखंड से संबंधित है। इसलिए इन दोनों राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे और साथ ही इसके सफल आयोजन तथा कांवरियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। सरकार इसे “राष्ट्रव्यापी तीर्थाटन मेला” का दर्जा देते हुए एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति की एक श्रेष्ठ छवि दर्शाने तथा मेले के सुव्यवस्थित और सुचारु आयोजन हेतु एक “तीर्थाटन मेला विकास प्राधिकरण” का गठन करने का भी मैं आग्रह करता हूँ। कांवरियों की यात्रा को सुविधायुक्त बनाने के लिए दोनों राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अलग से केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का मैं आग्रह करता हूँ।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पांच सर्किट के रूप में, जो तीर्थाटन सर्किट के रूप में बात कही गई है, इसके लिए मैं श्री नरेन्द्र भाई मोदी, भारत के प्रधान मंत्री जी, श्री अरुण जेटली जी और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि भारत में जितने भी तीर्थ केन्द्र हैं, कृपया उन्हें पर्यटन से न जोड़ा जाए।... (व्यवधान) इससे भावना पर चोट पहुंचती है, उसके लिए अलग से तीर्थाटन विभाग का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा का केन्द्र है। साथ ही मैं चाहूँगा कि सरकार द्वारा बजट भाषण में पांच सर्किट में से एक सर्किट कांवरिया सर्किट के रूप में हो जो अजगैवीनाथ धाम, सुल्तानगंज से लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम से देवघर होते हुए बाबा

Comment [R68]: Cd. by h4

वासुकीनाथ मंदार पर्वत होते हुए, चम्पा नगरी, भागलपुर प्राचीन वि.वि. विक्रमशिला होते हुए...(व्यवधान) एक सर्किट बनना चाहिए। सरकार से पर्यटन विभाग के साथ-साथ तीर्थाटन विभाग का अलग से गठन करने का भी मैं आग्रह करता हूँ।

माननीय सभापति : आप ये ध्यान रखिए कि सात बजे तक का समय है और हम चाहते हैं कि सात बजे तक समाप्त कर दें।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ और सीधे बिहार के महाराजगंज क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा है। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। महोदय दो देशों को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क जो बिहार राज्य के छपरा जिले से (एनएच 101), छपरा से मोहम्मदपुर, जलालपुर, बनियापुर, सहाजिदपुर होते हुए नेपाल को जाती है। उसकी स्थिति काफी जर्जर है। ऐसी जर्जर स्थिति है कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। गाड़ियों के आने-जाने की बात तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है। उसके कुछ हिस्से तो इतने जर्जर हो गए हैं, जिस पर चलना कठिन है (जलालपुर से सहाजिदपुर तक), जिसके टैंडर भी हो गए हैं, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन वहां कार्य नहीं चल रहा है। कार्य धीमी गति में है।

सभापति महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि उस सड़क का निर्माण और मरम्तीकरण शीघ्र करा दें। उसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण सड़क एनएच 85 है, जो छपरा से गोपालगंज को जाती है, वह दो राज्यों को जोड़ती है। वह आ करके गोपालगंज में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। वह सड़क भी ऐसी स्थिति में हो गई है, उस पथ पर मरीज की सवारी जाए तो लगता है कि रास्ते में ही दम तोड़ देंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से विनम्र आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है कि एनएच 101 एनएच 85 को शीघ्र चलने के लायक बनावे और मजबूतीकरण एवं सुदृढीकरण की जो योजना है, उस सड़क को शीघ्र पूरा करने का काम करें। महोदय, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ।

राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, मैं उसके पास के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। अभी इन दिनों एक समाचार आया कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी सरगना है, एक लीडर है, वह राजस्थान की सीमा के पास पहुंच गया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वह इंडिया में आतंकवादी घटनाओं का मास्टर माइंड है। अभी उसने एक वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान में कुछ गांव

हैं, जिनमें हिन्दू जनसंख्या रहती है और वह भी सोसायटी के वीकर सैक्शंस की जनसंख्या है। उसने एक वीडियो जारी किया है कि तुम कोई वीज़ा लेकर हिन्दुस्तान जाओ और हिन्दुस्तान जाकर के आतंकवादी घटनाएं करो।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री से यह मांग है कि जितनी भी अपनी इंटेलीजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वह आई.बी. हो, चाहे वह बी.एस.एफ. हो, चाहे एस.एस.बी. हो, उससे उसकी पूरी जानकारी कराये और पाकिस्तान को कूटनीतिक माध्यम से यह समझाये कि वह राजस्थान की सीमा के पास कैसे स्थित है और कई दिनों से उन गांवों में कैसे रह रहा है। पाकिस्तान उसको प्रश्रय दे रहा होगा, इसलिए यह बहुत चिन्ता का विषय है। हम राजस्थान में बहुत शान्ति से रहते हैं, हमारी सीमा के पास की बार-बार अखबारों में बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं कि वह बड़ा आतंकवादी यहां पहुंच गया है और जितने भी हिन्दू लोग यहां रहते हैं, उनको कहता है कि आप धार्मिक वीज़ा लेकर के हिन्दुस्तान जाइये और यहां आतंकवादी घटनाएं करिये और वापस आइये, नहीं तो हम आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार को पाकिस्तान से कूटनीतिक स्तर पर इसका हल निकालना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र में शान्ति रह सके।

आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तथा विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान न किये जाने से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। आप स्वयं उसी क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए आपको इन बातों की पूरी तरीके से जानकारी भी है। इस मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है। आज भी चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है, जिसमें से लगभग 1590 करोड़ रुपया केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। गन्ने के भुगतान के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। भुगतान न होने से आज हालत यह है कि अपने दैनिक खर्चों के लिए भी किसान परेशान है, बच्चों की फीस और बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है। परिवार में मंगल कार्य विवाह आदि टाले जा रहे हैं। मैं पूरी जानकारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। प्रदेश सरकार तथा चीनी मिल मालिकों के षडयंत्र का शिकार यहां का गरीब गन्ना किसान हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, ताकि किसानों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके तथा ऐसी व्यवस्था भी की जाये कि भविष्य में इस प्रकार का षडयंत्र गन्ना किसानों के साथ सम्भव न हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : सभापति महोदय, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहती हूं।

आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं दिल से आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। 2011-12 में मेरे संसदीय क्षेत्र को सैण्ट्रल स्कूल की एक सौगात मिली, जिसमें बैतूल जिला और हरदा जिला, दोनों ही जिले सम्मिलित हैं।

आज क्लास वन से लेकर नाइंथ क्लास तक सैण्ट्रल स्कूल की कक्षाएं निरन्तर जारी हैं। लेकिन आज भी इस सैण्ट्रल स्कूल में भवन की असुविधा है। पिछले वर्ष 2013-14 में बैतूल जिले के सैण्ट्रल स्कूल को एक अतिरिक्त फर्स्ट से लेकर 8th तक कक्षाओं को बढ़ाने का भी केन्द्रीय विद्यालय के द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन भवन की असुविधा होने के कारण से आज भी इन क्लासेज़ को चलाने में असुविधा हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बैतूल के सैण्ट्रल स्कूल को जो फर्स्ट से लेकर नाइंथ तक की कक्षाओं का भवन जो हमने उपयुक्त रूप से बैतूल शासकीय प्राथमिक गंजशाला को हमने लेने का निर्णय लिया है और हरदा शासकीय काशीबाई कन्याशाला को, इन दोनों भवनों को हमने उपयुक्त रूप से लेने का निर्णय लिया है, जहां ये कक्षाएँ नियमित रूप से चल सकती हैं। अतः मेरी आपसे यही विनती है कि इन दोनों भवनों में कक्षा पहली से लेकर नाइंथ तक सैण्ट्रल स्कूल को चलाने की अनुमति दी जाए। आप सरकार को इस संबंध में निर्देशित करें। इससे इस सत्र की शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण पढ़ने वाले बच्चों पर मानसिक, शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है अथवा शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet` on Monday, the 14th July, 2014 at 11 am.

18.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 14, 2014/Ashadha 23, 1936 (Saka).

Comment [M69]: Cd by k4